दशम माला, खंड 13, अंक 3

शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992

19 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914(शक)

अंक 3, शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992/19 आषाढ़, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख		1
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख इनसेट–2 ए का प्रक्षेपण		1
प्रश्नों के लिखित उत्तर:		3–134
तारांकित प्रश्न संख्या:	41 से 57, 59 और 60	3–22
अतारांकित प्रश्न संख्या:	403 से 419, 421 से 522 और 524 से 601	22–134
सभा पटल पर रखे गए पत्र		134–136

लोक सभा

शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992/19 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री डी० पत्तुस्वामी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री डी० पत्तुस्वामी ने, जो सातवीं लोक सभा के सदस्य थे, 1980-84 के दौरान तमिलनाडु के वंडावासी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पत्तुस्वामी पेशे से कृषक थे, और एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में गहरी रूचि लेते थे। वह 1959-64 के दौरान तिरुवन्ना-मलई नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। वह सदन की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे और उनका इसमें बहुमूल्य योगदान रहता था।

श्री डी० पत्तुस्वामी का निधन दिल का दौरा पड़ने से 27 जून, 1992 को 57 वर्ष की आयु में मद्रास में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में यह सदन मेरे साथ है।

अब सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

11.02 म०पू०

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

इन्सेट-II ए का प्रक्षेपण

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। इन्सेट-II ए के सफलतापूर्वक छोड़े जाने से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। हम उन वैज्ञानिकों और दूसरे लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने इस उपग्रह के प्रक्षेपण में अपना योगदान दिया है, हमें उन पर गर्व है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने कहा था कि सी० सी० पी० ए० की मीटिंग चल रही है। हम जानना चाहते हैं कि सी० सी० पी० ए० का क्या रिजल्ट रहा?

हमने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए प्रश्न-काल को स्थगित किया जाए और इस मामले पर सदन में चर्चा कराई जाए। ....**(व्यवधान)**....

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़): अयोध्या की घटनाओं पर हमें भी उतनी ही चिन्ता है। सरकार को इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहिए। वहां वायदे को तोड़ा गया है। यह गंभीर चिंता का मामला है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, वह चुप क्यों हैं? **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय क्या यहां पर कोई सरकार है? और अगर है, तो कहां है? **(व्यवधान)**

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, हम सी० सी० पी० ए० की बैठक में हुए निर्णय के बारे में जानना चाहेंगे। सरकार का क्या दृष्टिकोण है? सरकार इस विषय पर चुप क्यों है? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, प्रधान मंत्री कहां हैं? हम कल से आश्वासन मांग रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी): महोदय, वहां कोई भी कानून का शासन नहीं है। संविधान या कानून के शासन की कदर नहीं है। देश मे कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, वह उत्तर क्यों नहीं दे रहे? **(व्यवधान)** क्या यह सी० सी० पी० ए० का निर्णय है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाईए। आप बारी-बारी से बोलें, मुझे सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें सुनने तो दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको कम से कम सुनना तो चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? हमें समझना चाहिए कि हमे क्या करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सभा आधे घण्टे तक के लिये स्थगित होती है।

11.14 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा ग्यारह बज कर पैंतालिस मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

11.45 म० पू०

लोक सभा ग्यारह बज कर पैंतालिस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: राजनीतिक दलों के नेता इस मामले पर अन्दर चर्चा कर रहे हैं। अतः, हमें सभा का सामान्य कार्य चलाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हमें इस चर्चा का परिणाम जान लेना चाहिये

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: नेतागण अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा करके इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। अतः हम सभा का सामान्य कार्य क्यों न आगे बढ़ाये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सरकार अयोध्या में वर्तमान स्थिति के बारे मे जानकारी प्राप्त कर रही है।

(व्यवधान)

11.48 म० पू०

इस बीच श्री ई० अहमद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के समीप आकर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

11.50 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(अनुवाद)

प्रतिभूति घोटाला

*41. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):**
श्री गंगाधरा सानीपल्ली:

क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में प्रकाश में आये प्रतिभूति घोटाले का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस घोटाले का पता किस प्रकार लगा था;

(ग) इस घोटाले से सम्बद्ध बैंकों का ब्यौरा क्या है और बैंक-वार हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस घोटाले से सम्बद्ध व्यक्तियों, सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित समिति द्वारा दी गयी अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार अनियमितताओं का विवरण इस प्रकार है:—

		(करोड़ रुपए)
1.	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश की गई कुल राशि जिसके लिए उनके पास किसी प्रकार की प्रतिभूतियां, एस जी एल अंतरण फार्म या बैंक रसीदें नहीं हैं	1,967.84
2.	बैंक ऑफ कराड़ या मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक द्वारा जारी बैंक रसीदों, एस जी एल अंतरण फार्मों के बदले कुल एक्सपोजर	1,470.12
3.	ए बी एफ एस एल की प्रतिभूतियों में अनुमानित कमी	104.83
	कुल:	3,542.79
	घटाइए मैसर्स हितेन पी० दलाल से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा तथाकथित रूप से जब्त की गई प्रतिभूतियों की राशि	350.00
	कुल समस्याजनक एक्सपोजर	3,192.79

(ख) प्राप्त सूचना के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों के प्रतिभूतियों संबंधी लेन-देन की जनवरी 1992 से जांच शुरू की थी। ये अनियमितताएं मार्च/अप्रैल 1992 में भारतीय स्टेट बैंक की छान-बीन के दौरान और बाद में की गयी विस्तृत जांच के दौरान सामने आई।

(ग) नीचे दिए गए बैंकों, बैंकों की अनुषंगी कम्पनियों और संस्थाओं की समस्याजनक एक्सपोजर इस प्रकार हैं:—

(i) नीचे लिखे बैंकों, बैंकों की अनुषंगी कंपनियों और संस्थाओं ने निवेशों के लिए भुगतान किए हैं, जिनके लिए उनके पास 1967.84 करोड़ रुपए के मूल्य की प्रतिभूतियां, एस जी एल फार्म या बैंक रसीदें नहीं हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

	(करोड़ रुपए)
राष्ट्रीय आवास बैंक	1271.20
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	174.93
एस बी आई कैपीटल मार्केट लि०	121.36
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	400.35
	1967.84

(ii) बैंक, बैंकों की अनुषंगी कम्पनियां और संस्थाएं जिनके पास बैंक आफ कराड लि० और मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक द्वारा जारी बैंक रसीदें/एस जी एल हैं जिसके लिए जारी करने वाले बैंक के पास निम्नलिखित रकमों के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं हैः

	(करोड़ रुपए)
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	931.84
केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज लि०	435.31
केन बैंक म्यूचूअल फण्ड	102.97
जोड़ः	1470.12

(iii) आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि० द्वारा धारित प्रतिभूतियों में अनुमानित कमी 104.83

(घ) उन व्यक्तियों, अधिकारियो और गैर-सरकारी व्यक्तियों का ब्यौरा जो प्रथम दृष्टया, अभी तक, इन अनियमितताओं में लिप्त पाये गये, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई हैः—

	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	तारीख
(i)	आर सी 8/(ए)/92/एस आई यू	29.5.1992
(ii)	आर सी 41 (ए)/92	11.6.1992
(iii)	आर सी 11 (एस)/92-एल सी वी	20.6.1992
(iv)	आर सी 43 (ए)/92	20.6.1992
(v)	आर सी 44 (ए)/92 ए सी बी	20.6.1992

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने 20.6.1992 को प्रतिभूतियों के लेन-देन के बारे में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। सरकार एक उच्च अधिकार प्राप्त पर्यवेक्षी बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है व्यावसायिक जिसके सदस्य होंगे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में घटित धोखाधड़ियों से निपटने के लिए सरकार एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने पर विचार कर रही है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी

1. श्री सी०एल० खेमानी,
   उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
2. श्री ए०एन० बावाडेकर,
   उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
3. श्री आर० सीतारामन,
   अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
4. श्री अनील नारीचनिया,
   सहायक महाप्रबंधक, कैन बैंक म्यूचूअल फण्ड

5. श्री के० मार्गबन्धु,
पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक
6. श्री एम०के० अशोक कुमार,
कार्यकारी उपाध्यक्ष, कैन बैंक फाइनानंसियल सर्विसेज
7. श्री बी० राय चौधरी,
उप महा प्रबंधक, यूको बैंक
8. श्री एस०वी० प्रभु,
सहायक महा प्रबंधक, यूको बैंक
9. श्री आर० वेंकटकृष्ण,
महा प्रबंधक, यूको बैंक
10. श्री रवि कुमार,
सहायक महा प्रबंधक, नेशनल हाऊसिंग बैंक
11. श्री सुरेश बाबू,
अधिकारी, नेशनल हाऊसिंग बैंक

अन्य बैंकों के अधिकारी

1. श्री हेमन्त व्यास,
अध्यक्ष, मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि०, बम्बई
2. श्री के०के० कपाडिया,
उपाध्यक्ष, मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि०, बम्बई
3. श्री अरविन्द मोहन लाल,
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बम्बई
4. श्री जयदीप पाठक,
प्रबंधक, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बम्बई

गैर-सरकारी व्यक्ति

1. श्री हर्षद एस० मेहता,
स्टाक सीक्यूरिटीज एण्ड फाइनेंस ब्रोकर
2. श्रीमती ज्योति एच० मेहता,
पत्नी श्री हर्षद एस० मेहता,
स्टाक सीक्यूरिटीज एण्ड फाइनेंस ब्रोकर
3. श्री अश्विन एस० मेहता,
स्टाक सीक्यूरिटीज एण्ड फाइनेंस ब्रोकर
4. श्री सुधीर एस० मेहता,
स्टाक सीक्यूरिटीज एण्ड फाइनेंस ब्रोकर
5. श्री पंकज वी० शाह,
श्री हर्षद एस० मेहता के कर्मचारी
6. श्री अतुल पारिख,
श्री हर्षद एस० मेहता के कर्मचारी
7. श्री हितेन मेहता,
श्री हर्षद एस० मेहता के कर्मचारी

8. श्री भूपेन सी० दलाल,
मै० चम्पकलाल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंशियल कन्सलटेंसी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक

9. मै० चम्पकलाल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंशियल कन्सलटेंसी सर्विसेज के श्री जे०पी० गांधी

10. श्री हितेन पी० दलाल,
दलाल

11. श्री ए०डी० नरोत्तम,
द्वारा एस० रामदास एण्ड कम्पनी

12. श्री टी०बी० रुया,
द्वारा धनराज मिल्स प्रा०लि० तथा मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि०, बम्बई के शेयर धारक

13. श्री एम०एस० ईश्वर चन्द्रा,
मुख्य कार्यपालक, मै० माजदा इन्डस्ट्रीज एण्ड लीजिंग लि०

14. श्री सुनील सगतानी,
सहायक उप प्रधान, मै० माजदा इन्डस्ट्रीज एण्ड लीजिंग लि०

15. मै० बी०बी० देसाई,
स्टाक सीक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस ब्रोकर

हस्तशिल्प-वस्तुओं के लिये क्रयादेश

*42. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान विदेशों से हस्तशिल्प वस्तुओं की सप्लाई के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्रयादेशों पर माल की सप्लाई कब तक की जायेगी; और

(घ) इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं। निर्यातकों तथा निर्यात अभिकरणों द्वारा सीधे ही आर्डर प्राप्त किए जाते हैं तथा सप्लाई की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का निर्यात

*43. **कुमारी उमा भारती:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात नीति के उदारीकरण के पश्चात् कितने मूल्य के कितनी मात्रा में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का निर्यात किया गया है; और

(ख) कौन-कौन से देश किस-किस खाद्यान्न का मुख्यतः आयात करते हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) 1.7.1991 से 31.3.1992 तथा 1.4.1992 से 31.5.1992 की अवधि के दौरान निर्यात किए गए चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गये हैं:—

मात्रा: टन में
मूल्य: करोड़ रु० में

खाद्यान्न	जुलाई 91—मार्च 92		अप्रैल 92—मई 92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल	5,74,173	616.20	1,17,606	141.25
अन्य खाद्यान्न	2,62,171	67.88	3,120	1.55

स्रोत: जुलाई 1991—मार्च 1992 के लिए डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता और अप्रैल 1992 तथा मई 1992 के लिए एपीडा की अनन्तिम विवरणियां।

(ख) भारत से खाद्यान्न आयात करने वाले मुख्य देश और भारत से उनके द्वारा आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(i) सऊदी अरब (बासमती चावल, गैर-बासमती चावल तथा अन्य खाद्यान्न)।

(ii) जोर्डन (बासमती चावल, गैर-बासमती चावल तथा गेहूं।

(iii) ब्रिटेन (बासमती चावल तथा अन्य खाद्यान्न)।

(iv) संयुक्त अरब अमीरात (बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न)।

(v) संयुक्त राज्य अमरीका (बासमती चावल, गैर-बासमती चावल)।

[अनुवाद]

निवारक समाहर्तालय

*44. **श्री अनन्तराव देशमुख**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में निवारक समाहर्तालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) यद्यपि, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी समाहर्तालयों को तस्करी-रोधी उत्तरदायित्व सौंपा गया है, फिर भी भू-सीमाओं और समुद्र तट पर तस्करी के लिए सुगम बने क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए अब तक 5 सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय, जिनके प्रधान कार्यालय बम्बई, पटना, अहमदाबाद, कलकत्ता एवं बंगलौर में हैं तथा दो सीमाशुल्क (निवारक) उप-समाहर्तालय, जिनके प्रधान कार्यालय जोधपुर और अमृतसर में हैं, का सृजन किया गया है। एक अन्य सीमाशुल्क (निवारक) उप-समाहर्तालय, जिसका प्रधान कार्यालय इम्फाल में होगा, के बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

शहरों का दर्जा बढ़ाना

*45. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**

श्री नरेश कुमार बालियान:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों का दर्जा बढ़ाने/उनके पुनर्वर्गीकरण के लिए आवश्यक 1991 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान जिन शहरों का दर्जा बढ़ाया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने संबंधी अनेक अनुरोध सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उन शहरों के नाम क्या हैं जिनके बारे में गत तीन महीनों के दौरान इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) जी, नहीं।

(ख) चालू वर्ष में किसी शहर/कस्बे का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन महीनों के दौरान मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए जिन नगरों/कस्बों का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1991 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के प्राप्त होते ही शहरों/कस्बों के दर्जा बढ़ाए जाने/पुनर्वर्गीकरण करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	शहरों/कस्बों के नाम	राज्यों के नाम/संघ राज्य क्षेत्र
1.	भावनगर	गुजरात
2.	जामनगर	
3.	गांधीनगर	
4.	गोवा	गोवा
5.	तिरूअनंतपुरम	केरल
6.	बेलगांव	कर्नाटक
7.	ग्वालियर	मध्यप्रदेश
8.	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र
9.	तुरा	मेघालय
10.	कटक	उड़ीसा
11.	कोटा	राजस्थान
12.	गंगापुर	
13.	पौड़ी	उत्तर प्रदेश
14.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
15.	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु
16.	पुलियनगुड़ी	
17.	शंकरन कोविल	

ऋण के बारे में जापान द्वारा मार्ग निर्देश

*46. **श्री विजय एन० पाटील:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जापान द्वारा हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजनावार ऋण की धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) क्या जापान ने भारत को ऋण देने के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जापान द्वारा निर्धारित किये गये मार्गनिर्देशों का भारत की रक्षा तैयारी पर कुछ प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) 25-26 जून, 1992 के दौरान भारत सहायता

संघ की पेरिस में हुई बैठक में जापान सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान भारत को ओ०डी०ए० ऋण के रूप में 111.908 लाख येन की राशि देने का वचन दिया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र० सं०	परियोजनाएं	अधिकतम राशि (लाख येन में)
1.	यमुना एक्शन प्लान परियोजना	17,773
2.	श्रीसेलम पन-बिजली परियोजना	3,806
3.	अनपारा बी तापीय बिजली परियोजना (चरण-4)	13,224
4.	गंधार गैस आधारित बिजली परियोजना (चरण-III)	19,538
5.	अमोनिया प्लांट रिपलेशमेंट प्रोजेक्ट	24,482
6.	हाइड्रो-कार्बन सैक्टर कार्यक्रम ऋण	33,085
	जोड़:	111,908

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एस०टी०ए० परमिट

*47. **श्री मदन लाल खुराना:**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "स्टेज कैरिज स्कीम" के अंतर्गत एस०टी०ए० परमिटों की मंजूरी के लिए लाटरी निकाली जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो मंजूर किये गये परमिटों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिकों एवं सहकारी समितियों के लिए एस टी ए परमिटों का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया था किन्तु इसके लिए आवेदन करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों को जो इसके लिए पात्र पाये गए परमिट दे दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन परमिटों के अंतर्गत बसें कब तक चलने लगेंगी; और

(च) क्या ऐसी बसों के संबंध में यात्रियों की शिकायतों की जांच करने हेतु कोई तंत्र बनाया जा रहा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां।

(ख) एक अनिर्णीत रिट-याचिका को ध्यान में रखते हुए परमिट जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 71(1) के परन्तुक के अंतर्गत 50 किलोमीटर अथवा उससे कम की दूरी के रूट के लिए परमिट केवल किसी व्यक्ति अथवा राज्य परिवहन उपक्रम को प्रदान किए जाएंगे। धारा 71(3) के परन्तुक में यह भी अनुबंधित है कि अन्य बातों के समान होने पर अन्यों की अपेक्षा भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त आवेदनों को तरजीह दी जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी गई थी।

(ङ) यह परमिट जारी किए जाने की तारीख पर निर्भर करेगा।

(च) प्रचालित होने पर बसें परिवहन प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन के अनुशासनाधीन होंगी।

[हिन्दी]

बैंकों की लेखा परीक्षा

*48. **श्री रामेश्वर पाटीदार:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल के प्रतिभूति घोटाले में शामिल कुछ बैंकों को देखते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा किसी स्वतंत्र लेखा परीक्षा आयोग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखा-परीक्षा कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाने के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया गया है। इन संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार इनके लेखों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जानी होती है। एक प्रणाली विकसित की गयी है जिसके अनुसार बैंकों की लेखा परीक्षा आंतरिक और बाह्य लेखा-परीक्षक, दोनों द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों का आवधिक तौर पर निरीक्षण करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधि भी होता है। समिति बैंक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की फर्मों का चयन उनके अनुभव के आधार पर करती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लेखा परीक्षा और निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही बैंकों के परिचालनों के वाणिज्यिक स्वरूप को देखते हुए तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वायतता और उत्तरदायित्व के पर्याप्त मिश्रण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन संगठनों के लेखा परीक्षा के कार्य को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपना आवश्यक नहीं समझते। तथापि, वर्तमान प्रणाली को सुप्रवाही तथा सुदृढ़ बनाने की गुंजाइश है। तदनुसार, नरसिंहम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में बैंकिंग क्षेत्र समेत वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाले की जांच हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की जांच समिति

*49. **श्री शरद यादव:**
श्री श्रीकान्त जेना:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित जांच समिति की दो अंतरिम रिपोर्टें सरकार को प्राप्त हो गई हैं।

(ख) दूसरी अंतरिम रिपोर्ट के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:—

(1)	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश की गई कुल राशि जिसके लिए उनके पास किसी प्रकार की प्रतिभूतियां, एस जी एल अंतरण फार्म या बैंक रसीदें नहीं हैं।	1,967.84 करोड़ रुपए
(2)	बैंक आफ कराड या मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक द्वारा जारी बैंक रसीदों/एसजीएल अंतरण फार्मों के बदले कुल एक्सपोजर	1,470.12 करोड़ रुपए
(3)	ए बी एफ एस एल की प्रतिभूतियों में अनुमानित कमी	104.83 करोड़ रुपए
	कुल	3,542.79 करोड़ रुपए
	घटाइए—मैसर्स हितेन पी दलाल से स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा तथाकथित रूप से जब्त की गई प्रतिभूतियों की राशि	350.00 करोड़ रुपए
	कुल समस्याजनक एक्सपोजर	3,192.79 करोड़ रुपए

(ग) (I) अपराधियों पर शीघ्र मुकदमा चलाने और अंतर्ग्रस्त राशि की वसूली के लिए सरकार ने विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 को 6.6.92 को प्राख्यापित कर दिया है। अभिरक्षक और विशेष न्यायालय की नियुक्ति की जा चुकी है और अध्यादेश के उपबन्ध के अनुसार इन्होंने काम करना आरम्भ कर दिया है।

(II) सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कहा था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आर सी सं॰ 8/92, 11/92, 41/92, 43/92 और 44/92 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

(III) पहली अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20.6.92 को बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

IV) अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक को 3.6.92 से छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है।

(V) यूको बैंक के अध्यक्ष एंवं प्रबन्ध निदेशक की सेवाएं 7.7.92 से समाप्त की गई हैं।

(VI) सरकार बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और देश में अन्य वित्तीय एजेंसियों के पर्यवेक्षण कार्य का समन्वय करने के लिए पर्यवेक्षी बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है।

(VII) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की गंभीर धोखाधड़ियों से निपटने के लिए सरकार विशेष धोखाधड़ी ब्यूरो स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।

कम्पनियों द्वारा विदेशों में स्थित अपने कार्यालयों का रख-रखाव

†50. **श्री कड़िया मुण्डा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई कम्पनियों को विदेशों में स्थित अपने कार्यालयों के रखरखाव और अपने निर्यात संवर्धन प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या इस प्रकार अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप काला धन पैदा हो रहा है जो अन्य देशों को भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री रामेश्वर ठाकुर**): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखितानुसार 1 जनवरी, 1991 से 30 अप्रैल, की अवधि के दौरान 183 कम्पनियों को विदेशों में नए कार्यालय खोलने/अपने प्रतिनिधि तैनात करने की अनुमति दी थी:—

(i) व्यापारिक कार्यालय — 30

(ii) गैर-व्यापारिक कार्यालय — 97

(iii) प्रतिनिधि — 56

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेश स्थित कर्यालयों के अनुरक्षण के लिए जारी की गई मुद्रा कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करते समय प्रस्तुत किए गए अनुमानित व्यय के मद-वार ब्यौरों पर आधारित होती है। कम्पनियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे बाद में भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे विदेश स्थित कार्यालयों से सम्बद्ध जांच किए गए लेखों के विवरण प्रस्तुत करें। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ऐसी प्रेषणाओं से उत्पन्न होने वाले काले धन की प्रतीति असम्भाव्य है।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*51. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1992 को थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी से 30 जून, 1992 की अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री शान्ताराम पोतदुखे**): **(क) और (ख)** 1.1.1992 को औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (1960=100) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1045.58 था। 1 जुलाई, 1992 को थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः मध्य जुलाई और मध्य अगस्त, 1992 तक मिलने की संभावना है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को देय महांगाई भत्ते की किस्तें आम तौर पर क्रमशः मार्च और सितम्बर के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती हैं।

बंगला देश के साथ व्यापार

*52. **श्री राजेश कुमार:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलादेश को इस समय किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तथा वहां से कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती हैं;

(ख) क्या उस देश के साथ व्यापार संतुलन की स्थिति प्रतिकूल है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) व्यापार में विद्यमान अंतर को कम करके व्यापार संतुलन ठीक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) : बंगलादेश को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें नीचे दी गई हैं:—

(क) सूती यार्न
(ख) फेब्रिक्स
(ग) मेड-अप्स
(घ) ऊनी यान
(ङ) इंजीनियरी सामान
(च) शीशे के बर्तन
(छ) सिरैमिक
(ज) रिफ्रैक्टरीज
(झ) रबड़ उत्पाद
(ञ) भेषज और औषधियां
(ट) रंजक द्रव और मध्यवर्ती सामान
(ठ) कोयला
(ड) काटन वेस्ट
(ढ) फल और सब्जियां
(ण) मसाले और
(त) संसाधित एवं अन्य खनिज

बंगलादेश से आयात की जाने वाली मदें ये हैं:—

(क) अखबारी कागज
(ख) सिंथेटिक और रिजनरेटेड फैब्रिक्स
(ग) कार्बनिक रसायन
(घ) पेपर बोर्ड
(ङ) टैक्सटाइल यार्न, फेब्रिक्स और मेड अप्स
(च) मशीनरी और परिवहन उपस्कर आदि की कुछ मदें।

बंगलादेश के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन नहीं है। व्यापार अन्तराल (जिसका सन्तुलन भारत के पक्ष में है) को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में शमिल हैं यथासम्भव सीमाशुल्क में कमी, व्यापार मेलों में भागीदारी और व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान तथा सरकारी और व्यापारिक स्तर पर विचार विमर्श।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

*53. **श्री संतोष कुमार गंगवार:**
श्री ललित उरांव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यवहार्यता के बारे में वाकिफ हैं।

क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों को व्यवहार्यता की समस्याओं के अध्ययन के लिए, सरकार ने पहले एक कार्यशील ग्रुप (केलकर समिति) का गठन किया था। समिति की सिफारिशें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी, प्रायोजक बैंकों से प्राप्त पुनर्वित्त पर ब्याज दर में कमी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों का उच्च लाभप्रदता वाली प्रतिभूतियों में निवेश आदि शमिल हैं, कार्यान्वित की गई हैं की जा रही हैं। वित्तीय पद्धति पर समिति ने, (नरसिंहम समिति) जिसने अपनी रिपोर्ट कुछ समय पहले ही प्रस्तुत की है, सिफारिश की है कि अर्थक्षमता प्रदान करने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार के कार्यकलापों में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि उनका मुख्य ध्यान बराबर लक्ष्य समूहों पर होना चाहिए। समिति ने एक तंत्र को तैयार किए जाने की सिफारिश भी की है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा उच्च आय वाली परिसम्पत्तियों में निवेश के प्रयोजक के लिए स्थापित विशेष प्रकार की संघीय एजेंसी के पास अपनी अधिशेष निधियां रख सकें। वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण अनुषंगी इकाइयों की रचना करने की अपनी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों को इस बात का विकल्प दिया है कि या तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी अलग पहचान बनाए रखें या स्वैच्छा से प्रायोजक बैंक को ग्रामीण अनुषंगियों में मिल जाएं। सरकार ने हाल ही में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुर्नरचना के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की है। बहुत से माडलों पर विचार किया गया है तथा प्रत्येक माडल की प्रभाविकता पर सभी संभव दृष्टिकोण से जांच किया जा रहा है। तथापि, इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पटसन क्षेत्र का विकास

*54. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या **वस्त्र** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पटसन क्षेत्र के विकास हेतु विश्व बैंक और यू० एन० डी० पी० (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) से सहायता लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इससे पटसन उद्योगों को किस हद तक अर्थक्षम बनाया जा सकेगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) पटसन क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए भारत सरकार और यू० एन० डी० पी० के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) कार्यक्रम में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, वे हैं पटसन कृषि, नए उत्पादों का विकास, रोजगार पैदा करना, पटसन मशीनरी क्षेत्र का विकास, अनुसंधान व विकास संस्थान के लिए भवन, निजी क्षेत्र का विकास, निर्यात संवर्धन, मानव संसाधन विकास तथा समन्वय की प्रभावी प्रणालियों को शुरू करना। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पाद विकास और प्रभावी विपणन नीतियों के जरिए पटसन के सामान के कुल उत्पादन में विविधीकृत उत्पादों के अंशदान को बढ़ाना, कार्यक्रम का लाभ किसानों, महिलाओं, नए उद्यमियों, हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों, मिल मजदूरों से बने लक्षित समूहों तक पहुंचाना तथा इस मैत्रीपूर्ण वातावरण का सदुपयोग बढ़ा कर बायो-डीग्रेडेबल फाइबर का इस्तेमाल करना है।

(ग) यू० एन० डी० पी० ने प्रस्ताव किया है कि पटसन क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 23 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए जाएं जिसके लिए भारत सरकार पूरक निधियां उपलब्ध कराएगी।

(घ) ऐसी आशा है कि इस कार्यक्रम से मूल्य-वर्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों के उत्पादन, बिक्री तथा निर्यात के जरिए पटसन उद्योग की अर्थक्षमता में वृद्धि होगी।

सहकारी कताई मिलें

†55. **श्री के० पी० सिंहदेव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार और संघ-राज्य क्षेत्र-वार कितनी-कितनी सहकारी कताई मिलें स्थापित की गई हैं:

(ख) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर नई सहकारी कताई मिलें स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में कितनी कताई मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रत्येक कताई मिल को कितनी सहायता देने का विचार है;

(ङ) क्या सहकारी कताई मिलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई अन्य सहायता भी दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान 12 सहकारी कताई मिलों की स्थापना की गई है। राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

राज्य का नाम — वर्ष

	1989-90	1990-91	1991-92
आन्ध्र प्रदेश	1	—	—
असम	—	—	2
कर्नाटक	—	1	1
महाराष्ट्र	—	3	1
उड़ीसा	—	—	1
राजस्थान	—	—	1
प० बंगाल	—	—	1
	1	4	7

(ख) सरकार सहकारी कताई मिलें स्थापित नहीं करती है। फिर भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) ने भारत सरकार (वित्तीय संस्थानों) से अनुरोध किया है कि देश में स्थापित की जाने वाली 40 नई सहकारी कताई मिलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आम उपयोग की वस्तुओं के मूल्य

*56. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्रीमती वसुन्धरा राजे:—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, उन उत्पादों के निर्माताओं की एक बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस तरह की बैठक आयोजित कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत चार महीनों के दौरान प्रत्येक महीने आम उपयोग की वस्तुओं का थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना-कितना रहा; और

(छ) सरकार ने मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) से (च): पिछले चार महीनों के दौरान आम उपयोग की वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं। इस वर्ष आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं के थोक मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम दर पर बढ़े हैं। 20 जून, 1992 तक चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 12 सप्ताहों के दौरान खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विनिर्मित उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान हुई 2.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सभी वस्तुओं के सूचकांक में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(छ) सरकार ने मुद्रा स्फीति की दर को कम करने के लिए मांग और पूर्ति, दोनों की पक्षों के संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। राजकोषीय घाटा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत से कम करके 1991-92 में 6.5 प्रतिशत तक लाया गया। 1992-93 में इसे फिर कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 5.0 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार को दिए गए निवल रिजर्व बैंक ऋण की वृद्धि में काफी कमी आई है और मूल्य संवेदी आवश्यक वस्तुओं के प्रति बैंक अग्रिमों पर चयनित ऋण नियंत्रणों को सख्त बना दिया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बिक्री के साथ-साथ इन उपायों का मुद्रा पूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रणात्मक प्रभाव पड़ेगा। पूर्ति पक्ष की दिशा में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने और इसका सुदूरगामी तथा सुविधा वंचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के साथ-साथ आयातों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की घरेलू पूर्ति बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।

विवरण-I

1992 के दौरान आम उपयोग की वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 1981-82-100)

क्रम सं॰	वस्तुएं	सूचकांक			
		मार्च,92	अप्रैल,92	मई,92	जून,92
1	2	3	4	5	6
1.	सभी वस्तुएं	217.7	217.9	219.7	221.4
2.	खाद्य वस्तुएं	255.7	261.5	266.1	267.2
3.	खाद्यान्न	245.7	243.0	242.1	244.2
4.	अनाज	245.2	241.3	240.3	242.3

1	2	3	4	5	6
5.	चावल	245.3	243.2	247.3	249.2
6.	गेहूं	240.0	227.3	216.5	219.6
7.	दालें	249.3	253.0	253.3	256.5
8.	फल तथा सब्जियां	239.8	271.9	285.1	275.2
9.	दूध	247.9	250.6	252.0	252.0
10.	अंडे, मछली और मांस	237.4	232.3	231.3	239.7
11.	मसाले तथा गर्म मसाले	456.2	448.0	475.1	486.4
12.	चाय	254.4	262.9	275.8	303.0
13.	चीनी	170.6	170.1	174.8	174.0
14.	गुड़	144.8	147.7	159.4	166.5
15.	तोरिया और सरसों का तेल	231.5	226.9	225.1	215.9
16.	मूंगफली का तेल	246.4	246.0	240.4	234.8
17.	हाइड्रोजनित वनस्पति	274.5	278.5	278.4	275.4
18.	नमक	220.2	215.6	210.2	208.6
19.	मिट्टी का तेल	146.7	146.7	146.7	146.7
20.	लट्ठा/चादरें	173.5	170.6	169.2	169.2
21.	धोती साड़ियां तथा बायल	186.6	192.3	194.2	194.2
22.	कपड़े धोने का साबुन (घरों में धुलाई के लिए)	189.0	189.0	190.7	193.3
23.	माचिस	138.4	138.9	140.2	140.2

1—तीन सप्ताहों का औसत

विवरण— II

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मासिक घटबढ़

(आधार: 1982-100)

समूह	भारांश प्रतिशत	1992				1991			
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
सामान्य	100.00	228	229	229	231	202	202	201	202
खाद्य	57.00	242	241	241	243	211	211	207	207
पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य	3.15	288	293	299	303	249	252	257	261
ईंधन और बिजली	6.28	207	212	212	214	197	198	199	200
आवासन	8.67	206	206	206	206	192	192	192	192
कपड़े, बिस्तर और जूते-चप्पल	8.54	174	175	177	179	153	154	160	162
विविध	16.36	219	220	221	224	193	194	196	197

काला धन

57. श्रीमती महेन्द्र कुमारी:
श्रो० रीता वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय अनुमानतः कितना काला धन परिचालन में है;

(ख) इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं;

(घ) इसे नियंत्रित हेतु किए गए विभिन्न उपायों में क्या खामियां हैं; और

(ङ) काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने अपने "भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलुओं" पर किए अध्ययन में वर्ष 1983-84 के लिए (उपादान लागत पर) सकल घरेलू उत्पाद के 18 से 21 प्रतिशत तक काली आय की उत्पत्ति का अनुमान लगाया था। भारत सरकार के पास परिचालित काले धन का कोई अनुमान नहीं है।

(ख) से (ङ) मोटे तौर पर काले धन के उत्पादन के कारणों में कराधान की संरचना और उसका स्तर; कर प्रशासन की कारगरता आर्थिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण; सामान्य नियम और विनियम, राजनीतिक वित्त; मुद्रास्फीति और जनता की नैतिकता के स्तर शामिल हैं। काले धन की उत्पत्ति से अर्थव्यवस्था के कार्य-प्रचालन में विकृति आती है और इससे उत्पादन के पैटर्न, आय के वितरण और लोक कल्याण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार काले धन की उत्पत्ति के विपरीत परिणामों से पूर्णतया अवगत है। तदनुसार, इसने काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक, कानूनी और राजकोषीय उपाय किए है/कर रही है। सरकार द्वारा व्यापार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था में कालेधन की उत्पत्ति को नियंत्रित किए जाने की आशा है। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है और उभरती हुई स्थितियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सभी संभव उपाय किए जाएंगे।

सीमांत कर दर को नीचे लाया गया है और बहुत से कर स्लौबों में कमी की गई है। नई औद्योगिक नीति और निर्यात-आयात नीति की घोषणा के साथ-साथ बहुत से प्रतिबंधों और नियंत्रणों को भी हटा लिया गया है।

मसालों का आयात

59. श्री पी०सी० थामस:
श्री पी०सी० चाको:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान "शुल्क-मुक्त योजना" के अन्तर्गत मसालों विशेषतः लौंग के आयात हेतु लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन फर्मों को इस प्रकार के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ग) प्रत्येक मसाले की कितनी-कितनी मात्रा के आयात की अनुमति प्रदान की गई है;

(घ) क्या इस प्रकार के आयातित मसालों की देश के बाजारों में अवैध बिक्री के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं जिसके कारण मसालों के मूल्यों में गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने ऐसी क्या कार्रवाई की है अथवा करने वाली है जिससे मसाला उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां। लौंग, अमलतास और दालचीनी के लिए 1.4.92 से अब तक कुल 13 अग्रिम लाइसेंस तथा 2 अग्रिम सी सी पी एस जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण पत्र I और II में दी गई है।

(घ) घरेलू बाजार में आयातित मसालों की अवैध बिक्री का कोई उदाहरण इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) नई निर्यात और आयात नीति 1992-97 के बारे में मामले पर पुनर्विचार किया गया और दिनांक 23.6.92 के०ए० आई० सी० परिपत्र सं० 4/92 के द्वारा सभी लाइसेंस प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि लौंग, दालचीनी और अमलतास के लिए शुल्क मुक्त योजना के तहत कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएं। इसके अतिरिक्त, सभी बकाया लाइसेंसों को वापस करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण - I

क्र॰सं॰	फर्म का नाम	लाइसेंस नं॰ और तिथि	आयात की मद	आयात की मात्रा	सी॰आई॰एफ॰ मूल्य	निर्यात की मद	एफ॰ओ॰बी॰ मूल्य
1.	चाणक्य इंपेक्स, बम्बई	303886 9-4-1992	अमलतास	4000 कि॰ग्रा॰	28,000	अमलतास का तेल	2,80,000
2.	मैकेयर एक्सपोर्ट्स, बम्बई	304440 11-5-1992	लौंग और अमलतास	22000 कि॰ग्रा॰ 15,000 कि॰ग्रा॰	6,75,000 11,45,000	अमलतास और लौंग का तेल	34,50,000
3.	परेश कं॰, बम्बई	12-5-1992	इलायची		1,99,500		2,90,700
4.	मैकेयर एक्सपोर्ट्स, बम्बई	304595 18-5-92	लौंग अमलतास	27.5 एम टी 30 एम टी	12,45,000 12,45,000	अमलतास और लौंग का तेल	33,62,000
5.	मैकेयर एक्सपोर्ट्स, बम्बई	304594 18-5-92	लौंग और अमलतास	27.5 एम टी 30 एम टी	12,45,000 12,45,000	अमलतास और लौंग	33,62,000
6.	चाणक्य इंपेक्स, बम्बई	304721 22-5-92	अमलतास	40,000 कि॰ग्रा॰	20,80,000	अमलतास का तेल	28,00,000
7.	परेश कं॰, बम्बई	रोका गया लाइसेंस 8-6-92	लौंग और इलायची		2,96,000	लौंग और इलायची का तेल	6,96,000
8.	मैकेयर एक्सपोर्ट्स, बम्बई	305279 18-6-92	लौंग इलायची	31.1 एम टी 30 एम टी	12,45,000 12,45,000	लौंग और इलायची का तेल	33,37,000

क्र॰सं॰	फर्म का नाम	लाइसेंस सं॰ और तिथि	आयात की मद	आयात की मात्रा	सी॰आई॰एफ॰ मूल्य	निर्यात की मद	एफ॰ओ॰बी॰ मूल्य
9.	मैकेयर एक्सपोर्ट्स, बम्बई	305278 18-6-92	लौंग और इलायची	31.1 एम टी 30 एम टी	12,45,000 12,45,000	लौंग और इलायची का तेल	33,37,000
			विवरण - II				
10.	मैसर्स ट्रैड्डी मुडस, मद्रास	अग्रिम लाइसेंस सं॰ पी॰के॰ 3529381 तिथि 1.4.92	अमलतास	15 एम टी	यू एस डालर 18,420	अमलतास का तेल	यू एस डालर 27,937
11.	कोसर फ्लेवरस एंड एक्सट्रेक्टस लि॰, अंगामल्ली साउथ	पी॰एल॰ 3531483 तिथि 2.6.92	अमलतास	249.97 एम टी	यू एस डालर 1,87,48,155	अमलतास की तैलरहल	रु॰ 2,51,40,000
12.	सिन्थाइट इण्डस्ट्रीयल केमिकल्स लि॰, कोल्लेनचेरी	पी॰एल॰ 3531490 तिथि 4.6.92	लौंग	20 एम टी	रु॰ 7,75,000	लौंग का तेल	रु॰ 10,38,500
13.	बिजनेस इन्टरनेशनल, अमृतसर	0528308 तिथि 25.6.92	1) दालचीनी 2) पॉपी सीड	63 एम टी 150 एम टी	यू एस डालर 1,72,218	मसाला पाऊडर	यू एस डालर 2,51,40,000
अग्रिम सी॰सी॰पी॰							
1.	ट्रेड्डी मुड्स, मद्रास	अग्रिम सीसीपी सं॰ पी॰के॰ 3529397 तिथि 10.4.92	अमलतास / दालचीनी	40.50 एम टी	यू एस डालर 48,600	अमलतास / दालचीनी का तेल	यू एस डालर 1,65,000
2.	रेखा ओवरसीज, मद्रास	अग्रिम सीसीपी सं॰ पी॰के॰ 3529399 तिथि 21.4.92	—वही—	40.50 एम टी	यू एस डालर 48,600	—वही—	यू एस डालर 1,65,000

सीमा पार पाकिस्तान सैनिकों का जमाव

*60. **श्री श्रवण कुमार पटेल:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास हो रही पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी है, जैसा कि 10 जून, 1992 के "नेशनल हेरल्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलाबारी की घटननाएं आम बात हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो भारत-पाक सीमा पर गत तीन महीनों के दौरान क्षेत्रवार गोलीबारी की कितनी घटनाऐं हुई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) इस संबंध में नेशनल हेरल्ड में 10 जून, 1992 को प्रकाशित सामग्री सरकार ने देख ली है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की असामान्य सैन्य गतिविधियों के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के सैनिकों/सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी की घटनाएं होना एक आम बात है। पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय सीमारेखा के समीप भी छिटपुट गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं।

(ङ) परस्पर तनाव कम करने और ऐसी घटनाओं को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशक सप्ताह में एक दूसरे से टेलीफोन पर बातचीत करते रहते हैं। तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए, आवश्यक होने पर, सेक्टर कमांडरों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की परियोजना-रूपरेखाएं

403. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने व्यापक पैमाने पर ग्रामीण उद्योग शुरू करने में ग्रामीण लोगों की सहायता करने के लिये परियोजना-रूपरेखाएं तैयार की हैं जिनसे आन्ध्र प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की निकट भविष्य में आन्ध्र प्रदेश के विषय में क्या योजनाएं है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) ग्रामीण उद्योगों सहित लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण का संबर्द्धन करने और ग्रामीण युवकों के लिए स्वः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अति लघु परियोजना प्रोफाइल का एक संक्षेप संग्रह तैयार करने का काम अपने हाथ में लिया है। बाजार और संसाधनों में स्थूल समस्मता को देखते हुए, अलग-अलग राज्यों की बजाए, एक सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त परियोजनाओं के प्रोफाइल तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए ऐसा ही एक प्रकाशन हाल में जारी किया गया है। स्थानीय परिस्थितियों, अर्थक्षमता और व्यवहार्यता को देखते हुए इस प्रोफाइल का उपयोग आन्ध्र प्रदेश के उद्यमकर्ता भी कर सकते हैं। ये प्रोफाइल ए०पी०आई०टी०सी०ओ० द्वारा 1989-90 में

तैयार किए गए 75 प्रोफाइलों और ए॰पी॰एस॰एफ़॰सी॰ द्वारा तैयार किए गए 150 अन्य परियोजना प्रोफाइलों के अतिरिक्त है जो आन्ध्र प्रदेश में उद्यमकर्ताओं के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

सिडबी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद को ग्रामीण स्थानों के लिए उपयुक्त अति लघु क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु कुछ प्रोफाइल तैयार करने का अनुरोध किया है।

उड़ीसा में काफी बागान

404. **श्री सुभाष चन्द्र नायक:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों की जलवायु काफी बागानों के लिए उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी बयौरा क्या है और सरकार ने इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी एकड़ भूमि अधिगृहीत की है;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है; और

(घ) यदि हां, यदि तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) कॉफी बोर्ड ने उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी, गंजम तथा फूलबनी जिलों में आने वाली 6335 हैक्टेयर भूमि को कॉफी उगाने के लिए उचित भूमि के रूप में अभिज्ञात किया है। सरकार ने इस प्रयोजन हेतु किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कंपनियों को दिए गए ऋण पत्र की जांच

405. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुपयों में भुगतान करने वाली भारतीय कम्पनियों के पक्ष में खोले गये ऋण-पत्रों की नये सिरे से जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) ऋण-पत्र कितनी अवधि तक के लिए वैध होते है;

(घ) क्या निर्यातक इस तरह जांच पड़ताल के विरूद्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वर्ण बैंक

406. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक स्वर्ण बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह स्वर्ण बैंक कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) स्वर्ण बांड जारी करने के लिए एक स्वर्ण बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसका उद्देश्य जनता के स्वर्ण एकत्रित करके स्वर्ण भण्डार में वृद्धि करना और आंशिक रूप से विकासात्मक कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी करेंसी ऋण जुटाने के लिए उपयोग करना है। सरकार भारतीय रिर्जव बैंक के परामर्श से वाणिज्यिक व्यहार्यता तौर-तरीके और अन्य ब्यौरों की विस्तृत जांच कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सैनिक छावनियों की स्थापना

407. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में सैनिक छावनियों की स्थापना के लिए उक्त राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मिले रताव का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में कुछ और सैनिक छावनियां स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये आयोग की स्थापना

408. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये एक स्वतंत्र आयोग गठित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं। इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

हाल ही के उपचुनाव के दौरान हुई अनियमिताओं के सम्बन्ध में शिकायत

†409. **श्री भगवान शंकर रावत:**
श्री पी०सी० थामस:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार एवं निर्वाचन आयोग के पास जून 1992 को सम्पन्न हुए लोक सभा और राज्य सभा के लिए उपचुनाव के दौरान किन-किन क्षेत्रों से बूथ-कब्जा, धांधली और अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में चुनाव शन्तिपूर्ण हुए;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपराधियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई जो बूथ-कब्जा करने में और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे; और

(घ) इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) बूथों पर कब्जा करने, गड़बड़ी करने और अन्य निर्वाचन संबंधी अनाचारों को रोकने के लिए विधि में पहले से ही उपबंध विद्यमान है और इन अनाचारों को रोकने और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी संभव प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में कुछ और उपाय भी विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात

410. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्य सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा निर्यात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गोवा के प्रमुख वस्त्र निर्यातकों और उनके द्वारा किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) सरकार निर्यात के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखती लगभग सभी राज्यों में सिले-सिलाए परिधानों के निर्यातक हैं। फिर भी, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब के राज्य परिधानों को अधिकांश निर्यात करते हैं।

वर्ष 1991-92 के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात 6,327 करोड़ रु० मूल्य के हुए जोकि 2530 मिलियन अमेरीकी डालर के बराबर है (अनन्तिम)।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लेखनीय निर्यात निष्पादन करने के लिए निर्यातकों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	निर्यातक का नाम	वर्ष	निर्यात के लिए प्रमाणित मात्रा (पी सी एस)
1.	मै० कोटस गारमेंट इंडिया	1989	475900
		1990	576536
		1991	620364
2.	मै० नेटसन गारमेंटस	1989	133115
		1990	75441
		1991	68230
3.	मै० अनथ अपैरल	1989	23119
		1990	उपलब्ध नहीं
		1991	-वही-
4.	मै० निहाल अपैरल	1989	उपलब्ध नहीं
		1990	-वही-
		1991	22578

स्रोतः अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी मामले

411. **श्री सैयैद शाहबुद्दीनः** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान कितने मामले चलाये गये हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1992 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले लम्बित थे;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये अथवा हिरासत में लिये गये थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को छोड़ा गया है;

(घ) 1 अप्रैल, 1992 को गिरफ्तार किये गये अथवा हिरासत में रखे गये व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ङ) 1 अप्रैल, 1992 को कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले न्यायनिर्णयाधीन थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ङ) इस सम्बन्ध मे सूचना नीचे दी गई है:—

(I) 1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत चलाये गये मामलों की संख्या : 3838

(II) 1 अप्रैल, 1992 को लम्बित पड़े मामलों की संख्या : 8598

(III)	1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए और छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या	1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अर्न्तगत 302 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा किया गया।
(IV)	1991-92 के दौरान कोफेपोसा के अधीन हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की संख्या	: 90
(V)	1-4-1992 को उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरूद्ध न्यायनिर्णयाधीन कार्यवाहियां लम्बित हैं।	: 8598

शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत का निवारण

412. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर / डिबेंचर धारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई तन्त्र उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेशकों की ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के॰ विजय भास्कर रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) शिकायत के स्वरूप पर निर्भर करते हुए शेयर / ऋणपत्र धारकों / निवेशकों की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 और अन्य विनिर्मितियों के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड, कंपनी रजिस्ट्रारों, ऋणपत्र न्यासियों, स्टॉक एक्सचेंजों आदि जैसे विभिन्न प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

कम्पनी विधि बोर्ड

शेयरों तथा ऋणपत्रों के अंतरण के पंजीकरण, शेयरों / ऋणपत्रों के प्रमाण पत्रों का अवितरण निर्धारित समय सीमाओं के अन्दर न करने के विरूद्ध अपीलें (धारा 111, 113)।

अनुरोध पर ऋणपत्र धारकों के लिए न्यास दस्तावेजों की गैर आपूर्ति, अनुरोध पर रजिस्टरों एवं विवरणियों का निरीक्षण अथवा सारांश के लिए मांग करना, साधारण बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकों का निरीक्षण, निवेशकों के रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए इंकार करना, तुलन पत्र तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट की प्रतियां लेने के सदस्यों के अधिकार, (धारा 163, 196, 219, 304)।

अपरिपक्व निक्षेपों का गैर-भुगतान (धारा 58 क)।

वार्षिक साधारण बैठकें बुलाने की शक्ति, बैठकें बुलाए जाने की शक्ति (धारा 167, 186)।

कम्पनी के कार्यकलापों के अन्वेषण के लिए आदेश देना [धारा 235(2), 237(ख)]।

कुछ मामलों में शेयरों तथा ऋणपत्रों पर निर्बन्धनों का अधिरोपण और शेयरों या ऋणपत्रों के अंतरण का प्रतिषेध (धारा 250)।

उत्पीड़न तथा कुप्रबंध पर रोक (धारा 397, 398, 408)।

कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी विधि बोर्ड विनियमन, 1991 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार ऐसे मामलों के बारे में कार्रवाई की जाती है।

विभिन्न राज्यों में कंपनी रजिस्ट्रार

अमुक शिकायतें प्राप्त होने पर वे संबंधित कंपनी के साथ मामला उठाते हैं ताकि उनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन के गंभीर मामलों के लिए उन्हें कंपनियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन दायर करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।

ऋण पत्र न्यासी

अपकृत व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए सृजित सुरक्षा लागू करने हेतु ऋणपत्र न्यास निधि के न्यासियों के पास पहुंच सकते हैं जिनके पक्ष में कंपनियों की परिसंपत्तियां गिरवी रखी जाती हैं।

स्टाक एक्सचेंज

स्टॉक एक्सचैंजों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचीबद्ध करारों के लिए कंपनियों द्वारा इसके अनुपालना सुनिश्चित करें।

(ग) व (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मामलों में न्यायिक / अर्द्ध न्यायिक कार्यवाहियां शामिल होती हैं। तथापि, शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए प्रयास किए जाते हैं।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

413. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को गत तीन माह की सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों की विधवाओं की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों ने उनकी बकाया राशि का फैसला और अदायगी करने में तथा अनुकम्पा के आधार पर उन्हें रोजगार देने की प्रक्रिया में विलंब किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) पिछले तीन महीनों के दौरान युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया / पंजाब नैशनल बैंक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

		युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	पंजाब नेशनल बैंक
1.	रोजगार के लिए विधवाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या	10	31
2.	निर्णित मामलों की संख्या	शून्य	20
3.	विचाराधीन / संवीक्षाधीन मामलों की संख्या	10	4
4.	अनुमति के लिए सरकार को भेजे गए मामलों की संख्या	शून्य	1
5.	और अधिक सूचना के लिए पत्राचाराधीन मामलों की संख्या	शून्य	6

बैंक कर्मचारियों की विधवाओं के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए दावे तथा उनके बकाया का निपटान बैंकों द्वारा सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर जहां कहीं आवश्यक हो, सरकार के परामर्श से किया जाता है।

कपास का निर्यात

414. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में उत्पादित कपास की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, कपास का निर्यात न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कपास का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) कपास के वर्तमान मूल्य-स्तर समर्थन मूल्य स्तर से काफी ऊपर है और विगत वर्ष की इसी अवधि के मूल्यों से ज्यादा है। कपास जैसी प्राथमिक वस्तुओं के स्थान पर मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने की सामान्य आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार का विचार है कि चालू मूल्य स्थिति को देखते हुए तत्काल निर्यात कोटाओं को रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, मूल्य स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। कपास मौसम 1991-92 के दौरान सरकार ने बंगाल देशी कपास की 1 लाख गांठों को अब तक निर्यात के लिये रिलीज किया है जिसका इस्तेमाल सभी निर्यातकों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार करारों के अन्तर्गत कुछ पड़ौसी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय कपास निगम (सी सी आई) को 30,000 गांठों का भी आबंटन किया गया है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा विदेशों में बाजार का सर्वेक्षण

415. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने जापान और अमरीका में पनई ताड़ तंतु तथा इसके सह-उत्पादों के संबंध में विदेशों में बाजार का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां। विदेश व्यापार संस्थान ने वर्ष 1972 के दौरान यू०के०, यू०एस०ए० तथा जापान में पनई ताड़ तंतु तथा इसके सह-उत्पादों की भारत की निर्यात क्षमता के बारे में विदेशों में बाजार सर्वेक्षण किया था।

(ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें थीं:—

(i) निर्यातकों को विकसित देशों में मानव-निर्मित रेशों द्वारा दी गई चुनौती का सामना करने के लिए विदेश में क्रेताओं को सप्लाई की गई पनई ताड़ तंतु की गुणवत्ता में एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए;

(ii) विदेशों में ब्रश के विनिर्माताओं के सस्ते सिंथेटिक प्रतिस्थापनों की ओर झुकाव को रोकने के लिए पनई ताड़ तंतु की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है;

(iii) देश में तंतु के अत्यंत सीमित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा उपभोक्ता खंडों जैसे नगर निगमों, रेलवे, कपड़ा मिलों और आटोमोबाइल उद्योग में पनई ताड़ तंतु के लिए आंतरिक बाजार का विस्तार हेतु सुव्यवस्थित प्रयास किए जाने चाहिएं;

(iv) तंतु अपशिष्टों में सुधार करने के तरीकों का पता लगाने और उसके लिए नए उपयोग तैयार करने, उचित तंतु सम्मिश्रणों को विकसित करने, मानव श्रम को न्यूनतम करने के लिए उन्नत उपकरणों का अविष्कार करना तथा उन्नत संसाधन तकनीकों को विकसित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग में एक अनुसंधान स्कंध की स्थापना की जानी चाहिए;

(v) अंत्यत उत्पाद को अत्याधुनिक बनाने के लिए ब्रश निर्माण को यंत्रीकृत करने की अत्यधिक आवश्यकता है;

(vi) निर्यात बाजारों, विशेष रूप से विकसित देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप ब्रशों का विनिर्माण करने के लिए विदेश स्थित कंपनियों के साथ सहयोग प्रबंध किए जाने चाहिएं;

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में के०बी०आई०सी० ने 1973 में आयोजित आॅल इंडिया पाॅम गुड वर्कर्स एंड फाइबर कान्फ्रेंस को रिपोर्ट प्रस्तुत की

जिसमें आई आई एफ टी द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों वाले कुछेक संकल्पों को पारित किया गया था। जहां तक विदेशों में पाम तंतु के निर्यातों को बढ़ाने का सम्बन्ध है, कान्फ्रेंस ने कुछेक उपाय करने का सुझाव दिया है वे हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयात शुल्क में कमी, भाड़ा दर में कमी, गुणवत्ता नियंत्रण आदि। खादी और ग्रामोद्योग ने उपर्युक्त संकल्पों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की थी।

[हिन्दी]

गुजरात सरकार को ऋण

416. **श्री काशीराम राणा:**
श्री महेश कनोडिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात सरकार ने कितनी ऋण-राशि हेतु आवेदन किया तथा इसका प्रयोजन क्या था;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत राशि आवेदित राशि की तुलना में बहुत कम थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आर्थिक नीति की पुर्नसरचना के लिए विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति

417. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हमारी आर्थिक नीति की पुर्नसरचना करने के लिए विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अर्थव्यवस्था में सुधार करने संबंधी उपाय

418. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की अर्थव्यवस्था विशेषकर चालू वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न भण्डार औद्योगिक उत्पादन और धन की सप्लाई के बारे में उनके मंत्रालय की मई, 1992 की मूल्यांकन रिपोर्ट में की गयी मुख्य टिप्पणियां क्या हैं;

(ख) क्या रिपोर्ट अर्थव्यवस्था का निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) इस मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में चयनित निदेशकों के अनुसार अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का परिवीक्षण करती है। 5 जून, 1992 को जारी की गई मई, 1992 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में अप्रैल, 1992 के अंत में खाद्यान्नों के भंडारों में गिरावट, औद्योगिक उत्पादन में गतिहीनता और मुद्रापूर्ति में अधिक वृद्धि दिखाई गई है। इस रिपोर्ट में जिसमें आवश्यक रूप से अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक परिवर्तनों की परिवीक्षा की गयी है, मई, 92 महीने की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके ब्यौरों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न व्यापार घाटे का एक

रिकार्ड और विदेशी सहायता तथा विदेशी मुद्रा भंडारों की स्थिति में सुधार दिखाया गया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि अप्रैल-फरवरी, 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में आई 0.4 प्रतिशत की गिरावट अप्रैल-जनवरी, 1991-92 की अवधि में हुई कमी की अपेक्षा कम थी और इस प्रकार वास्तव में औद्योगिक उत्पादन में सुधार को सूचित करती है। इसमें खाद्यान्नों की निम्न वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिक मात्रा में निकासी के ब्यौरे भी दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के भंडारों में गिरावट आई है मुद्रापूर्ति में उच्च वृद्धि का मुख्य कारण वाणिज्यिक क्षेत्र को अधिक ऋण और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में निम्नस्तरीय कमी होना था। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति की दर में कमी के अनुसार आर्थिक स्थिति में सुधार, औद्योगिक क्षेत्र का समुन्नत कार्य-निष्पादन और विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि, जून, 1992 की अनुवर्ती मासिक आर्थिक रिपोर्ट में सूचित की गई है।

[हिन्दी]

गुजरात और उड़ीसा में कपड़े का उत्पादन

419. **श्री महेश कनोडिया:**
श्री श्रीकान्त जेना:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा और गुजरात में कपड़े का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और गुजरात में कपड़े के उत्पादन के लिए प्रत्येक वर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए थे और क्या उपलब्धियां रहीं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा वस्त्र उत्पादन के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के रुग्ण एककों को विद्युत करघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को सौंपना

421 **डा० आर० मल्लू:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत करघा क्षेत्र में निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत करघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं की भारत तथा विदेशों में विपणन में सहायता करने हेतु उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कुछ रुग्ण एककों को सौंपने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष आयात लाइसेंस

422. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आयात लाइसेंस शुरू करने तथा एशियन क्लियरिंग यूनियन में लेन-देन करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि "एशियन क्लीयरिंग यूनियन" व्यवस्था के अंतर्गत किए गए निर्यातों के संबंध में निर्यातकों को विशेष आयात

लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। यह 1.3.1992 को अथवा उसके बाद और अगले आदेश होने तक किए गए निर्यातों के संबंध में लागू होगा। विशेष आयात लाइसेंस योजना से संबंधित ब्यौरों की घोषणा अलग से की जाएगी।

शहरी सहकारी बैंकों संबंधी मराठे समिति

423. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट, जिसने सारे प्रकरण को ही बदल दिया है, को देखते हुए शहरी सहकारी बैंकों की पूरी कार्यप्रणाली को मराठे समिति के अन्तर्गत लाने के लिए इसके निदेश पदों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) नये शहरी सहकारी बैंकों को लायसेंस देने तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मराठे समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारार्थ विषयों में नए शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित नीति सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 मई, 1992 को प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है।

प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मारे गये छापे

424. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1992 तक विभिन्न-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समाहर्तालय-वार मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान समाहर्तालय-वार कितने मूल्य का बेहिसाब धन, सोना व अन्य सम्पति का पता लगाया गया; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और मुकदमा चलाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है:—

(रुपए करोड़ों में)

क्र०सं०	निदेशालय (अन्वेषण)	तलाशियों की संख्या	जब्त की गई परिसम्पतियों का मूल्य	छिपी हुई आय का प्रकटीकरण
1.	दिल्ली	105	1.90	3.82
2.	चण्डीगढ़	64	1.88	2.44
3.	कानपुर	67	7.69	3.87
4.	कलकत्ता	137	4.10	1.88
5.	अहमदाबाद	50	3.44	6.49
6.	पुणे	36	2.12	2.64
7.	बम्बई	204	45.87	124.07
8.	हैदराबाद	55	4.02	4.34
9.	मद्रास	58	14.05	4.68
10.	बंगलौर	40	0.54	3.98
	कुल	816	85.61	158.21

पूर्वोक्त तलाशियों के सम्बन्ध में अभी तक न ही कोई अभियोजन चलाया गया है और न ही किसी को दोष सिद्ध किया गया है।

अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पटसन के लिए नये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

425. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन उद्योग का विस्तार करने के लिए नये अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) पटसन उद्योग ने दोनों अर्थात् परम्परागत के साथ-साथ विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए नए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए प्रयास किए हैं जिसके फलस्वरूप सामान्य मुद्रा क्षेत्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 161 मिलियन अमरीकी डालर है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनिवासी भारतीय केन्द्र

426. श्री राम विलास पासवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अनिवासी भारतीयों के लिए कोई केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार का प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में चुनाव-क्षेत्रों का परिसीमन

427. श्री अटल बिहारी वाजपेयी:
श्री शंकर सिंह वघेला:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में चुनाव-क्षेत्रों के परिसीमन का काम पूरा करने और दिल्ली विधान सभा के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई निर्वाचित सरकार कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रक्रम पर यह बताना संभव नहीं है कि कब तक नई निर्वाचित सरकार का गठन हो जाएगा।

एसीटिक एनहाइड्राइड की तस्करी

428. **श्रीमती गिरिजा देवी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के प्रमुख शहरों के आसपास पेंट और प्लास्टिक उद्योगों से प्राप्त एक रसायन, एसीटिक एनहाइड्राइड को अफीम को हेरोइन में संसाधित करने के लिए पाकिस्तान को चोरी-छिपे भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज तक पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का यह द्रव्य जब्त किया गया है;

(ग) तस्करों की कार्य विधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) राजस्थान-पाकिस्तान सीमा के आर-पार भारत से पाकिस्तान में एसीटिक एनहाइड्राइड की तस्करी करने के प्रयत्नों का अभी हाल ही में पता लगाया गया है। वर्ष 1991 और 1992 (मई तक) के दौरान बुक किये गये मामलों की संख्या, पकड़ी गई एसीटिक एनहाइड्राइड की मात्रा और मूल्य तथा एसीटिक एनहाइड्राइड की तस्करी के संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:—

	1991	1992 (मई तक)
मामलों की संख्या	3	7
पकड़ी गई एसीटिक एनहाइड्राइड:		
मात्रा (लीटरों में)	1882.800	6765
मूल्य (लाख रुपयों में)	1. 10	4.87
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	1	8

रिपोर्टों से पता चलता है कि एसीटिक एनहाइड्राइड को जेरीकेनों में भरकर ट्रकों और जोंगाओं में लादकर मुम्बई और दिल्ली से राजस्थान-पाकिस्तान सीमा के आसपास के इलाकों को भेजा जाता है। इन जेरीकेनों को इसके बाद सीमा के निकट बालू के टीलों में छिपा दिया जाता है ताकि इन्हें ऊंटों पर लादकर चोरी-छिपे पाकिस्तान को भेजा जा सके।

सेतु समुद्रम परियोजना

429. **श्री एन० डेनिस:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में सेतु समुद्रम नहर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) सेतु समुद्रम नहर परियोजना के कार्यान्वयन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार न करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल्टिक राज्यों के साथ व्यापार

430. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल्टिक राज्यों तथा अन्य सी०आई०एस० गणराज्यों के साथ भारत के व्यापार सूची का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) भारत ने किन-किन वस्तुओं के आयात/निर्यात की पेशकश की है; और

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान यू०एस०एस०आर० और बाद में बाल्टिक राज्यों तथा सी०आई०एस० गणराज्यों के साथ व्यापार कारोबार का स्तर 5747.57 करोड़ रु० का था।

(ख) और (ग): भारत ने रूस, उजबेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, खिरगिज़स्तरन, उकरेन तथा तुर्कमिनिस्तान के साथ व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं। भारत को अभी बाटिक राज्यों के साथ व्यापार समझौते करने हैं। भारत ने रूसी संघ, उज़बेकिस्तान तथा कज़ाकिस्तान के साथ व्यापार संलेख भी संपन्न किए हैं। भारत ने इन गणराज्यों को कृषि उत्पादों, खनिजों तथा अयस्कों, रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं इंजीनियरी सामानों, वस्त्रों तथा कुछ अन्य मदों के निर्यात की पेशकश की है। सी०आई०एस० से आयात के लिए मदों की सूची में मशीनरी तथा उपकरण, तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद, वेल्लित इस्पात उत्पाद, अलौह धातुएं आदि शामिल हैं।

आर्थिक सहयोग संबंधी समझौते

431. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख:**
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पिछले तीन महीनों के दौरान किन-किन देशों और संस्थाओं के साथ कितनी-कितनी धनराशि के ऋण समझौते किए हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक देश और संस्था से ऋण की कितनी-कितनी धनराशि लेने का विचार है तथा उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें इस राशि का उपयोग करने का विचार है;

(ग) उन देशों और संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनसे ऋण लेने हेतु बातचीत चल रही है; और

(घ) बातचीत के लिए किन-किन विषयों को चुना गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) वर्तमान में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, इटली, जर्मनी और जापान से कृषि, सिंचाई, उर्वरक, ऊर्जा, उद्योग, संरचनात्मक ढांचे, पर्यावरण, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत माल के आयात जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है।

ऋण प्राप्त करने के लिए दाता देशों/संस्थाओं से बातचीत करना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, अन्ततः वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाएं वचनबद्धता की सीमा और समयावधि विस्तृत परियोजना तैयारी, दानी देश की अधिमानता और वचनबद्ध सहायता की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

विवरण

क्रम संख्या	देश/संस्था का नाम	ऋण की राशि	परियोजना/योजना जिसके लिए ऋण राशि का उपयोग करना है
1.	विश्व बैंक	3060 लाख अमेरिकी डालर	राष्ट्रीय राजमार्ग II-परियोजना
		840 लाख अमेरिकी डालर	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण
2.	एशियाई विकास बैंक	2250 लाख अमेरिकी डालर	द्वितीय रेलवे परियोजना
		2500 लाख अमेरिकी डालर	विद्युत दक्षता क्षेत्र परियोजना

क्रम संख्या	देश/संस्था का नाम	ऋण की राशि	परियोजना/योजना जिसके लिए ऋण राशि का उपयोग करना है
3.	जर्मनी	1120 लाख ड्यूश मार्क	हीट बायलर और स्टीम टर्बाइन जनरेटर के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड
		450 लाख ड्यूश मार्क	संरचनात्मक समायोजन के लिए

[अनुवाद]

शेयर बाजार के दलालों पर छापे

432. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति:**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 20 जून, 1992 को दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित शेयर बाजार के दलालों के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो इन छापों के दौरान पकड़े गए आपत्तिजनक दस्तावेजों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ये तलाशियां हर्षद मेहता ग्रुप के मामले में जांच-पड़ताल के संबंध में ली गई थीं। आयकर प्राधिकारियों को गिरफ्तार करने के बारे में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर भी, शेयर स्क्रिप्स, बैंक ड्राफ्ट्स, नकदी, अपराध-आरोपणीय बहीखाते तथा दस्तावेज और फ्लोपी डिस्केट्स अभिगृहीत किए गए हैं तथा इसके बारे में आगे और पूछताछ तथा जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।

आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतें

433. **श्री शरद दिघे:**
श्री शशि प्रकाश:
श्री एम० रमन्ना राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सरकार से पूंजी बाजार लेन-देन से संबंधित आर्थिक अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से विशेष अदालतों के नेटवर्क स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

नया बैंकिंग पर्यवेक्षी निकाय

434. **श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री मोहन रावले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नये बैंकिंग पर्यवेक्षी निकाय की स्थापना के लिए कुछ यूरोपीय देशों से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

कनोडिया जूट मिल्स, पश्चिम बंगाल

435. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री रूप चन्द पाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा में कनोडिया जूट मिल्स, सिजबेरिया को पुनः खोलने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को मिल चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने धन दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने 14.2.91 को कनोडिया जूट एंड इंडस्ट्रीज लि० के पुनरुद्धार के लिए एक योजना मंजूर की है। योजना में मिल का आधुनिकीकरण और नवीकरण करने तथा मिल खोलने पर हुए खर्च का वहन करने, अतिरिक्त मार्जिन, हठी ऋणदाताओं को आकस्मिक राशि का भुगतान करने आदि की परिकल्पना की गयी है। योजना की अनुमानित लागत 340 लाख रुपए है, जिसे निम्न प्रकार से पूरा किया जाना था:—

120 लाख रुपए	इक्विटी/प्रवर्तकों से लिए गए गैर जमानती ब्याज मुक्त ऋण
180 लाख रुपए	संस्थाओं से सावधि ऋण
40 लाख रुपए	बैंक आफ इण्डिया से सावधि ऋण
340 लाख रुपए	

(ग) कनोडिया जूट एंड इडस्ट्रीज लि० के पुनरुद्धार के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर की गयी योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग संस्थाओं से सहायता की राशि का विशिष्ट आबंटन किए बगैर संस्थाओं से कुल 180 लाख रुपए के सावधि ऋणों की परिकल्पना की गयी है। औद्योगिक एवं वित्तीय बोर्ड ने सूचित किया है कि इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है और वे इसकी समीक्षा कर रहे हैं।

(घ) से (च) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

निर्यात आय में वृद्धि

436. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान निर्यात से प्राप्त आय में उससे पहले की तिमाही की अपेक्षा काफी अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन वस्तुओं के निर्यात से आय में वृद्धि हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत के विदेश व्यापार

के अनन्तिम आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष के केवल अप्रैल, 1992 माह के ही उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1992 के दौरान जी सी ए (सामान्य मुद्रा क्षेत्र) देशों को भारत से 3671.87 करोड़ रुपए के निर्यात हुए थे, जबकि अप्रैल, 1991 के दौरान 2561.64 करोड़ रुपए के निर्यात हुए थे, इस प्रकार 43.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर पी ए (रुपया भुगतान क्षेत्र) देशों को अप्रैल, 1992 के दौरान भारत से निर्यात 288.14 करोड़ रुपए के थे, जबकि अप्रैल, 1991 के दौरान 390.65 करोड़ रुपए के निर्यात हुए थे, इस प्रकार 26.24 प्रतिशत की गिरावट आई।

(ग) मोटे अनुमानों के अनुसार अप्रैल 1991 की तुलना में अप्रैल 1992 के दौरान जिन वस्तुओं का मुख्य रूप से निर्यात हुआ, उनमें चाय, कॉफी, काजू गिरियां, आयल मिल्स, फल एवं सब्जियां, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क को छोड़कर अन्य अयस्क एवं खनिज, चमड़े की वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, मूल रसायन, इंजीनियरी माल, सूती यार्न तथा फैब्रिक्स, मानव निर्मित यार्न फैब्रिक्स, हाथ से बने कालीन, हस्तशिल्प, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल हैं।

गोवा को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करना

437. **प्रो॰ राम कापसे:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गोवा सरकार से राज्य को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत में मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता की जांच करने के लिए गठित परामर्शदात्री समिति ने इसे गोवा में स्थापित करने की सिफारिश की है। गोवा सरकार ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया है रिपोर्ट में कई ऐसे पहलू हैं, जिनकी विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और इसके पूरा होने पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

438. **श्री आनन्द अहिरवार:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वालों के सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) भारत सरकार, सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सैनिकों की स्मृति में, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, दिल्ली में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित करने पर विचार कर रही है।

न्यायिक प्रणाली के संबंध में ग्यारहवें विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

439. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवें विधि आयोग और मुख्य न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा न्यायिक प्रणाली को सरल, सुगम और शीघ्रकारी प्रगतिशील बनाने के लिए 11वें विधि आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच॰आर॰ भारद्वाज): (क) और (ख) ग्यारहवें विधि आयोग ने, जिसे फरवरी, 1986 में न्यायिक सुधार के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था,

सरकार को कुल मिलाकर 18 रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। इन रिपोर्टों में अनेक सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। इन सिफारिशों से अनेक मंत्रालय संबंधित हैं। ये मुख्यतः न्याय प्रशासन की प्रणाली के विकेन्द्रीकरण, प्रक्रिया विधि में सुधार, अधिकारिता में सुधार, मुकदमा कार्य में कमी करने, बचने, मुकदमों के निपटारे की वैकल्पिक पद्धति आदि से संबंधित हैं। कुछ रिपोर्टों पर कार्रवाई पहले ही पूरी हो गई है। अन्य रिपोर्टें विभिन्न प्रक्रमों पर सरकार के विचाराधीन हैं।

1989 में सरकार ने, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति श्री वी०एस० मलिमथ की अध्यक्षता में उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशें, सरकार को सितंबर, 1990 में प्राप्त हुई और इनमें अधिकारिता और प्रक्रियात्मक सुधार, विशेष प्रकार के मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय स्थापित करने, न्यायालयों का आधुनिकीकरण जैसे विभिन्न पहलू सम्मिलित थे। ये सिफारिशें, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं और उन्हें उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर स्मरण कराया जा रहा है।

सागर द्वीप और वाराणसी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा

440. **प्रो० राधिका रंजन प्रमाणिक:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप स्थित कपिल मुनि के आश्रम और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग (गंगा) सहित अंतर्देशीय जलमार्गों पर प्रचालन निजी प्रचालकों सहित सभी प्रचालकों के लिए खुला है। केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने ऐसे प्रचालन का समर्थन नहीं किया है।

भूतपूर्व सैनिकों को एक बार पेंशन वृद्धि

441. **डा० ए० के० पटेल:**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को एक बार पेंशन वृद्धि दिए जाने में कुछ श्रेणियों को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में विसंगतियों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "एक बार पेंशन वृद्धि" का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी हकदार व्यक्तियों को एक बार पेंशन वृद्धि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में) ने पेंशन में एक बार की वृद्धि की सिफारिश करते समय कहा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन में तदर्थ

वृद्धि संबंधी योजना में शामिल किए गए अन्य सभी सिद्धांतों को पेंशन में एक-बार की वृद्धि संबंधी मौजूदा योजना में भी लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह था कि पुनः नियुक्त सशस्त्र सेनाओं के पेंशनर अथवा दो सेवा, सेवा निवृत्ति पेंशन पा रहे पेंशनर पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि वे सिविलियन कर्मचारियों की भांति ही 55/58 वर्ष की आयु तक सेवा कर चुके हैं या करेंगे। अतः इस प्रकार के सशस्त्र सेना कार्मिकों को उक्त योजना में जानबूझ कर शामिल नहीं किया गया है।

2. पेंशन में एक-बार की वृद्धि संबंधी योजना उन व्यक्तियों के मामले में भी लागू नहीं की गई है जो सेवा पेंशन प्राप्त नहीं करते परन्तु अनुकम्पा, भत्ता, गुजारा, रिजर्विस्ट-भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता, जिस पर महंगाई राहत देय नहीं होती, प्राप्त करते हैं। यह योजना उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं की गई है जो वीरता पुरस्कारों से सम्बद्ध महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं परन्तु सेवा/सेवा निवृत्ति पेंशन की गई सेवा के आधार पर मिलने वाली निशक्तता पेंशन या युद्ध घायल पेंशन पाते हैं या ऐसे पेंशनर जिन्होंने, केन्द्रीय/राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों और स्वायत्तशासी निकायों में स्थायी रूप से नियुक्त हो जाने पर, 100% पेंशन का सारांशीकरण करवा लिया है।

3. उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें विभिन्न अवधियों के दौरान सेवानिवृत्त हुए तीनों सेनाओं के नियमित अफसरों और कार्मिकों को पेंशन संबंधी पात्रता के आधार पर तैयार की गई थीं। भूतपूर्व रियासतों की सेना के पेंशनरों, प्रादेशिक सेना के पेंशनरों, पाकिस्तान/बर्मा/एच के एस आर ए/यू के के पेंशनरों आदि जैसे अन्य श्रेणियों के मामले में पेंशन में एक बार की वृद्धि संबंधी योजना लागू करने के बारे में अलग से विचार किया जाना है। जैसाकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन में तदर्थ आधार पर वृद्धि संबंधी योजना में उल्लेख किया गया है।

4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अथवा ऐसी ही अन्य श्रेणियों के सशस्त्र सेना पैंशनरों की पेंशन में एक बार की वृद्धि देने की व्यवहार्यता पर विचार के लिए रक्षा, वित्त और विधि मंत्रालय और पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग और सेना मुख्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विसंगति निवारण समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव है।

5. पेंशन में एक-बार वृद्धि का शीघ्र आबंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे सभी पेंशन वितरण एजेंसियों को सरकारी आदेश का तत्काल आबंटन, राष्ट्रीय समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार, समाचार पत्रों में आवेदन प्रपत्र का प्रकाशन, योजना के बारे में पेंशन संवितरण प्राधिकरण के कर्मचारियों को जानकारी देने की व्यवस्था करना, पेंशन में एक बार वृद्धि के तत्काल भुगतान के बारे में आवधिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग और पेंशन में एक बार वृद्धि योजना को शीघ्र लागू करने के लिए मुख्य नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन संशोधन) का अस्थाई संगठन स्थापित करना।

6. अधिकतर सशस्त्र सेना पेंशनरों को पेंशन में एक बार की वृद्धि के भुगतान का कार्य चल रहा है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसके पूरा होने की आशा है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा का अवैध लेन-देन

442. **श्री जनार्दन मिश्र:**
श्री अरविन्द त्रिवेदी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विदेशी मुद्रा में तेजी से अवैध लेन-देन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी राशि की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है; और

(घ) सरकार इस लेन-देन को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) जी हां, गत दो महीनों के दौरान 6.12 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की गई और इस सम्बन्ध में 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(घ) अपराधियों से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में तलाशियों, जब्ती, गिरफ्तारी, न्याय-निर्णयन कार्यवाही करने और अभियोजन सम्बन्ध उपबन्ध निहित है। मामलों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है और समय-समय पर उपयुक्त उपायों के लिए पुनरीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

अमरीकी व्यापार कानून के विशेष 301 प्रावधान

443. **डा० असीम बाला**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका व्यापार कानून के विशेष 301 प्रावधानों पर अमरीका के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते का भारत-अमरीका व्यापार तथा विभिन्न उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले को कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत और अमरीका के बीच मुख्य मतभेद एकस्व (पैटेन्ट्स) के मुद्दे पर है। जहां अमरीका द्विपक्षीय रूप में भी अपना ही हित देख रहा है, वहां भारत ने यह रुख अपनाया है कि इन मामलों को उरुग्वे दौर में चल रही बहुपक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में यह बताना कठिन है कि कितने समय में यह मामला सुलझा लिया जाएगा।

बैंकों में जमा पर ब्याज की दरें

444. **श्री प्रतापराव बी० भौंसले:**
डा० सी० सिलवेरा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, राज्यों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों में विभिन्न प्रकार की जमाराशियों की ब्याज दरों को हाल ही में बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि से राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को विवेकाधीन अतिरिक्त ब्याज सुविधा प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक अनुसूचित बैंकों की 46 दिनों से 3 वर्षों और अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए जमाराशि दरों का निर्धारण 22-4-92 से 13.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी। जमाराशि की संशोधित दरें केवल नई जमाराशियों पर और परिपक्व जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी। नई व्यवस्था के अन्तर्गत, जहां बैंक परिपक्वता और जमा दरों के

निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं उन्हें अपनी पसन्द की तीन परिपक्वता अवधि का निर्धारण करना होता है और प्रत्येक परिपक्वता अवधि की दरों में, किसी भी दो लगातार परिपक्वता स्लेब के बीच कम से कम 0.25 प्रतिशत बिन्दु का ब्याज दर विभेदक होना चाहिए।

उपर्युक्त बैंकों की बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों को भी एक प्रतिशत बिन्दु बढ़ाकर 24 अप्रैल, 1992 से 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने विवेक के अनुसार निर्धारित दरों के अतिरिक्त बचत खाता जमाराशियों और सावधि जमाराशियों पर क्रमशः 1/4 प्रतिशत और 1/2 प्रतिशत वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज दर देना जारी रख सकते हैं। तथापि, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंकों को बचत बैंक जमाराशियों के लिए निर्धारित ब्याज दर के अतिरिक्त 1/2 प्रतिशत वार्षिक भुगतान की अनुमति है जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य सहकारी बैंकों को निर्धारित ब्याज दर के अतिरिक्त 1/4 प्रतिशत के भुगतान की अनुमति है।

विवाह योग्य आयु में वृद्धि

445. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पुरुषों और स्त्रियों दोनों की सांविधिक विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) और (ख) पुरुषों और स्त्रियों दोनों की कानूनी विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने संबंधी मुद्दे की जांच, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से, की जा रही है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण

446. **कुमारी क्रिडा तोपनो:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योग लगाने हेतु बैंक ऋण के लिए प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया; और

*(ख) वर्षवार कितने लोगों को कितनी-कितनी धनराशि दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) उड़ीसा राज्य के लिए संयोजक बैंक, यूको बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों की संख्या जिन्होंने उड़ीसा में बड़े, मझौले तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आवेदन किया था, क्रमशः 6801, 7415 तथा 5140 थीं।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान स्वीकृत ऋणों की धन राशि तथा व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थीं:—

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ऋण मंजूर किए गए	स्वीकृत ऋणों की धन राशि (लाख रुपए में)
1989-90	6206	852
1990-91	6744	990
1991-92	3697	589

[हिन्दी]

सैनिक शिक्षा

447. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में सैन्य सेवा ऐच्छिक आधार पर है, इसलिए सरकार सैन्य शिक्षा को अनिवार्य करना आवश्यक नहीं समझती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विकास योजना

448. **श्री वी० एन० रेड्डी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा तैयार की गई किसी विकास योजना पर विचार किया है, जैसा कि 14 मई, 1992 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) सरकार ने एन० टी० सी० का सर्वांगीण सुधार करने की नीति पर विचार किया है जिसमें उसका पुनर्निर्माण, समाधेलन, आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्थीकरण निहित है। लेकिन इस बारे में उसने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

मुख्य पत्तनों की अप्रयुक्त भूमि का वाणिज्यिक विकास

449. **श्री चित्त बसु:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 10 अप्रैल 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6846 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुम्बई, मद्रास, कोचीन, पारादीप पत्तन न्यास और अन्य मुख्य पत्तनों की भी अप्रयुक्त भूमि के वाणिज्यिक विकास की स्वीकृति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न मुख्य पत्तनों पर अप्रयुक्त पड़ी भूमि का उसके वर्तमान अनुमानित मूल्य सहित पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव के संबंध में इस बीच संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ङ) कलकत्ता पत्तन न्यास के मामले के अलावा अन्य किसी महापत्तन के संबंध में इस

समय कोई प्रस्ताव नहीं है। विभिन्न महापत्तनों में इस्तेमाल न की जा रही भूमि तथा उसके मूल्य के विस्तृत ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

कलकत्ता पत्तन न्यास नीति के प्रस्ताव के संबंध में, पत्तनों, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार प्राधिकरणों के अधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित की गई और उसने निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन हेतु विस्तृत योजना तैयार करने की सिफारिश की थी।

सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमाराशि को न निकालने पर प्रोत्साहन ब्याज

450. **डा० सी० सिलवेरा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सामान्य भविष्य निधि लेखाओं में जमाराशियों में से कुछ अवधि तक राशि न निकालने पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन ब्याज योजना को फिर से लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रोत्साहन बोनस से मुख्यतः उच्च आयवर्ग के कर्मचारियों को लाभ पहुंचा और निम्न आय वाले कर्मचारी, जिसके पास निकासियों के अतिरिक्त और विकल्प नहीं था, इस लाभ को प्राप्त नहीं कर सके।

[हिन्दी]

निर्यातकों को सोने और स्वर्णाभूषणों की सप्लाई

451. **श्री साईमन मरान्डी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णाभूषण निर्यातकों को सोने की सप्लाई रोक दी गई है जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है/कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रत्न और आभूषण निर्यात योजना के अन्तर्गत स्वर्णाभूषण निर्यातकों को तुरन्त सोने की सप्लाई के संबंध में एक नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जी नहीं, भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, अल्पावधि व्यवधानों को छोड़कर, स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और आपूरण स्कीम के अन्तर्गत निर्यातकों को सोने की आपूर्ति को बन्द नहीं किया गया है। यह व्यवधान लन्दन बाजार में 0.999 शुद्धता का सोना उपलब्ध न होने के कारण हुआ था।

(ग) और (घ) सरकार ने स्वर्ण आभूषण निर्यातकों को सोने की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय स्टेट बैंक को 0.995 परिशुद्धता के सोने के आयात की अनुमति, एम० एम० टी० सी० को सार्वजनिक सूचना संख्या 24 और 23 के अनुसार घरेलू शुल्क क्षेत्र में निर्यातकों को 0.995 शुद्धता के सोने की आपूर्ति की अनुमति दी गई है और एक्सिम नीति, 1992—97 के पैराग्राफ 88 छ के अन्तर्गत स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस के अधीन घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी० टी० ए०) में स्थित इकाइयों द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए निर्यात-पूर्व आधार पर 18 कैरेट से ऊपर के सोने के आयात के लिए स्कीम की भी घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से हेरोइन तैयार करने वाली प्रयोगशालाएं

452. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, बाराबंकी और बरेली

जिलों में युवाओं के बीच हेरोइन की खपत में भारी वृद्धि होने के साथ इन जिलों की अफीम पट्टी में अवैध रूप से हेरोइन तैयार करने वाली प्रयोगशालाओं में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अब तक पता लगायी गयी ऐसी प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है और इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बाराबंकी और बदायूं जिलों में अफीम को हेरोइन में बदलने के कार्य में लगी हुई काम चलाऊ प्रयोगशालाओं के पता चलने और नष्ट करने के कुछ मामले नोटिस में आए हैं जबकि पिछले दो वर्षों के दौरान वाराणसी और बरेली से ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसमें विश्वास का कोई कारण नहीं है कि युवाओं के बीच हेरोइन की खपत में भारी वृद्धि हुई है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पता लगी अवैध प्रयोगशालाओं के ब्यौरे संलग्न विवरणी में दिए गए हैं। ऐसी गुप्त प्रक्रिया में अर्न्तग्रस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है तथा कानून के अनुसार अभियोजन चलाया जाता है तथा काम चलाऊ प्रयोगशालाओं को नष्ट किया जाता है।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश में निर्माण सुविधाओं के नष्ट करने के संबंध में सूचना

क्रम सं॰	तारीख	स्थान	एजेंसी	जब्त किए गए पदार्थ-उपस्कर आदि का नष्ट किया जाना	गिरफ्तार किए गए नशीले व्यक्तियों की सं॰
1.	13.9.90	मुमन चौक पुराना बाजार, बदायूं, उत्तर प्रदेश	सी॰बी॰एन॰	हेरोईन 0.090 कि॰ ग्रा॰ तथा प्रयोगशाला उपस्कर	1 भारतीय
2.	6.4.90	वजीरगंज, बदायूं, उत्तर प्रदेश	सी॰बी॰एन॰	हेरोइन 0.315 कि॰ ग्रा॰ अफीम 3.350 कि॰ ग्रा॰ अफीम अवशेष 1.000 कि॰ ग्रा॰	1 भारतीय
3.	29.5.90	बिलीसिरसा पुलिस स्टेशन-बालगंज बदायूं, उत्तर प्रदेश	सी॰बी॰एन॰	अफीम अवशेष 0.800 कि॰ ग्रा॰ तथा प्रयोगशाला की वस्तुएं	1 भारतीय
4.	5.4.91	ग्राम जालापुर पी॰एस॰ असनधारी जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	सी॰बी॰एन॰	हेरोइन 0.110 कि॰ ग्रा॰ अफीम 0.700 कि॰ ग्रा॰ तथा प्रयोगशाला उपकरण	2 भारतीय
5.	24.5.91	गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	सी॰बी॰एन॰	हेरोइन 0.950 कि॰ ग्रा॰, अफीम अवशेष 2.450 कि॰ ग्रा॰ अफीम घोल 5 लीटर, एसिटिक एनहाइड्राइड की एक छोटी बोतल, एक प्लास्टिक की बेसिन, एक छोटी तराजू, दो क्लाथ फिल्टर	5 भारतीय

बिहार में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की अप्रयुक्त धनराशि

453. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता राशि में से कितनी राशि खर्च नहीं हो पाई; और

(ख) उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) इस समय विश्व बैंक की सहायता से केवल बिहार में कार्यान्वित की जा रही दो परियोजनाएं हैं — अर्थात् बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना और झरिया कोयला परियोजना 1 मई, 1992 के अंत तक परियोजनाओं पर खर्च न की गई शेष राशि 170.79 लाख अमेरिकी डालर थी।

इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय/बहुराज्य स्तर की 11 अन्य परियोजनाओं में बिहार का अंगभूत हिस्सा है। कानूनी दस्तावेजों में राज्य के विशिष्ट आबंटनों की मात्रा नहीं दर्शाई जाती है।

(ख) आहरण की गति परियोजना की अवधि तक ही होती है जो सामान्यतया 5 से 9 वर्ष है।

खड़की स्थित गोला बारूद कारखाने में दुर्घटना पर जांच समिति की रिपोर्ट

454. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खड़की स्थित गोला बारूद कारखाने में हुई दुर्घटना के कारणों की जांच हेतु नियुक्त की गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कौन से सतर्कता उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में जांच अदालत के निष्कर्षों और सिफारिशों तथा आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड की टिप्पणियों पर सरकार विचार कर रही है।

वित्तीय सुधारों हेतु विश्व बैंक से ऋण

455. **श्री रामनरेश सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में एक मूल्यांकन मिशन भारत भेजा था;

(घ) क्या इस ऋण के लिए कोई शर्त निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ङ). जी, नहीं। तथापि, वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के समर्थन के लिए संभावित ऋण हेतु बहुपक्षीय संस्थानों के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी संयुक्त राज्य एजेंसी से सोयाबीन तेल का आयात

456. **श्री वी०एस० विजयराघवन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी संयुक्त राज्य एजेंसी से चालू वर्ष के दौरान सोयाबीन तेल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा;

(ग) क्या इस संबंध में अमरीका के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) भारत सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार प्रत्येक अमेरिकी वित्त वर्ष 1992 और 1993 में भारत को 250 लाख अमेरिकी डालर मूल्य (परिवहन लागत सहित) का लगभग 50,000 मीट्रिक टन कच्चा गोंद रहित सोयाबीन तेल उपहार स्वरूप देने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) और (घ) 28.5.92 को दोनों देशों के बीच उपर्युक्त उपहार-स्वरूप सोयाबीन तेल के आयात संबंधी करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस करार के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम सोयाबीन तेल को भारतीय पत्तन पर प्राप्त करेगा और इसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से बेचेगा। इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सोयाबीन तेल की बिक्री आय का एक हिस्सा आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों को रखने और पुनर्तैनाती की लागत को पूरा करने और औद्योगिक इकाइयों की पुनर्संरचना द्वारा प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए स्थापित राष्ट्रीय नवीकरण निधि में अंशदान के लिए उपयोग किया जाएगा। सोयाबीन बिक्री आय के एक हिस्से का भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के माध्यम से कृषि उद्योगों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

बैंक परिक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

457. **श्री राम लखन सिंह यादव:**
श्री लाल बाबू राय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न बैंकिंग भर्ती बोर्ड सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति देते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बोर्डों का परीक्षा-वार ब्यौरा क्या है जो हिन्दी के प्रयोग की अनुमति देते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी हां।

(ख) लिपिका भर्ती तथा परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती से संबंधित दो प्राथमिक परीक्षाओं का संचालन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा किया जाता है। स्थायी निदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों को लिपिकीय संवर्ग की परीक्षाओं के वर्णनात्मक पर्चों के लिए अपने उत्तरों को बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी अथवा अंग्रेजी एव परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परीक्षा के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखने का विकल्प प्राप्त है: तथापि, बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति वाली भाषाओं में से अभ्यार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए केवल एक भाषा का प्रयोग करना होगा।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होगा।

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी

458. **श्री राजवीर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गए; और

(ग) उन से कितना माल पकड़ा गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान पता लगाये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या 5,639 है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या 16 है।

(ग) पकड़े गये माल की मात्रा देने के लिये लम्बी-लम्बी सूचियां तैयार करनी पड़ेगी जिनमें हर किस्म के उत्पाद के संबंध में पकड़े गये माल के यौरे और मात्राएं अलग-अलग से बतानी पड़ेंगी और इस सूचना को संकलित करने और उसे प्रस्तुत करने में जितना समय, प्रयास और खर्च करना पड़ेगा वह इससे प्राप्त होने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, वर्ष 1991-92 के दौरान पकड़े गये माल का मूल्य 139.72 करोड़ रुपये है।

सीमाशुल्क के अपवंचन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

एस०टी०ए० परमिट

459. **श्री जीवन शर्मा**: क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस०टी०ए० परमिट के सभी आवेदकों को अब तक प्रतिभूति जमाराशि लौटा दी गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा बिना और बिलम्ब के इस धनराशि को शीघ्र लौटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बहुत से एस०टी०ए० परमिट या तो बेच दिए गए हैं या अनुबंधों पर दे दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे परिमिट धारकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार ने अभी दिए गए 3000 एस०टी०ए० परिमटों को आगे बेचने या उन्हें अन्य लोगों को अनुबंध पर देने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय लगभग 7300 आवेदकों की प्रतिभूति जमाराशि लौटाई जानी है। 15.7.92 तक चैक तैयार हो जाने की आशा है। धनराशि की वापिसी (रिफंड) को भुगतान और लेखा कार्यालय के माध्यम से निकाला जाना है और इस प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि अलग-अलग बिल तैयार करने पड़ते हैं।

(ग) से (ङ) 3000 स्टेज कैरिज परमिट जारी करने की स्कीम के अन्तर्गत अब तक किसी भी व्यक्ति को परिमट नहीं दिए गए हैं। इसलिए, परिमट की बिक्री अथवा ठेकों का सवाल ही नहीं उठता।

कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

460. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव**: क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1985 में बनाये गये विशेष कोष से जनवरी 1992 तक 805 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आधुनिकृत किये ये कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने मिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है;

(घ) अन्य मिलों द्वारा अपने कार्य-निष्पादन में कब तक सुधार किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या देश में कपड़ा मिलों में सुधार करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) यदि हां, तो 1 जुलाई 1992 तक कपड़ा मिलों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां

(ख) से (घ) आई डी बी आई द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अभी तक 357 एककों के आधुनिकीकरण सहायता दी गई है। इन एककों में से 174 एककों ने आधुनिकीकरण योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया है। आधुनिकीकरण सहायता के फलस्वरूप वस्त्र एककों की लाभप्रदता तथा प्रचालन कार्यकुशलता में सुधार होने का पता चला है। तथापि, ऐसे लाभ की मात्रा अलग-अलग एककों में भिन्न है जोकि अप्रचलित मशीनों की सामान्य स्थिति, आधुनिकीकरण कार्यक्रम की गुंजाईश, प्रबंधन के स्तर आदि पर निर्भर करती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति

461. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:**
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:
श्री मोहन धावले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घोटाले को देखते हुए भारत में विदेशी बैंकों के संचालन के लिए वर्तमान लाईसेंस प्रणाली में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान विदेशी बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए दी गयी अनुमति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रवाधानों के अनुसार अनुमति दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन के लिए वर्तमान लाइसेंसिंग नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने विदेशी बैंक की नयी शाखाएं खोलने के लिए हाल ही में लाइसेंस जारी किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्रम सं॰	विदेशी बैंक का नाम	उस केन्द्र का नाम जहां पर शाखा खोलने की अनुमति दी गयी है	वह महीना जिसमें लाइसेंस जारी किया गया
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	मद्रास	मार्च 1992
2.	हांगकांगबैंक	बंगलौर	मई 1992

भारत जूट मिल्स का राष्ट्रीयकरण

462. **श्री तेज नारायण सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भारत जूट मिल्स के राष्ट्रीयकरण हेतु बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों से कोई प्रस्ताव मिला है ताकि इस मिल को आधुनिक और अर्थक्षम बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शेयर दलालों पर आयकर छापे

455. **श्री हरि किशोर सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के प्रारंभ में देश आयकर विभाग ने शेयर दलालों के परिसरों पर छापे मारे थे; और

(ख) यदि हां, तो इन छापों के दौरान की गई तलाशी में पाई गई सामग्री पर अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जी हां। माह जनवरी, 1992 के दौरान बम्बई तथा मद्रास स्थित शेयर दलालों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं। इन तलाशियों के दौरान निम्नलिखित परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं:—

	(लाख रु० में)
नगदी	9.25
जेवर-जवाहिरात	12.52
अन्य	209.45
कुल	231.22

कर-निर्धारितियों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अन्तर्गत 249.93 लाख रु० की आय घोषित की। जहां-कहीं परिसम्पत्तियां अभिगृहति की गई थीं, वहां पर धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश पारित किए गए हैं। अभिगृहीत की गई पुस्तकों तथा दस्तावेजों की संवीक्षा तथा अन्य जांच-पड़ताल विषयक कार्यवाहियां की गई हैं।

कालीकट और माहे के लिए बाईपास सड़क

464. **श्री ई० अहमद**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के कालीकट और माहे में राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 47 पर दो बाईपास सड़कों के निर्माण के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितना धन आवंटित किया गया है,

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (घ) कालीकट बाईपास चार चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण के लिए भूमि-अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अन्य तीन चरणों में अभी यह प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 1213.034 लाख रु० की राशि मंजूर की गई है। कालीकट बाईपास के प्रथम चरण के निर्माण कार्य को अनुमोदन हेतु 14.6 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

माहे बाईपास को दो चरणों में विकसित किया जाना है। 425.89 लाख रु० की अनुमोदित

लागत से प्रथम चरण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य किया जा रहा है। चरण-दो के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य में केरल और पांडिचेरी के बीच समन्वय करना शामिल है जिसके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

उपर्युक्त संदर्भित बाईपास को पूरा करने संबंधी लक्ष्य के बारे में अभी बताना कठिन है क्योंकि यह भूमि अधिग्रहण कार्य के पूरा होने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

465. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके पुनर्वास तथा कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या गत छः महीनों के दौरान सरकार को राज्य के भूतपूर्व सैनिकों से उनकी पेंशन इत्यादि के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की अनुमानित संख्या 1.82 लाख है।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए व्यापक पैमाने पर उपाय किए गए हैं। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। जो रक्षा सेवा कार्मिक युद्ध अथवा शांति काल में निशक्त हुए हैं तथा जिनकी निशक्तता का कारण सैन्य सेवा रही है उन्हें रोजगार के मामले में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों, अर्ध-सरकारी एजेंसियों तथा उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" में 9% पद और समूह "घ" 14% पद आरक्षित किए हैं।

3. केन्द्र सरकार की कई योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के अवसर मुहैया करती हैं। इन योनजाओं में सेमफेस्क-i योजना है जिसके अंतर्गत लघु उद्योग परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; सेमफेक्स-II योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित तथा गैर-कृषि आधारित लाभकर कार्यकलापों में सहायता दी जाती है; सेमफेक्स-III योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम-उद्योगों को बढ़ावा देकर स्व-रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया किए जाते हैं और इनके अलावा उन्हें पैट्रोलियम पदार्थों की बिक्री की एजेंसियों का आबंटन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एजेंसियां आदि का आबंटन किया जाता है। भूतपूर्व सैनिक को मिलिटरी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा नजदीकी सी एस डी कैंटीनों में कैंटीन सुविधाएं पाने के लिए वे प्राधिकृत हैं। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल के किराए में 75% छूट दी गई है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों को देश के भीतर हवाई यात्रा करने तथा द्वितीय क्षेणी में रेल यात्रा करने के लिए 50% की छूट दी गई है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, युद्ध में निशक्त हुए और शांति काल में हताहत हुए सैनिकों को मकान बनाने तथा उनकी पुत्रियों का विवाह करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को जो गरीबी में गुजर-बसर कर रही हैं, रक्षा मंत्रालय तथा राज्य सैनिक बोर्डों की कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष चिकित्सा उपचार के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं।

4. रक्षा मंत्रालय में एक विशेष पेंशन शिकायत एकक है जो पेंशन और अन्य समबद्ध मामलों में भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। पिछले छह महीने में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के प्राप्त हुई 10 शिकायतों में से 9 शिकायतें पेंशन और एक जंगी इनाम में वृद्धि किए जाने के बारे में है। प्राप्त शिकायतों पर यह एकक शीघ्र कार्रवाई करके शिकायतकर्ताओं को उत्तर भेजता है।

उच्च न्यायालय भवनों तथा आवास स्थानों के निर्माण के लिए धनराशि

466. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास स्थानों के निर्माण के लिए धनराशि उपलबध कराती हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को निचले न्यायालयों के लिए भवनों का निर्माण करने हेतु इस धनराशि का उपयोग करने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, ते तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि किसी धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है, तो क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार से धनराशि हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) से (घ) आठवें तथा नौवें वित्त आयोग (1989-09 के लिये पहली रिपोर्ट) ने राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को मौजूदा जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये न्यायालय भवन तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों के निमार्ण के लिये अनुदान दिये जाने की सिफारिश की थी। नौवें वित्त आयोग ने 1989-90 के लिये अपनी पहली रिपोर्ट के नये बने तीन राज्यों, अरूणाचलप्रदेश , गोवा व मिजोरम राज्यों के संबंध में प्रशासन के स्तर-उन्नयन के अनुसार अनुदानों के क्षेत्रवार ब्यौरे नहीं दिये थे और क्षेत्रवार योजनायें इन राज्यों का सरकारों द्वारा तैयार की जानी थी, मिजोरम शासन ने 4 लाख रु० के परिव्यय से उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया है। मौजूदा जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय भवनों तथा इन न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों के संबंध में आठवें तथा नौवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये अनुदानों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं,

(ङ) और (च): प्रश्न नहीं उठता।

विवरण पत्र 1

आठवें और नवें (पहेली रिपोर्ट) वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायालय भवन तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण हेतु दिया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

राज्य	आठवां वित्त आयोग						नवां वित्त आयोग					
	न्यायालय भवन			रिहायशी क्वार्टर			न्यायालय भवन			रिहायशी क्वार्टर		
	89-90	90-91	91-92	89-90	90-91	91-92	89-90	90-91	91-92	89-90	90-91	91-92
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. आन्ध्र प्रदेश	44.12	—	—	34.03	—	—	125.87	38.92	—	32.68	9.66	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	42.18	—	24.49	0.96	—	0.78
3. असम	44.13	7.28	—	8.08	0.38	—	15.58	—	19.27	1.08	—	1.54
4. बिहार	—	—	1.28	—	—(-)	19.93	5.82	—	9.18	15.26	—	21.42
5. गोवा	1.59	15.57	—	0.94(-)	5.12	—	16.45	—	27.25	4.59	1.52	7.30
6. हिमाचल प्रदेश	4.68	—	—	0.92	—	—	8.77	—	—	1.54	0.17—	
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	7.31	—	—	5.13	—	—
8. केरल	—	12.60	3.94	—	9.14(-)	17.03	3.75	5.63(-)	1.88	5.56	11.79(-)	1.63
9. मध्य प्रदेश	4.80	—	—	1.60	0.21	—	7.75	—	7.25	2.71	—	2.53
10. मणिपुर	1.56	—	—	1.95	—	—	—	—	—	3.23	1.22	—
11. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	1.00	3.00	—	—	—
12. नागालैंड	—	—	—	2.19	—	—	—	—	—	2.75	—	1.64
13. उड़ीसा	3.20	—	—	4.52	—	—	9.65	—	5.35	—	—	—
14. राजस्थान	0.40	0.40	—	—	1.26(-)	1.53	11.34	26.16	—	1.19	2.74	—
15. सिक्किम	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
16. पश्चिम बंगाल	20.40	2.40.	—	31.23	5.93	—	16.60	—	13.40	5.80	—	4.68
जोड़	124.88	38.25	5.22	85.65	11.80(-)	38.49	271.07	71.71	107.31	82.43	27.10	38.26

टिप्पणी: आठवें वित्त आयोग के निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकांश पूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो जाने के आधार पर तथा खाते में आदयगी के रूप में 1985—89 के दौरान दी गई थीं। वर्ष 1989—92 के दौरान दी गई राशियां अंतिम राशियां / समायोजनों के रूप में होती है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

467. **श्री राम नाईक:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से तीन राष्ट्रीय राजमार्गों, मुम्बई-आगरा, मुम्बई-बंगलौर तथा मुम्बई-अहमदाबाद के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 1991-92 के दौरान गुजरात तथा महाराष्ट्र को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु प्रति किलोमीटर कितना अनुदान मिला?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) चालू वित्त-वर्ष के दौरान, प्रश्नगत राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में राज्य सरकारों से चार प्राक्कलन, प्राप्त हुए हैं जिनमें से प्रत्येक 50 लाख रु० से कम राशि का है। तथापि, उन्हें ये प्राक्कलन लौटा दिए गए हैं क्योंकि इस श्रेणी के निर्माण कार्यों के लिए, जिनके संबंध में राज्य सरकार से अभी तक मसौदा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रख-रखाव संबंधी अनुदान क्रमशः 56,339 रुपए और 55,548 रुपए प्रति कि०मी० था।

कर्नाटक का तम्बाकू उत्पादन कोटा

468. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार और तम्बाकू बोर्ड से अपने तम्बाकू उत्पादन कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए कर्नाटक में तम्बाकू फसल के आकार को 20 मिलियन किग्रा० से बढ़ाकर 26.4 मिलियन किग्रा० करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

(ग) घरेलू तथा विदेशी मांग को देखते हुए तथा तम्बाकू के उपजकर्ताओं, निर्यातकों और विनिर्माताओं के दृष्टिकोण को देखते हुए तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटक के लिए 20 मिलियन किग्रा० फसल का निर्णय लिया है; और अधिक फसल के लिए अनुमति देना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कर्नाटक में डी०सी०सी० बैंकों को पुनः वित्त पोषण सहायता

469. **श्री जी० माडेगोडा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में डी०सी०सी० बैंक कहां-कहां है; और

(ख) 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा डी०सी०सी० बैंकों को बैंकवार कितनी पुनः वित्त पोषण सहायता राशि दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) कर्नाटक में जिन 19 स्थानों पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थित हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बंगलौर, बेलगांव, होसपेट (बैल्लारी) बिदर, बीजापुर, चिकमगलूर, चितदुर्ग, मंगलूर (साऊथ कराना) धारवाड़, गुलबर्गा, सहन, मादीकेरी (कोडागु) कोलार, माण्डया, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकुर तथा सिरसी (नार्थ कनारा)।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त राज्य में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अल्पावधिक उत्पादन वित्त के अन्तर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को संभावित रूप से दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता की रकम अनुमानतः नीचे दी गयी है:—

क्रम संख्या	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	(रकम लाख रुपये में)
1.	चिकमगलूर	950
2.	के०सी०सी० खारवार	1410
3.	साऊथ कनारा (मंगलूर)	955
4.	कोडागु	900
5.	बीजापुर	1500
6.	टुमकुर	1300
7.	नार्थ कनारा (सिरसी)	— *
8.	बेलगांव	2500
9.	बंगलौर	700
10.	मैसूर	600
11.	बिदर	700
12.	बेल्लरी	1200
13.	कोलार	550
14.	माण्डया	— **
15.	चित्रदुर्ग	— **
16.	शिमोगा	— **
17.	रायचूर	— **
18.	हसन	— **
19.	गुलबर्गा	— **

* क्रम संख्या 7 पर दिखाये गये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास अपने अनुमानित ऋण कार्यक्रम को आरंभ करने के लिये पर्याप्त संसाधन हैं।

** ये छः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक नाबार्ड से वर्ष 1992-93 के वास्ते, दिनांक 30.6.91 की स्थिति के अनुसार अपनी अतिदेय स्थिति तथा 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार अपने-अपने सूचित अतिदेय स्तरों के आधार पर ऋण सीमाओं के हकदार नहीं है।

चालू वर्ष (1992-93) के वास्ते पूरे कर्नाटक राज्य के लिये योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत 193.65 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त रकम निर्धारित की गयी है। इसे विभिन्न एजेंसियों अर्थात वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के बीच आबंटित किया गया है जिसमें से कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक (के०एस०सी०बी०) का हिस्सा 2.31 करोड़ रुपये बैठता है। 2.31 करोड़ रुपये का जिला-वार आबंटन निम्नानुसार है:—

	(करोड़ रुपये)
धारवाड़	0.13
साऊथ कनारा	0.67
नार्थ कनारा	0.25

	(करोड़ रुपये)
बेलगांव	0.20
बिदर	0.82
शिमोगा	0.24
	2.31 करोड़ रुपये

निर्यात संवर्धन में राज्यों की सहभागिता

470. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात से होने वाली आय के राज्य सरकारों के साथ बंटवारे की संभाव्यता की जांच कर रही है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात संवर्धन में राज्य को सम्मिलित करने हेतु सरकारों ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्यात-समस्याओं को सुलझाने के लिए संस्थागत ढांचा बनाएं तथा ऐसे नीतिगत उपाय करें जिनसे अधिक उत्पादन और निर्यात हो सके। राज्य सरकारों से संयुक्त क्षेत्र में निर्यात सदन/व्यापार सदन स्थापित करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया गया है।

न्यायालयों में लम्बित पड़े बैंक ऋण वसूली के मामले

471. **श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंक ऋण वसूली के कितने मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं; और

(ख) क्षेत्र-वार और बैंक-वार ऐसे ऋण कुल कितनी राशि के हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अग्रिमों की वसूली के वास्ते मुकदमा दायर किये गये खातों की कुल संख्या 769635 थी जिसमें 3223.07 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी और डिक्री किये गए खातों की संख्या 446018 थी जिसमें 738.74 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। मुकदमा दायर किये गये खातों और डिक्री किये ऋण खातों के लिए बकाया राशि का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है।

अनुबन्ध

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में मुकदमा दायर किए गए खातों और डिक्री प्राप्त ऋण खातों की बकाया राशियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

विवरण

(करोड़ रुपए)

	बैंक का नाम	मुकदमा दायर किए गए खाते	बकाया राशि डिक्री प्राप्त ऋण खाते
1.	इलाहाबाद बैंक	109.67	20.33
2.	आंध्रा बैंक	81.55	6.99
3.	बैंक आफ बड़ौदा	101.00	25.00
4.	बैंक आफ इंडिया	137.00	8.00
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	55.66	18.59
6.	केनरा बैंक	145.78	34.35
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	519.00	83.00
8.	कार्पोरेशन बैंक	36.52	4.24
9.	देना बैंक	113.00	22.00
10.	इंडियन बैंक	78.80	17.50
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	128.72	31.59
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	19.00	4.00
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	12.42	3.40
14.	पंजाब नेशनल बैंक	208.58	65.03
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	68.00	13.00
16.	सिंडिकेट बैंक	199.00	80.00
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	92.54	26.31
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	369.25	42.60
19.	यूको बैंक	279.00	61.00
20.	विजया बैंक	50.00	15.00
21.	भारतीय स्टेट बैंक	209.76	79.22
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	31.20	3.80
23.	स्टेट बैंक आफ़ हैदराबाद	65.16	22.21
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	9.94	2.42
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	35.79	11.61
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	18.00	8.00
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4.46	5.14
28.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	44.27	24.41
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	3223.07	738.74

सौराष्ट्र में गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना

472. **श्रीमती भावना चिखलिया:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सौराष्ट्र में उच्च न्यायालय की पीठ का गठन करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रयोजन हेतु किस स्थान का चयन किया गया है;

(ग) उच्च न्यायालय की पीठ कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) गुजरात में किसी स्थान पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गुजरात सरकार से इस बाबत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कोंकण से हथियारों की तस्करी

473. **श्री यशवंतराव पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण के तटवर्ती क्षेत्र से हथियारों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) वहां से जब्त किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) गत तीन महीनों के दौरान कोंकण के तटीय क्षेत्रों में हथियारों की तस्करी करने का कोई मामला सीमाशुल्क अधिकारियों की जानकारी में नहीं आया है। तथापि, सीमाशुल्क अधिकारी आग्नेयास्त्रों सहित सभी प्रकार की तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हैं। तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने के कार्य में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

कंपनी कार्य विभाग में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

474. **श्री कमल चौधरी:** क्या विधि न्याय, और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनी कार्य विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 1990 और 1991 में संसद सदस्यों मे सरकार को, कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से श्रेणीवार कितनी शिकायतों/पत्रों पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना शिकायतकर्ताओं/संसद सदस्यों को अभी तक नहीं दी गई है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी शिकायतों पर कब तक कार्यवाही शुरू की जाएगी/कार्यवाही पूरी की जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) वर्ष 1990 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1991 में संसद सदस्यों से समूह क के एक अधिकारी के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों से तीन शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात मामले को देखा गया और इस मामले में की गई कार्यवाही के संबंध में उन्हें सूचना दी जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी

475. **डा० लाल बहादुर रावल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष नशीले पदार्थों की तस्करी के कितने मामले पकड़े गए और उनसे जब्त किए गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने मामले दायर किए गए; और

(ग) पकड़े गए नशीले पदार्थों के निपटान से सम्बंधित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जब्त किए गए नशीले पदार्थों के मामलों की संख्या तथा ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

नशीले पदार्थ	1989		1990		1991	
	मामलों की सं०	जब्त की गई मात्रा (कि०ग्रा० में)	मामलों की सं०	जब्त की गई मात्रा (कि०ग्रा० में)	मामलों की सं०	जब्त की गई मात्रा (कि०ग्रा० में)
गांजा	646	2477.698	34	846.554	792	2653.440
चरस	429	1299.970	680	811.176	971	*553.037
अफीम	418	254.297	486	147.252	522	145.628
हेरोइन	370	20.070	690	24.572	753	27.138
मारफीन	26	8.759	57	5.980	46	6.885
मैन्ड्रैक्स	82	3+3365 गोलियां	127	2721 गोलियां	178	11534 गोलियां

(ख) अदालतों में दायर किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:—

1989	1990	1991
1155	777	1577

(ग) इस अवधि के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों के निपटान के सम्बंध में विभिन्न कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

नशीले पदार्थ की किस्म	जब्त/नष्ट करके निपटाई गई मात्रा (कि०ग्रा० में)		
	1989	1990	1991
गांजा	—	287.225	271.055
चरस	—	015	15.270
अफीम	—	.040	25.538
मारफीन	—	5	—
हेरोइन	—	.215	—

इलेक्ट्रानिकी सामान के निर्यात हेतु नीति

476. **श्री सूर्य नारायण यादव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी सामान की निर्यात करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी सामान के निर्यात के लिए नीति उस समय बनाई जाती है जब ऐसा करना आवश्यक होता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है और विभिन्न मुद्दों पर सदैव निरन्तर विचार किया जाता है। तथापि इलैक्ट्रानिकी सामान के निर्यात के संबंध में अनेक नीति विषयक उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ उल्लेखनीय नीचे दिए गए हैं:—

(I) कतिपय उपभोक्त इलेक्ट्रानिकी मदों के निर्यात पर तथा अन्य मदों के निर्यात पर नियारत के एफ०ओ०बी० मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से नकारात्मक सूची की मदें आयात करने के लिए विशेष लाइसेंस।

(II) अगर निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अनुसार 5 वर्ष में निर्यात दायित्व का चार गुणा निर्यात कर लिया जाता है तब कंप्यूटर प्रणाली के आयात की अनुमति लागत बीमा भाड़ा के 15% के रियायती शुल्क की दर पर दी जाती है अथवा जब 4 वर्ष में तीन गुणा निर्यात किया जाता है तब लागत बीमा भाड़ा के 25% के शुल्क की दर पर उनके आयात की अनुमति दी जाती है।

(III) संघटक उद्योग के लिए अपेक्षित अनेक प्रकार के कच्चे माल की रियायती शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई है।

(IV) अनेक संघटकों तथा अन्य मदों को मुक्तरूप से आयात किए जाने की अनुमति दी गई है और अपेक्षाकृत कुछ कम मदों को नकारात्मक आयात सूची में रखा गया है।

(V) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली आरम्भ की गई है। इससे विशेष रूप से इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र को मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र

477. **श्री राम सागर:**
श्री सनत कुमार मण्डल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय थलसेना भूमि से भूमि पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी को निर्धारित समय के भीतर शामिल करने के लिए तैयार नहीं है जैसा कि 12 जून, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर कुल कितनी धन राशि व्यय हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं। भारतीय सेना "पृथ्वी" को, युद्ध क्षेत्र में सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र के रूप में, उपयोग में लाने को तैयार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 201.39 करोड़ रुपये, जिनमें सीमित श्रेणी उत्पादन के लिए सुविधाएं स्थापित करने के वास्ते 86.76 करोड़ रुपये शामिल हैं, मंजूर किए गए हैं।

शल्क लाख का निर्यात

478. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शल्क लाख के निर्यात को प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। सभी रूपों में चमड़े के निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति है। इस संबंध में सरकार की नीति चमड़ा निर्यात संबंधी परिषद तथा ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लि० को सहायता प्रदान कर चमड़े के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन करने की है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री उत्पाद परियोजनाओं की मंजूरी

479. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम०पी०ई०डी०ए०) द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी समुद्री उत्पाद और अन्य परियोजनाओं को अलग-अलग मंजूरी दी गई और वित्त पोषित किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

स्कीमें	प्रस्तावों की सं०	सहायता राशि लाख रुपये में
(क) समुद्री उत्पाद परियोजनाएं		
1. नए फार्म विकास के लिये उपदान सहायता	116	70.23
2. अण्डज उत्पत्तिशालाओं (हैचरीज) के लिये उपदान-सहायता		
(1) कम लागत वाली लघु अण्डज उत्पत्तिशालाएं (10 मिलियन पी एल 20 क्षमता)	3	3.89
(2) कम लागत वाली मध्यम अण्डज उत्पत्तिशालाएं (30 मिलियन पी एल 20 क्षमता)	19*	20.00
3. समुद्री उत्पाद परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी	1	11.68
(ख) अन्य परियोजनाएं		
(1) विविध प्रकार से मछली पकड़ने के जहाजों के लिये उपदान सहायता	4	10.57
(2) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के लिये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर एच एस डी तेल की आपूर्ति के लिये उपदान सहायता	36	91.47
(3) आई क्यू एफ मशीन/सम्बन्धक पुर्जों पर उपदान	11	78.43
(4) बर्फ बनाने वाली नई प्रकार की मशीन लगाने पर उपदान	3	2.50
(5) प्लेट फ्रीजर के लिये उपदान	10	8.87
(6) जेनेरेटर सेटों के लिये उपदान	7	2.78
(7) शीत भण्डारों के लिये उपदान	3	1.19
(8) लघु प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये उपदान	14	6.14

*क्लीयर किये गये 19 प्रस्तावों में से केवल 4 प्रस्तावों के मामले में उपदान राशि अंतरित की गई है।

लक्षद्वीप को कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि

480. **श्री पी०एम० सईद:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लक्षद्वीप को कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई और योजना को कारगर बनाने के उद्देश्य से सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) वित्तीय वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः एक लाख रुपए और 50,000/- रु० का सहायता-अनुदान केरल राज्य विधि सहायता और सलाह बोर्ड, कोचिन को लक्षद्वीप में विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दिया गया था।

(ख) स्कीम मार्च, 1992 से ही आरंभ की गई है, अतः इस स्कीम से फायदा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को पर्याप्त समय नहीं मिला है। तथापि, केरल राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन बंदरगाह के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि

481. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन्:** क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन बंदरगाह के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1992-93 में कुल कितने धन का नियतन किया गया है;

(ख) जून, 1992 तक वास्तव में कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) शेष स्वीकृत धन के उपयोग के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) वर्ष 1992-93 के लिए कोचीन पत्तन के आधुनिकीकरण और विकास के लिए कुल आवंटित राशि 42.17 करोड़ रु० है।

(ख) जून, 1992 तक हुआ वास्तविक व्यय लगभग 3.15 करोड़ रु० है।

(ग) जी, हां। शेष स्वीकृत राशि के उपयोग के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया हुआ है।

हथकरघा क्षेत्र को आयातित रुई का आबंटन

482. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम्:**
श्री शोभनाद्रीश्वर राववाड्डे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस वर्ष कपास का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले वर्ष का स्टाक बकाया यदि कोई था, तो वह कितना था;

(ग) देश में रूई की क्षेत्रवार कुल कितनी अनुमानित आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार ने इस वर्ष रूई का आयात करने की अनुमति प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस वर्ष कितनी मात्रा में रूई का आयात किया गया है;

(छ) हथकरघा/विद्युतकरघा क्षेत्र को रूई का पर्याप्त कोटा आवंटित करने के लिये सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ज) अगले वर्ष के लिये अनुमानतः कितना स्टाक बकाया उपलब्ध होगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) कपास सलाहकार बोर्ड ने 14.2.1992 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1991-92 के कपास मौसम के दौरान कपास का उत्पादन 116 लाख (प्रति गांठ 170 किलोग्राम) होने का अनुमान लगाया है।

(ख) कपास सलाहकार बोर्ड ने पिछले कपास मौसम (1990-91) का पिछला बकाया स्टाक 22.64 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया था।

(ग) कपास वर्ष 1991-92 के लिए कपास सलाहकार बोर्ड के प्राक्कलन के अनुसार घरेलू आवश्यकताओं के लिए कपास की अनुमानित क्षेत्र-वार कुल आवश्यकता निम्नोक्त अनुसार है:—

मिल खपत	106.25	लाख गांठ
गैर-मिल खपत	8.00	" "
निर्यात	1.30	" "
कुल	115.55	लाख गांठ

(घ) से (छ) यार्न की कीमतों में वृद्धि होने के कारण हथकरघा क्षेत्र के सामने पेश आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अतिरिक्त हथकरघा क्षेत्र के लिए कपास को विशेष रूप से हैंक यार्न में परिवर्तित करने के लिए आयात शुल्क के बिना कपास की 2 लाख गांठ तक का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हैंक यार्न व्यवस्था के अंतर्गत केवल कताई मिलों को ही कपास का आयात करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि ये 10 मार्च, 1992 को अपनी बीजक कीमत से 12 प्रतिशत कम कीमत पर विनिर्दिष्ट हथकरघा एजेंसियों को हैंक यार्न सप्लाई करेगी। उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक कपास का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ज) कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा अगले वर्ष के लिए उपलब्ध हो सकने वाले बकाया स्टाक का अनुमान लगभग 28.39 लाख गांठ लगाया मया है।

[हिन्दी]

रूस के साथ व्यापार समझौते

483. **श्री ललित उंराव:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1992 के दौरान भारत और रूस के बीच किन्हीं व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत सरकार तथा रूसी परिसंघ की सरकार के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार पर 4 मई, 1992 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। इस करार पर भारत सरकार की ओर से वाणिज्य राज्य मंत्री श्री पी० चिदमबरम् तथा रूसी परिसंघ को सरकार की ओर से भी गेनाडी बुरबुलिस द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार 30.12.1996 तक वैध है और जब तक दोनों में से कोई संविदाकारी पक्षकार इस करार की समाप्ति से कम से कम छः महीने पहले इस करार को समाप्त करने के लिए अपनी मंशा के बारे में सूचना लिखित में दूसरे पक्षकार को न दे दे तब तक इस करार की अवधि आगे और पांच वर्ष तक निरन्तर स्वतः बढ़ती रहेगी। व्यापार तथा वाणिज्यिक सहयोग के सभी विषयों पर परस्पर परम् मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने के अतिरिक्त इस करार में जब तक दोनों पक्षों के बीच किसी अन्य अन्तः सरकारी करार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तब तक दोनों देशों के बीच मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार करने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

इलायची का उत्पादन

484. **श्री सुबास चन्द्र नायक:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलायची के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजनाएं बनायी गई हैं; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) सरकार उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड के माध्यम से अल्प अवधि और दीर्घावधि के कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें रोपण सामग्री का उत्पादन तथा आपर्ति, इलायची पुनर्रोपण योजना, सिंचाई तथा भूमि विकास

कार्यक्रम, पश्चिमी घाट का विकास कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक विधि से कृषि और प्रसंस्करण के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के संबंध में प्रसार सलाहकार योजना शामिल है।

ऊन के मूल्य में वृद्धि

485. श्री गुरुदास कामत: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान ऊन के मूल्य में रुक-रुक कर वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) आयातित ऊन की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है जबकि भारतीय ऊन की कीमतें स्थिर बनी रही है।

(ख) आयातित ऊन की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती हैं।

भारत विकास बांड

486. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विकास बांडों पर दिए जाने वाले ब्याज और इनसे प्राप्त आय पर मिलने वाले ब्याज की दर में बहुत अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक को चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि की हानि होने की संभावना है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत विकास बांड पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियों पर दी जाने वाली दर के अनुरूप थी और उस समय भारत की ऋण दर को दर्शाती थी। भारत विकास बांड और अब प्राप्त ब्याज दर में भेद का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारत विकास बांड की प्राप्तियों का अलग से निवेश नहीं किया जाता है।

(ख) मात्र भारत विकास बांड पर होने वाले वास्तविक लाभ और हानि की मात्रा बताई नहीं जा सकती है क्योंकि भारत विकास बांड के अंतर्गत हुई प्राप्तियों को देश के कुल विदेशी मुद्रा संसाधन पूल के नाम डाल दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत विकास बांड की प्राप्तियों पर अलग से कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विशेष आवास किराया भत्ता

487. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी: क्या वित्त मंत्री 6 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1354 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्वतीय स्थलों में ग्राह्य विशेष आवास किराया भत्ते के संबंध में विशेष आदेश, 1978 का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी आधार क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी शहर को भी पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर विशेष आदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ग) क्या पौड़ी शहर में कार्य कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष आवास किराया भत्ता दिया जा रहा है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा इन कर्मचारियों को विशेष आवास किराया भत्ता कब तक दिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोलदुखे): (क) कुछ पर्वतीय स्थलों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मंजूर करने के 6.4.1978 के विशेष आदेश सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष दोनों ही के सदस्यों वाली राष्ट्रीय परिषद (ज०सी०एम०) की समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए थे। उसके अंतर्गत आने वाले पर्वतीय स्थलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ता मंजूर करने के प्रयोजनार्थ किसी भी ऐसे पर्वतीय स्थल का वर्गीकरण करने की सिफारिश नहीं की है जो जनसंख्या के मानदंड को पूरा नहीं करता है। पौड़ी "ग" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं ठहरता क्योंकि 1981 की जनगणना के अनुसार इसके नगरपालिका क्षेत्र में इसकी जनसंख्या 50,000 से कम है।

विवरण

	पर्वतीय स्थल का नाम	वेतन-सीमा	मकान किराया भत्ते की दर
I	1. कुर्सियोंग 2. कलिम्पोंग 3. माऊंट आबू 4. केशोबरा 5. कासुम्पति 6. कुफ्री 7. जुतोघ 8. दार्जिलिंग	750/-रु० तक 750/-रु० से ऊपर	वेतन का 7.5% परंतु कम से कम 15/-रु० प्रतिमाह वह राशि जिससे वेतन 806.25/-रु० से कम रह जाए।
II.	1. कोडईकनाल 2. लवडाल्लो 3. मसूरी 4. मुक्तेश्वर 5. भुवाली 6. पिथौरागढ़ 7. टिहरी 8. डलहौजी 9. वेलिंगटन (नीलगिरीज़) 10. डगशाई 11. येरकाड 12. कोटागिरी 13. किलकोटागिरी 14. पइकारा डैम 15. डनसैंडल 16. काल-हट्टी 17. अरावेन्यू	750/रु० तक 750/रु० से ऊपर	वेतन का 5% वह राशि जिससे वेतन 787.50/-रु० से कम रह जाए।

पर्वतीय स्थल का नाम	वेतन-सीमा	मकान किराया भत्ते की दर
18. अर्वनकाडु		
19. कसौली		
20. सानावार		
21. नैनीताल		
22. अल्मोड़ा	750/-रु० से ऊपर	वह राशि जिससे वेतन 787.50/रु० से कम रह जाए।
23. लाला बाज़ार		
24. चकराता		
25. पंचमढ़ी		
26. सोलन		
27. नाडवाट्टम्		
28. कटरी		
29. कुल्लाकम्बी		
30. ग्लेनमोरगन		
31. मासनीगुडी		
32. बेलाकोला		
33. काट्टीबेटु		

[अनुवाद]

रुपये का मूल्य

488. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990 को आधार वर्ष मानते हुए देश में रुपये का वर्तमान मूल्य कितना है; और

(ख) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना मे रुपये का उद्यतन विनिमय मूल्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) वर्ष 1990 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम में मापित रुपए का मूल्य मई, 1992 में 79 पैसे है (नवीनतम उपलब्ध) ।

(ख) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए का विनिमय मूल्य 6 जुलाई, 1992 के अनुसार निम्नलिखित है:—

मुद्रा का नाम	प्रति 100/-रुपए राशि
1. ब्रिटिश पौंड	£ 2.0494
2. अमरीकी डालर	$ 3.8720
3. ड्यूश मार्क	डी० एम० 5.93
4. जापानी येन	येन 485

गोवा में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली

489. **हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की कितनी-कितनी राशि वसूल की गयी; और

(ख) गोवा में उन फर्मों और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान किया और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक ने कितनी धनराशि का भुगतान किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर):

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 146.34 करोड़ रुपये
सीमा शुल्क : 80.72 करोड़ रुपये

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	फर्म का नाम	राशि
1.	मैसर्स मारपोल कैमीकल्स	30.91
2.	" हेमिका बीवरेजेस	12.55
3.	" अटलांटिक स्पनिंग एंड वीविंग	13.46
4.	" मार्मागोआ स्टील	2.42
5.	" अमीटेक प्रा० लि०	2.67
6.	" हाइड्रोफ्लैक्स इक्विपमेंट्स	12.47
7.	" सॉफ्ट फूड्स	1.24
8.	" गोवा बॉटलिनग कं०	189.84
9.	" गोविन्द रॉय ऑक्सीजन	12.09
10.	" गोवा एल्यूमीनियम प्रा० लि०	13.01
11.	" नियोग्राफिक्स (इंडिया)	8.42
12.	" गोवा कार्बन लि०	281.73
13.	" क्लासिक एक्स्ट्रूजन्स	12.94
14.	" नेशनल ऑटो एक्सेसरीज़	37.10
15.	" डी०सी०आई० फार्मास्यूटीकल्स	20.85
16.	" कोस्कर इण्डस्ट्रीज़	23.47
17.	" एम०एस० फार्मास्यूटीकल्स	27.90
18.	" हैरसन स्टील्स	1.11
19.	" गोवा सिम्थ्ई प्रॉडक्ट्स	7.11
20.	" शुभद्वारा इंजीनियरिंग	1.30
21.	" ऑरलॉन इलैक्ट्रॉनिक्स	9.03
22.	" एच०एल० बायर्स	3.80
23.	" मिस्त्री इंडस्ट्रीज कम्बाइंस	1.62
24.	" सीजे स्वड़ वर्क्स	3.97
25.	" विस्वस्पैन पैकेजिंग्स	8.06
26.	" कुतीर इंटरप्राइजेज़	2.07
27.	" केजी पॉलिमर्स	2.83
28.	" टोयो फार्मास्यूटीकल्स	1.29
29.	" सोमेप्ट क्विक्स	2.13
30.	" पैकिल गैसोसा	11.13
31.	" चौगले एंड कं०	6.67
32.	" वालको फार्मा	111.08
33.	" बीइसंडार्फर लि०	125.62
34.	" मैनेजेस फार्मा	37.73
35.	" मैनेक्स कैमीकल्स (गोवा)	29.11
36.	" कोलफैक्स लैब लि०	540.92
37.	" सी एफ एल फार्मा लि०	67.24

क्रम सं॰	फर्म का नाम	राशि
38.	मैसर्स एम॰ आर॰ एफ॰ लि॰	7845.27
39.	" ई॰ मैर्क (आई) लि॰	244.75
40.	" यूनिवर्सल बीवरेज़स लि॰	68.62
41.	" संजीवनी एस॰एस॰के॰ लि॰	56.48
42.	" हिंदुस्तान फूड्स लि॰	27.07
43.	" के पी स्टील्स लि॰	23.52
44.	" गोवा रेसिस्टर्स लि॰	6.51
45.	" स्वेज सिस्टम्स	3.20
46.	" सुरिगी रबर्स	1.11
47.	" रोडाल सरकाप्रिंट	5.78
48.	" भंडारी मैटल्स	11.27
49.	" डायमेन्ट कोर्ट इंडिया	86.48
50.	" सैनकान फिल्टरेशन	3.76
51.	" जर्मन रेमेडीज	59.66
52.	" गोवा टैलीमेटिक्स	18.70
53.	" कैम्ट्राॅल वाल्वस प्रा॰ लि॰	26.69
54.	" फियोरा कास्मैटिक्स प्रा॰ लि॰	42.52
55.	" माडर्न लाइजीन प्राडक्ट्स	4.07
56.	" इंडियन ह्यूम पाइप	6.47
57.	" तुलिप डायग्नोस्टिक प्रा॰ लि॰	4.77
58.	" गोवा पेंट्स एंड अलाइड प्राडक्ट्स	43.56
59.	" यूनिक अलायंस इंडस्ट्रीज	1.05
60.	" आई एफ एबी इंडस्ट्रीज	277.67
61.	" महाराष्ट्र डेयरी प्राडक्ट्स	1.78
62.	" यूनाइटेड एक्यूमुलेटर्स	36.95
63.	" हिंदुस्तान सीबा गाइगी	24.58
64.	" फनस्कूल, कार्लिन	4.25
65.	" फोटोफोन इं॰ (आई)	65.31

विदेशी विमान कंपनियों द्वारा धन भेजा जाना

490. **शैयद शाहाबुद्दीन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी विमान कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजे गए धन का वर्षवार तथा कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स द्वारा इसी अवधि के दौरान देश को भेजे गए धन का वर्षवार तथा जिस देश से इसे भेजा गया है का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड का पुनर्गठन

491. **श्री श्रवन कुमार पटेल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम और भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड के कार्यभार में कमी को देखते हुए इन संगठनों का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) अनेक निर्यात तथा आयात मदों का सरणीकरण समाप्त कर दिया गया है। अतः राज्य व्यापार कंपनियों अर्थात् एस टी सी, एम एम टी सी तथा पी इ सी ने अपने सामूहिक उद्देश्यों को फिर से सूत्रबद्ध किया है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक घराने बन सकें और ऐसे प्रतियोगी वातावरण में कार्य कर सकें जो मुख्य रूप से गैर-सरणीबद्ध व्यापार पर आधारित हैं।

सरणीकरण समाप्त किए जाने की वजह से कम हुए कारोबार के संदर्भ में ये निगम अपनी बेशी जन शक्ति का उपयोग व्यवसाय के नए क्षेत्रों में करने के लिए उसे पुनर्नियोजित करके अपने ऊपरी खर्चों को भी कम करना चाहते हैं।

पश्चिमी एशियाई देशों को निर्यात

492. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम एशिया को गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का पश्चिमी एशियाई देशों के निर्यात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन देशों को निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम एशियाई देशों के निर्यात निम्नलिखित रहे हैं:-

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्रम सं॰	वर्ष	निर्यात
1.	1989-90	1868.34
2.	1990-91	1746.03
3.	1991-92 (अनंतिम)	3695.54

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस सांख्यिकी)

(ख) और (ग) भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच लगातार व्यापार हो रहा है। तथापि, ईराक के साथ व्यापार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में संयुक्त आयोगों/ समितियों के मंच पर सरकारों के बीच विचार-विमर्श, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, इन देशों में अपने प्रतिरूपी संगठनों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बनाने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात की गई प्रमुख मदों में इंजनियरी वस्तुएं, फल तथा सब्जियां, संसाधित खाद्य, चावल, चाय, वस्त्र, रत्न तथा आभूषण, रसायन आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

सड़क विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता

493. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में कुछ सड़कों का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों और उन सड़कों के नाम क्या हैं, जहां इन सड़कों का विश्व बैंक की सहायता से सुधार और निर्माण किया जा रहा है और इन परियोजनाओं की परियोजनावार कुल लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी गयी धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

प्रथम विश्व बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

(एल० एन०-2534-इन)

परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यों की अनुमानित लागत (एल० ए० के अतिरिक्त)
1.	गुजरात	रा० रा०-1 पर अहमदाबाद-बदोदरा एक्सप्रेस ने प्रणाली पर पुल	46.47
2.	हरियाणा	रा० रा०-1 पर मुरथल से करनाल (50.0-74.80 कि० मी०) तक मौजूदा कैरिजवे पर चार लेन का बनाना तथा उसका सुदृढ़ीकरण	18.74
3.	पंजाब	रा० रा०-1 पर सरहिन्द से जालन्धर तक 252.25-372.7 कि० मी० (मौजूदा कैरिजवे को चार लेन का बनाना तथा सुदृढ़ीकरण)	67.58
4.	तमिलनाडु	रा० रा०-45 के 27/8 से 67 कि० मी० तक के अतिरिक्त 2 लेन को कैरिजवे बनाना और मौजूदा 2 लेन को सुदृढ़ करना और 67-160/2 कि० मी० तक सुदृढ़ करना।	68.49
5.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी नगर में 2 लेन वाले बाईपास का निर्माण तथा रा० रा०-2 पर गंगा नदी पर बड़ा पुल।	49.92
6.	पश्चिम बंगाल	रा० रा०-2 के मुख्य कलकत्ता-दिल्ली कारिडोर में ग्रेड चौराहे पर नई 2 लेन सड़क का निर्माण दनकुनी और पालसिट केन्द्रों को जोड़ने वाली सेवा सड़क का निर्माण।	81.73
(ग)	ऋण की राशि:	163 मिलियन अमरीकी डालर	
(घ)	परियोजना की पूरा करने हेतु संभावित तारीख।	दिसम्बर, 1995	

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्रम सं॰	राज्य	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (मिलियन रुपयों में)
1.	हरियाणा	रा॰ रा॰-1 करनाल और अम्बाला 132.68-212.16 कि॰ मी॰ के बीच 4 लेन करना।	1400.00
2.	पंजाब	रा॰ रा॰-1 सरहिन्द और पंजाब हरियाणा बार्डर-212.2-252.25 कि॰ मी॰ के बीच 4 लेन करना	730.00
3.	पश्चिम बंगाल	रा॰ रा॰-2 रानीगंज और पश्चिम बंगाल बिहार बार्डर 438.6-474.0 कि॰ मी॰ के बीच 4 लेन करना।	871.80
4.	मध्य प्रदेश	क) रा॰ रा॰-3 इंदौर बाईपास का निर्माण	683.60
		ख) रा॰ रा॰-3 इंदौर देवास सेक्शन 574.4 से 591.6 कि॰ मी॰ को 4 लेन करना।	264.40
5.	महाराष्ट्र	रा॰ रा॰-8 बसीन करीक और मनोर 439 से 497 कि॰ मी॰ के बीच 4 लेन करना।	1150.00
6.	उड़ीसा	रा॰ रा॰-5 कटक भुवनेश्वर 0.0 से 27.8 कि॰ मी॰ के बीच 4 लेन करना।	1267.40

(II) राज्य सड़क परियोजनाएं

क्रम सं॰	कार्य का विवरण	संख्या	अनुमानित लागत (मिलियन रु॰ में)
1.	उड़ीसा की राज्य सड़कों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों का पुर्ननिर्माण	6	58350
(ग)	ऋण की राशि	306 मिलियन अमरिकी डालर	
(घ)	परियोजना पूरी होने की संभावित तारीख	अप्रैल, 1997	

विश्व बैंक राज्य सड़क परियोजनाएं

क्रम सं॰	परियोजना	अनुमानित लागत (मिलियन रु॰)
राज्य: बिहार		
1.	गंगा पर भागलपुर पुल	550.00
2.	पुल सम्पर्क मार्ग का निर्माण	76.00
3.	सोनपुर-छपरा सड़क का सुधार	215.00
4.	हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सड़क का सुधार	169.00
राज्य: महाराष्ट्र		
5.	अम्बादी-पालघर सड़क का सुधार	145.38
6.	पुणे-अहमदनगर सड़क का सुधार	145.08
7.	अहमदनगर-औरंगाबाद सड़क का सुधार	149.18
8.	औरंगाबाद-मंथा सड़क का सुधार	148.92
9	अकोला-कान्हरगांव सड़क का सुधार	141.33
10	नागपुर-कान्या सड़क का सुधार	291.47
10.	नागपुर-कान्या सड़क का सुधार	291.47
11	अहमदनगर-कोपरगांव सड़क का सुधार	148.68

क्रम सं०	परियोजना	अनुमानित लागत (मिलियन रु०)
राज्य: राजस्थान		
12.	अलवर-भिवाड़ी सड़क का सुधार	742.60
13.	उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सड़क का सुधार	261.00
14.	अजमेर-चित्तौड़गढ़ सड़क का सुधार	442.13
15.	सिकर-हरियाणा सीमा सड़क का सुधार	172.95
16.	फतेहपुर-चुरू-हरियाणा सीमा सड़क का सुधार	227.60 (निविदा)
17.	सिरोही-माउण्ट आबू सड़क का सुधार	219.30
राज्य: उत्तर प्रदेश		
18.	सोनौली-फरेन्दा सड़क का सुधार	369.46
19.	गोरखपुर बलिया सड़क के खण्ड का सुधार (99-144 कि०मी०)	159.20
20.	गोरखपुर-बलिया का सुधार (145-253.2 कि०मी०)	530.00 (निविदा)
21.	इलाहाबाद-दोहरीघाट सड़क का सुधार	1070.00 (निविदा)
22.	फैजाबाद-इलाहाबाद सड़क के खण्ड का सुधार (80-140 कि०मी०)	335.20 (निविदा)
23.	फैजाबाद-इलाहाबाद सड़क का सुधार (140-226.4 कि०मी०)	255.20
(ग)	ऋण की राशि	250 मिलियन अमरीकी डालर
(घ)	परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तारीख	दिसम्बर, 1994

[अनुवाद]

कांगड़ा चाय

494. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांगड़ा चाय अपनी प्राकृतिक खुशबू और रंग के लिए प्रसिद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कांगड़ा चाय को लोकप्रिय बनाने तथा इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) कांगड़ा चाय की अपनी अलग ही खुशबू है और देश की अन्य खुशबूदार चायों की अपेक्षा अधिक विशेषताएं (रंग) हैं।

(ख) चाय बोर्ड ने कांगड़ा चाय की उत्पादकता बढ़ाने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें रियायती दर पर उन्नत रोपण सामग्री की आपूर्ति, निःशुल्क परामर्शी सेवाएं, लघु तथा सीमांत किसानों को प्रेरित करना, सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विनिर्माण क्षमता में सुधार करना, विद्यमान क्षेत्र का नवीकरण तथा समेकन, अनुसंधान तथा विकास को और तेज करना आदि शामिल हैं। हाल ही में कांगड़ा चाय को प्रोत्साहित करने के लिए चाय पर्व-सह-वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित की गई।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के शेयरों को सूचीबद्ध करना

495. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्टाक एक्सचेंज ने मई, 1992 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के शेयरों को सूचीबद्ध कर दिया है;

(ख) क्या यह कार्य इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज ने, कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर और फरवरी, 1992 में मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए जारी किए गए मार्गनिर्देशी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, मार्च, 1992 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 9 अप्रैल, 1992 को सभी स्टाक एक्सचेंजों को मार्गनिर्देशी सिद्धान्त जारी किए हैं जिनमें उन्हें सलाह दी गई है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों, जिन्हें सरकार द्वारा अप-निवेशित किया गया है, को स्टाक एक्सचेंजों द्वारा सूचीबद्ध किया जाए और उनका लेन-देन उपरमों द्वारा प्रलेखों का प्रकटन प्रस्तुत करने और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा स्टाक एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद ही किया जाए।

अनुसंधान केन्द्र और फील्ड फायरिंग रेंज के लिए आन्ध्र प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण

496. **श्री धर्म भिक्षम:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अनुसंधान केन्द्र इमारत परियोजना और "फील्ड फायरिंग रेंज" के लिए कुछ गांवों की राजस्व भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए गांव-वार कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या रोजगार उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक कितना धन दिया गया है और इन परियोजनाओं में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) आन्ध्र प्रदेश में अनुसंधान केन्द्र इमारत परियोजना या किसी फील्ड फायरिंग रेंज के लिए अभी हाल ही में कोई निजी भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों द्वारा दावा संबंधी मामलों का निपटारा

497. **श्री श्रीकान्त जेना:**
श्री काशीराम राणा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम मृत्यु होने और संपत्ति नष्ट होने पर लोगों को तत्संबंधी बीमा की गई राशि नहीं चुका रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बीमा राशि भुगतान हेतु कितने मामले गत वर्षों से राज्यवार लंबित पड़े हैं; और

(घ) इनके शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम मृत्यु होने और संपत्ति की हानि के मामले में लाभभोगियों के पक्ष में दावों का निपटान कर रहे हैं। तथापि, कुछ मामलों में अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत न करने, दावेदारों के बीच विवाद होने, न्यायालय संबंधी मामलों और संदिग्ध मामलों में जांच की आवश्यकता होने के कारण कभी-कभी दावों के निपटान में विलम्ब हो जाता है। दावा प्रक्रिया नियमावली तैयार कर ली गई है और दावों के शीघ्र निपटान के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित की गई है। पालिसीधारकों की शिकायतों की समीक्षा करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए स्थायी दावा समीक्षा समिति और शिकायत कक्षों की स्थापना की गई है। साधारण बीमा निगम ने भी मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने के लिए "जल्द राहत योजना" नामक एक नई योजना बनाई है। न्यायालय से बाहर विवादास्पद मामलों के निपटान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यथासंभव प्रयास किए गए

हैं। जिन मामलों में पिछले तीन सालों से बीमा राशि का भुगतान लंबित है उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

I. भारतीय जीवन बीमा निगम के पास दो साल से अधिक लंबित मामलों का ब्यौरा

उत्तरी जोन:	
1. हरियाणा	11
2. हिमाचल प्रदेश	—
3. जम्मू और कश्मीर	—
4. राजस्थान	23
5. पंजाब .	11
6. संघ राज्य क्षेत्र	14
मध्य अंचल:	
1. मध्य प्रदेश	43
2. उत्तर प्रदेश	55
पूर्वी जोन:	
1. असम	4
2. बिहार	—
3. उड़ीसा	4
4. पश्चिमी बंगाल	10
दक्षिण जोन:	
1. केरल	18
2. तमिलनाडु	80
दक्षिण मध्य जोन:	
1. आंध्र प्रदेश	92
2. कर्नाटक	110
पश्चिम जोन:	
1. गोआ	—
2. गुजरात	70
3. महाराष्ट्र	283

II. साधारण बीमा निगम की चार कंपनियों के पास लंबित मामलों की संख्या

वर्ष	लंबित मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1988-89 (15 महीने)	5,50,259	21,26,717
1989-90	6,35,205	18,22,810
1990-91	5,95,232	20,35,067

सीरिया के साथ व्यापार

498. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**
श्रीमती भावना चिखलिया:
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सीरिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मई 1992 में दोनों देशों की संयुक्त समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुई बातचीत का यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) भारत-सीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र नई दिल्ली में दिनांक 20 मई, 1992 से 22 मई, 1992 तक चला। दोनों देशों के बीच वर्ष 1988-89 में लगभग 7 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था। यह व्यापार 1991-92 में बढ़कर लगभग 45 करोड़ रुपए का हो गया। सीरिया को भारत से वर्ष 1988-89 में लगभग 2 करोड़ रुपए के इंजीनियरी माल का निर्यात हुआ था जो वर्ष 1991-92 में बढ़कर लगभग 21 करोड़ रुपए का हो गया। हालांकि व्यापार में कुल मिलाकर काफी वृद्धि हुई है, परन्तु सीरिया से माल का आयात ज्यादा नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिन्हें भारत सीरिया से आयात कर सकता है ताकि व्यापार संतुलन बना रहे। भारत सीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र के दौरान पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कोक, रौक फास्फेट, मसूर, रसायन, उर्वरक, कपास, चमड़ी तथा खाल जैसी मदों का पता लगाया गया जिन्हें भारत, सीरिया से आयात कर सकता है। भारत से सीरिया को निर्यात के लिए चाय, काफी, पटसन उत्पाद, इंजीनियरी माल, व्यावसायिक वाहन, अर्थमूविंग उपस्कर, औषध, आदि मदों को अभिज्ञात किया गया। सीरियाई पक्ष ने विभिन्न इंजीनियरी और कृषि आधारित उद्योगों और साथ ही सिंचाई और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को शामिल करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति

499. **श्री काशीराम राणा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है, जिनके लिए इसे गठित किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस निगम के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सरकार द्वारा अधिगृहित किए गए रुग्ण वस्त्र उपक्रमों के कार्यों का संचालन करने के मुख्य उद्देश्य से निगमित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव था कि इन मिलों की पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरण करके उन्हें आर्थिक रूप से अर्थक्षम बनाया जाए। इस समय एन टी सी 109 राष्ट्रीयकृत तथा 15 प्रबंधित मिलें चला रहा है। आधुनिकीकरण/नवीकरण पर 432.77 करोड़ रु० का निवेश करने के बावजूद एन टी सी के अधीन अधिकांश मिलें पुरानी मशीनों तथा अधिक कर्मचारियों की संख्या के कारण घाटा उठा रही है। सरकार एन टी सी मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से समय-समय पर इन मिलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

आयुध कारखाना, अरबंकाडू

500. **श्री मोहन सिंह :(देवरिया)**
श्रीमती सरोज दुबे:
श्री बी० देवराजन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अरबंकाडू आयुध कारखाने में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस विस्फोट से हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकाले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। तथापि कारडाइट फैक्टरी, अरबंकाडू की नाइट्रोग्लेसरीन निर्माण इकाई के धुलाई घर में विस्फोट की एक दुर्घटना हुई थी।

(ख) इस दुर्घटना में निर्माणी के 6 कर्मचारी मारे गए और लगभग 14 लाख रुपये की सम्पत्ति और सामग्री के नष्ट होने का अनुमान है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस संबंध में आयुध निर्माणी बोर्ड की टिप्पणी और जांच बोर्ड के निष्कर्षों व सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

बैंकों में सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति

501. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के शेयर घोटाले में कुछ बैंकों के शामिल होने के मामले को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बैंकों के सरकारी अथवा गैर सरकारी निदेशकों को मनोनीत अथवा नियुक्त किए जाने के लिए सरकार का नए मानदण्ड तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क परियोजनाओं के लिए सहायता

502. **कुमारी उमा भारती :**
श्री शशि प्रकाश :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं के लिए ऋण लेने हेतु एशिया विकास बैंक के साथ हाल ही में वार्ता हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। तृतीय राजमार्ग ऋण के अंतर्गत संभावित सहायता के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का पता लगाने हेतु नवम्बर-दिसम्बर, 1991 में एशियाई विकास बैंक के एक मिशन ने भारत का दौरा किया था।

(ख) व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए मिशन ने विभिन्न राज्यों में 14 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का पता लगाया। ऋण के लिए इन परियोजनाओं को शामिल किया जाना व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा किराये पर लिए गए गोदाम

503. **श्री अन्नत राव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने किराये के विभागीय गोदाम सीमाशुल्क विभाग के पास हैं;

(ख) इन किराये के गोदामों के लिए प्रतिवर्ष कितना किराया दिया जा रहा है; और

(ग) विभाग के अपने गोदामों हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस समय सीमाशुल्क विभाग के पास किराये पर लिए गए 53 विभागीय गोदाम हैं।

(ख) किराये पर लिए गए इन गोदामों के लिए प्रति वर्ष 1,33,18,393/- रुपए की कुल राशि किराए के रूप में अदा की जा रही है।

(ग) विभाग निधि की तंगी के बावजूद गोदामों के लिए अपने भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की लगातार तलाश करता रहा है। विभिन्न स्थानों पर विभाग के पास पकड़े गए और जब्त किए गए माल के भण्डारण के लिए पहले से ही अपने गोदाम हैं। जब कभी नए कार्यालय भवनों की योजना तैयार की जाती है गोदामों के लिए व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर

504. **श्री छेदी पासवान** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें गत छः महीनों के दौरान संसद सदस्यों से महीने-वार कितने-कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से महीने-वार कितने-कितने पत्रों की पावती भेजी गई/पूर्ण उत्तर दिया गया और कितने पत्रों की अभी पावती भेजी जानी है। पूर्ण उत्तर दिया जाना है; और

(ग) इन पत्रों का शीघ्र उत्तर देने तथा भविष्य में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त सलाह दी गई है। प्रगति पर निगरानी रखने के लिए लंबित पत्रों की सावधिक समीक्षा की जाती है।

अनुलग्नक

गत छह: माह (1.1.1992 से 30.6.92) के दौरान जल-भूतल परिवहन मंत्री को संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्रों/अभ्यावेदनों/ज्ञापन का (माह-वार) विवरण

महीना	प्राप्त हुए पत्रों/अभ्यावेदनों/ज्ञापनों की संख्या	उन पत्रों/अभ्यावेदनों/ज्ञापनों की सं० जिनकी पावती अंतिम उत्तर देते हुए भेजी गई थी	उन पत्रों/अभ्यावेदनों/ज्ञापनों की सं० जिनकी पावती भेजी जानी है	उन पत्रों/अभ्यावेदनों/ज्ञापनों की सं० जिनकी अंतिम उत्तर दिया जाना है
जनवरी, 92	107	104	—	3
फरवरी, 92	76	72	—	4
मार्च, 92	82	74	—	8
अप्रैल, 92	90	77	—	13
मई, 92	42	34	—	8
जून, 92	57	14	3	43
	454	375	3	79

[हिन्दी]

सिक्के और मुद्रा नोटों की छपाई

505. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 पैसे से एक रुपये तक के सिक्कों पर तथा एक रुपये से 100 रुपये तक के प्रत्येक नोट पर राष्ट्रीय चिन्ह अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों एवम् निर्देशों के अनुसार देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' शब्द अंकित किये जाते हैं;

(ख) क्या अब अनेक प्रकार के सिक्कों और नोटों के मामले में इस प्रथा का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन सिक्कों और मुद्रा नोटों के चलन को बंद करने तथा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। 'सत्यमेव जयते' शब्द इस समय सरकारी टकसालों और मुद्रणालयों द्वारा/ढ़ाले मुद्रित किए जा रहे सभी सिक्कों और करेंसी नोटों पर अशोक स्तम्भ संप्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) 'सत्यमेव जयते' शब्दों को सिक्कों/करेंसी नोटों पर अंकित करने का निर्णय 1978 में किया गया था और ये शब्द तभी से सिक्कों करेंसी नोटों की सभी नई श्रृंखलाओं पर अंकित किए जा रहे हैं।

(घ) 'सत्यमेव जयते' शब्दों के बिना पुराने सिक्कों और करेंसी नोटों का चलन रोकना एक सतत् प्रक्रिया है। अभी भी प्रचलित ये सिक्के/करेंसी नोट वैध रूप से स्वीकार्य है। इतनी अधिक संख्या में पुराने सिक्कों/नोटों का चलन रोकना न तो संभव है और ही वांछनीय है।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क की वसूली

506. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या वित्त मंत्री 9 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2439 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इसमें उल्लिखित प्रत्येक कम्पनी से पिछले एक वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूली की गई; और

(ख) निकट भविष्य में इन कम्पनियों से उत्पाद शुल्क की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है अथवा उठाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित कम्पनियों के विरुद्ध मामलों पर अभी न्यायनिर्णयन नहीं हुआ है। अभिकथित रूप से अपवंचित उत्पाद शुल्क की वसूली का प्रश्न तभी उठेगा जब न्यायिक-कल्प संबंधी कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी।

[हिन्दी]

पूंजी निवेश कम्पनियां

507. **श्री राजेश कुमार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजी निवेश व्यवसाय में लिप्त सभी कम्पनियों को स्टाक एक्सचेंजों के क्षेत्राधिकार में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में लीजिंग कम्पनियों तथा पूंजी निवेश कम्पनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी;

(घ) क्या ऐसी कम्पनियों की गतिविधियों पर, विशेषतौर पर पूंजी निवेश के माध्यम से काले धन को सफेद धन में बदलने पर रोक लगाने की दृष्टि से निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) पूंजी निवेश व्यवसाय में लिप्त सभी कम्पनियों को स्टाक एक्सचेंजों के क्षेत्राधिकार में लाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस संबंध में निर्णय कम्पनियों का प्रबन्धन लेता है और कम्पनियों का प्रबंधन ही स्टाक एक्सचेंजों मे शेयरों का सूचीकरण करवाता है।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शेयरों द्वारा नई वित्तीय कम्पनियों लि० का पूंजीकरण निम्न प्रकार से बढ़ गया है:

वर्ष	संख्या
1989-90	2,917
1990-91	3,552
1991-92	4,443

(घ) और (ङ) यद्यपि आयकर विभाग द्वारा ऐसी कम्पनियों की गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी नहीं रखी जाती है, परन्तु जब कभी ऐसी कम्पनियों द्वारा अप्रकट आय के बदलने के वर्ष में सूचना प्राप्त होती है तो वे कर-प्रवचन का पता लगाने और कर-प्रवंचकों को पड़कने के लिए जांच-पड़ताल करते हैं। कुछ ऐसे मामलों को निर्धारण-स्तर पर छानबीन के लिए भी चुना जाता है। ऐसे मामलों में, कम्पनी की पूंजी की जांच की जाती है कि क्या इस धनराशि को जाली अथवा बेनामी नामों में लगाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

508. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार:**
श्री भगवान शंकर रावत:
श्री बापू हरि चौरे:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव हेतु प्रत्येक राज्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): अस्थाई आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रू०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1992/93 के दौरान निधियों का आबंटन रा०रा० का विकास	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण
1.	आन्ध्र प्रदेश	2700.00	1168.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	50.00	35.91
3.	आसाम	1225.00	783.38
4.	बिहार	1250.00	955.22
5.	चंडीगढ़	50.00	14.48
6.	दिल्ली	650.00	137.45
7.	गोवा	850.00	237.11
8.	गुजरात	4200.00	885.59
9.	हरियाणा	1620.00	319.60
10.	हिमाचल प्रदेश	1150.00	439.67
11	जम्मू और कश्मीर	50.00	116.69

क्रम सं॰	राज्य का नाम	1992/93 के दौरान निधियों का आवंटन रा॰रा॰ का विकास	 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण
12.	कर्नाटक	1850.00	868.63
13.	केरल	1800.00	537.98
14.	मध्य प्रदेश	1850.00	1106.19
15	महाराष्ट्र	3100.00	1348.37
16.	मणीपुर	250.00	143.93
17.	मेघालय	350.00	259.31
18	नागालैंड	50.00	5.03
19	उड़ीसा	1275.00	658.57
20.	पांडिचेरी	100.00	7.52
21.	पंजाब	2150.00	628.81
22	राजस्थान	2430.00	986.19
23.	तमिलनाडु	1550.00	1078.81
24.	उत्तर प्रदेश	5300.00	1243.06
25.	पश्चिम बंगाल	2050.00	1010.24

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 और 5 के बीच सम्पर्क मार्ग

509. **श्री के॰ पी॰ सिंह देव:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में ढेंकनाल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 और क्योंझरगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के बीच सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यह धनराशि कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, नहीं, अभी तक केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन प्रश्नगत सड़क-परियोजना को वित्त-पोषित करने के लिये उड़ीसा सरकार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वातानुकूलित बसों में टेलीफोन सुविधाएं

510. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में वातानुकूलित बसों में प्रायोगिक आधार पर टेलीफोन सुविधाएं मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बस सेवा कौन-कौन से मार्गों पर चलाये जाने की संभावना है;

(ग) इससे संबंधित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सेवा कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किये गये दिशा-निर्देश

511. श्री रवि राय:
श्री हन्नान मोल्लाह:
डा० ए० के० पटेल:
श्री रूपचन्द पाल:
श्री लाल कृष्ण आडवाणी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निगमित शेयरों तथा ऋणपत्रों पर ऋण देने और 'बदला' लेन-देन के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1986 से मई 1992 तक जारी किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विस्तृत पुनरीक्षा के आधार पर शेयरों/डिबेंचरों के बदले अग्रिमों से संबंधित दिशा-निर्देशों का एक सेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्तूबर, 1986 में जारी किया गया था। इन दिशा-निर्देशों की जून, 1987, नवम्बर, 1987, जनवरी, 1988, मार्च 1988 और अक्तूबर 1991 में पुनरीक्षा की गई और इनका संशोधन किया गया था। समय-समय पर यथा संशोधित इन दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि इन दिशा-निर्देशों को लागू किये जाने के कार्य को बैंकों की नियमित जांच के दौरान और बैंकों से प्राप्त तिमाही विवरणियों के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित बैंकों को पाई गई इन अनियमितताओं/कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिये कहता है।

विवरण

1. यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक वित्त का उपयोग सट्टेबाजी के लिए नहीं किया गया, बैंकों से अग्रिमों की प्रकृति, उद्देश्य और आवश्यकता को ध्यान में रखने की अपेक्षा की गई थी। इस बात पर जोर दिया गया था कि अग्रिम किस कार्य के लिए दिये गये थे न कि किसके बदले।
2. ऋण की मंजूरी से पूर्व मूल्यांकन और मंजूरी के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई बैंक द्वारा की जानी थी।
3. शेयरों के बदले दिये गये अग्रिमों को अलग रखे जाने की आवश्यकता थी और उन्हें अन्य अग्रिमों के साथ नहीं मिलाया जाना था।
4. शेयरों के प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर समुचित मार्जिन को बनाये रखने की आवश्यकता थी।
5. बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि किसी उधारकर्ता या उधारकर्त्ताओं के समूह द्वारा शेयरों के बड़े ब्लाकों के बदले दिये गये अग्रिमों का उपयोग किसी कंपनी मे नियंत्रक अधिकार प्राप्त करने या अन्तर कंपनी निवेशों को सरल बनाने या उन्हें बनाये रखने के लिए न हो।
6. बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि उसी उधारकर्त्ता/उधारकर्त्ताओं के समूह द्वारा शेयरों/डिबेंचरों के बदले बहुविध उधार न लिये जाएं।
7. शेयर दलालों के मामले को छोड़कर जहां कहीं शेयरों के बदले अग्रिमों की राशि 3 लाख रुपये से

अधिक हो, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वह शेयरों को अपने नाम पर अंतरित करा लें। इस प्रकार अंतरित शेयरों के संबंध में मताधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ ही होगा।

8. शेयरों के बदले 5 लाख रुपये से अधिक के अग्रिम केवल निदेशक बोर्ड / समिति द्वारा मंजूर किये जाने थे।

9. बैंकों को भारतीय नागरिकता / मूल के ग्राहकों को विदेशी शाखाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण में भागीदार न होने के निदेश दिये गए थे।

10. कम्पनी ऋणकर्ता शेयरों की प्राथमिक प्रतिभूति के बदले अग्रिमों के लिए पात्र नहीं थे।

11. प्रत्येक व्यक्ति आकस्मिक खर्चों का और शेयरों के नये निर्गमों के लिए अंशदान करने के वास्ते निजी किस्म की आवश्यकताओं को पूरा करने और गौण मार्किट में शेयरों की खरीद के लिए भी 5 लाख रुपये तक के शेयरों के प्रति अग्रिमों के लिए पात्र था।

12. निवेश कम्पनियों के मामले में शेयरों / डिबेंचरों के बदले अग्रिमों सहित कुल बाह्य देनदारियां उनकी स्वामित्व वाली निधियों के 10 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्त कम्पनियों को 9 माह तक के लिए शेयरों / डिबेंचरों के बदले अग्रिम मंजूर किये जा सकते हैं ताकि तत्काल उपलब्ध स्त्रोतों और शेयरों / डिबेंचरों में वर्तमान और प्रस्तावित निवेशों के बीच अन्तराल को कवर किया जा सके।

13. शेयर दलालों के मामले में, न्यायोचित ओवर ड्राफ्ट सुविधा उनकी आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने में, दलालों और ग्राहकों की ओर से खातों के परिचालनों और उस सीमा तक जिसमें दलालों की निधियां उसके कारोबार के परिचालनों में अन्तर्ग्रस्त की जानी अपेक्षित थी। शेयरों / डिबेंचरों की प्रतिभूति के बदले मंजूर की जा सकेगी।

14. शेयरों / डिबेंचरों के बदले 5 लाख रुपये तक के अग्रिम नये निवेशों / अधिकार निर्गमों के लिए अंशदान के वास्ते नौ माह तक की अवधि के लिए ट्रस्टों और धर्मदायों के लिए उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

15. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि 9 अक्तूबर, 1991 से शेयरों / डिबेंचरों / बाण्डों के बदले प्रत्येक व्यक्ति के बकाया ऋण में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

16. बैंक कर्मचारियों को उनकी स्वयं की कम्पनियों के शेयर प्राप्त करने के लिए वित्त व्यवस्था कर सकता है।

रबड़ के न्यूनतम मूल्य

512. **श्री पी० सी० थामस:**
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रबड़ के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के संबंध में हाल ही में किए गए लागत अध्ययन की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रबड़ का न्यूनतम मूल्य कब तक निर्धारित करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) प्राकृतिक रबड़ की बेंच मार्क कीमत निर्धारण के संबंध में वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा हाल ही में किए गए लागत-अध्ययन की सिफारिशों की जांच की गई है और उन पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाना है।

अन्य राज्यों से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

513. **श्री एन० डेनिस:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों में आधे न्यायाधीशों की नियुक्ति दूसरे राज्यों से करने के सिद्धांत को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है जो उस राज्य के नहीं हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) विधि आयोग की अस्सीवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को सरकार ने नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है कि एक ऐसी परिपाटी होनी चाहिए कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से होने चाहिए। सरकार ने विनिश्चय किया है कि इसे या तो बाहर से प्रारंभिक नियुक्तियां करके या स्थानांतरण करके कार्यान्वित किया जा सकता है। इस दिशा में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को बाहर रखने की नीति को अपनाकर एक शुरूआत कर दी गई है। इस नीति को अपनाने के पश्चात् अवर न्यायाधीशों की कुछ प्रारंभिक नियुक्तियां उच्च न्यायालयों के बाहर से की गई हैं और कुछ न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण भी किया गया है।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा उपाबद्ध विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	उस न्यायाधीश का नाम जिसकी आरंभिक नियुक्ति / स्थानांतरण बाहर के राज्य से किया गया है	उच्च न्यायालय जिसमें कार्य कर रहे है
	न्यायमूर्ति सर्वश्री	
1.	एम० के० मुखर्जी (मु०न्या०)	इलाहाबाद
2.	बी० एम० लाल	इलाहाबाद
3.	एम० एल० भट्ट	इलाहाबाद
4.	एम० पी० कानिया	इलाहाबाद
5.	वी० शिवरामन नायर	आंध्र प्रदेश
6.	पी० डी० देसाई (मु० न्या०)	मुंबई
7.	के० सुकुमारन	मुंबई
8.	वी० पी० सराफ	मुंबई
9.	आनंदमय भट्टाचार्जी	कलकत्ता
10.	एस० पी० राजखोवा	कलकत्ता
11.	गोकल चंद मित्तल (मु० न्या०)	दिल्ली
12.	पी० एन० नाग	दिल्ली
13.	ए० एल० भट्ट (मु० न्या०)	गुवाहाटी
14.	एम० एन० सुंदरम (मु०न्या०)	गुजरात
15.	श्रीमती लीला सेठ (मु० न्या०)	हिमाचल प्रदेश
16.	विजय कुमार मेहरोत्रा	हिमाचल प्रदेश
17.	एस० एस० कंग (मु०न्या०)	जम्मू-कश्मीर
18.	एम० जगन्नाथराव (मु०न्या०)	केरल
19.	जी० एच० गुट्टल	केरल
20.	एस० के० (मु०न्या०)	मध्य प्रदेश
21.	टी० एन० सिंह	मध्य प्रदेश
22.	के० एम० पाण्डे	मध्य प्रदेश
23.	श्रीमति कान्ता कुमारी भटनागर (मु०न्या०)	मद्रास
24.	पी० एस० मिश्रा	मद्रास
25.	बी० एल० हंसारिया (मु०न्या०)	उड़ीसा
26.	बी० सी० बासक (मु०न्या०)	पटना
27.	एस० एच० एस० आबिदी	पटना
28.	एन० एस० राव	पटना
29.	एम रामा जोहरा (मु०न्या०)	पंजाब-हरियाणा
30.	के० सी० अग्रवाल (मु०न्या०)	राजस्थान

क्रं० सं०	उस न्यायाधीश का नाम जिसकी आरंभिक नियुक्ति / स्थानांतरण बाहर के राज्य से किया गया है	उच्च न्यायालय जिसमें कार्य कर रहे हैं
31.	एन० सी० कोछर	राजस्थान
32.	बी० एन० मिश्र (मु०न्या०)	सिक्किम
33.	आर० दयाल	सिक्किम

(मु०न्या०) — मुख्य न्यायमूर्ति

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की आय

514. **श्री फूलचन्द वर्मा:**
प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख:
श्री कमल चौधरी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा हाल में किराए में की गई वृद्धि के पश्चात् उसे महीनेवार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उसे कितना लाभ होने की संभावना है; और

(ग) मंडल आयोग आन्दोलन आदि के दौरान क्षतिग्रस्त बसों की मरम्मत करके भविष्य में बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) दि० 28.12.1991 से दि०प० नि० का किराया संशोधित किया गया था। किराए में हुई वृद्धि के बाद प्राप्त राजस्व के मासिक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

महीना	अर्जित राजस्व (करोड़ रु०)
जनवरी, 92	15.65
फरवरी, 92	15.13
मार्च, 92	15.54
अप्रैल, 92	15.93

(ख) वर्ष 1992-93 में कोई लाभ होने की संभावना नहीं है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि 90% बसें नियत समय पर शैड से बाहर निकाली जाएं। दि०प०नि० "टू-टियर यूनिट रिप्लेसमेंट" पर आधारित रख-रखाव प्रबंधन प्रणाली का पालन करती है जिसके अन्तर्गत आवधिक रख-रखाव, रोजमर्रा की मरम्मत, विभिन्न डाकिंग्ज, यूनिट रिप्लेसमेंट, इत्यादि प्रथम टियर, अर्थात, डिपो वर्कशाप में की जाती है, असेम्बलियों में सुधार, टायरों की रीट्रेडिंग / मरम्मत, बड़ी / दुर्घटनाग्रस्त बसों की मरम्मत इत्यादि दूसरी टियर, अर्थात, केन्द्रीय वर्कशापों में की जाती है।

उपर्युक्त कार्यों के लिए प्रतिदिन, लगभग 10% वाहनों को (शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) डिपो वर्कशाप में रोका जाता है, जहां विभिन्न निवारक रख-रखाव कार्य / डॉकिंग अर्थात्, 8000 कि०मी०, 24000 कि०मी०, एम बी आई और दुर्घटनाग्रस्त बसों की मरम्मत, बड़ी मरम्मत / बड़ी मरम्मत, इत्यादि की जाती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये सामान की बिक्री

515. **प्रो॰ अशोक आनंदराव देशमुख:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा शुल्क विभाग द्वारा महाराष्ट्र में जब्त किये गये सामान की बिक्री के कार्य में लगी प्राधिकृत दुकानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कई अन्य लोगों ने ऐसे सामान को बेचने के लिए प्रशासन से लाइसेंस / अनुमति / प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

516. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद:
श्री ललित उरांव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य में, जिला-वार कितनी एवं किन शर्तों पर गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं / कम्पनियां / चिट फंड्स तथा इन्वेस्टमेंट कम्पनियां पंजीकृत की गयीं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को कोई नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए अपने निर्देशों में हाल में संशोधन किए हैं। संशोधन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:—

(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब मासिक अंतरालों में ब्याज का भुगतान कर सकती हैं या उसे चक्रवृद्धि ब्याज कर सकती हैं।

(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब तीन से अनधिक संयुक्त नामों पर "दोनों में से कोई व्यक्ति या जीवित व्यक्ति " "कोई भी या जीवित व्यक्ति" आदि जैसी शर्तों पर जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं।

(iii) 11 प्रतिशत वार्षिक की अनधिक दर, पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है यदि परिपक्वता से पहले 12 महिने के पश्चात लेकिन 24 महीने पहले जमाराशियों की निकासी की जाती है।

(iv) किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर जीवित जमाकर्ता / उसके कानूनी उत्तराधिकारी को संविदा दर पर ब्याज सहित जमाराशि को परिपक्वता से पहले भुगतान किया जा सकता है।

(v) यदि कोई कंपनी किराया खरीद वित्त और उपस्कर पट्टा कार्यों में कार्यरत है तो इसके वर्गीकरण के निर्धारण में इन दोनों गतिविधियों में इसके कारोबार को एक साथ लिया जाएगा।

दसवां वित्त आयोग

517. **श्री शरद दिघे:**
श्री चित्त बसु:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवां वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के क्या नाम है तथा आयोग के विचाराधीन विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक देने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) से (ग) दसवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के दिनांक 15 जून, 1992 के आदेश द्वारा श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की अध्यक्षता में कर लिया गया है जिसमें डा० देवीप्रसाद पाल, संसद सदस्य, श्री वी०पी० आर० विट्ठल और डा० सी० रंगाराजन, सदस्य के रूप में और श्री एम० सी० गुप्ता, सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। आयोग को 30 नवम्बर, 1993 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत क.रनी अपेक्षित है। इस आयोग का गठन करने वाली अधिसूचना जिसमें आयोग के विचारार्थ विषय शामिल है, 8, जुलाई, 1992 को सभा पटल पर रख दी गई है।

नेशनल जूट मिल्स कारपोरेशन द्वारा श्रमिक समझौते का कार्यान्वयन

518. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लि०, के अधीन कार्यरत पटसन मिलें, पटसन मिल मालिकों और पटसन मिल कर्मचारियों के बीच हुए नवीनतम समझौते को स्वीकार नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लि० द्वारा समझौते को कार्यान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के लिए त्रिपक्षीय वेतन समझौते के आधार पर एन जे एम सी के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के प्रस्ताव को पहले से ही अनुमोदित कर लिया है।

गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से ऋण

519. **प्रो० राम कापसे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु ऋण मंजूर करने के लिए विश्व बैंक ने क्या शर्तें रखी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त शर्तों को पूरा किया है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अब तक कितना धन दिया गया है और उनमें कितना धन खर्च हुआ है; और

(घ) इन उपायों का औद्योगिक रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) विश्व बैंक की सहायता से, विशेष रूप से, गरीबी उन्मूलन के बारे में किसी परियोजना को अभी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इसलिए ऐसे किसी ऋण के लिए विश्व बैंक की शर्तों और औद्योगिक रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात में कमी

520. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महिनों के दौरान "रुपया भुगतान क्षेत्र" तथा "सामान्य मुद्रा क्षेत्र" दोनों ही क्षेत्रों को निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत के विदेश व्यापार के अनन्तिम आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के केवल माह अप्रैल, 1992 के लिए उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार माह अप्रैल, 1992 के दौरान जी सी ए (सामान्य मुद्रा क्षेत्र) देशों को भारत से निर्यात 3671.87 करोड़ रुपए मूल्य का हुआ जबकि माह अप्रैल, 1991 के दौरान यह 2561.61 करोड़ रु० मूल्य का हुआ था। इस प्रकार, उसमें 43.34 प्रतिशत की वृद्धि रही। माह अप्रैल, 1992 के दौरान आ पी ए(रुपया भुगतान क्षेत्र) देशों को भारतीय निर्यात 288.14 करोड़ रु० मूल्य का हुआ जबकि अप्रैल, 1991 के दौरान यह निर्यात 390.65 करोड़ रु० मूल्य का हुआ था। इस प्रकार उसमें 26.24 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ग) व्यापार नीति में जुलाई, 1991 से अनेक संशोधन किए गए जिन का उद्देश्य था—निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाईसेंसिंग को काफी हद तक करना और आयात टैरिफ ढांचे को सुव्यवस्थित करना। वर्ष 1992-93 के बजट में रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया था जिससे कि विदेशी मुद्रा के सृजन और मूल्यवर्धित मदों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। इन उपायों को दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित निर्यात-आयत नीति में और भी समेकित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, भारतीय उद्योग की उत्पादकता बढ़ाना आधुनिकीकरण करना तथा उसे प्रतियोगी बनाना और उसके फलस्वरूप उसकी निर्यात क्षमता में वृद्धि करना है। दिनांक 1 जुलाई, 1992 को एक्सिम नीति में संशोधन किया गया है और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों से प्राप्त टिप्पणियों को शामिल किया गया है। सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए एक पांच सूत्री कार्रवाई योजना की भी घोषणा की है। इसमें ये शामिल है— "एक्सट्रीम फोक्स सैक्टर्स" के रूप में अभिज्ञात 34 मदों के निर्यात संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना तैयार करना, एक राष्ट्रीय क्वालिटी जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ करना, निर्यात घरानों तथा अग्रणी औद्योगिक घरानों के साथ एक-एक करके बैठकें आयोजित करना, हमारे विदेशी वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को नया रूप देने के लिए विश्वव्यापी उपाय आरंभ करना, विदेशों में प्रचार बढ़ाना तथा 40-50 चुनिंदा देशों में हमारे उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन क्रियान्वित करना और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के मौजूदा विनियामक प्राधिकरण स्वरूप को बदलकर उसे एक संवर्धनकारी निकाय के रूप में पुनर्गठित करना। इनके अतिरिक्त, सरकार ने दूसरे कदम भी उठाए हैं जिनमें शामिल हैं——लाइसेंसिंग के जरिए नियंत्रण समाप्त करना, निर्यात की क्रियाविधियों का सरलीकरण, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिन्दा देशों से द्विपक्षी विचार-विमर्श, व्यापारियों तथा उद्योगियों के राष्ट्रीय संगठनों से परस्पर बातचीत करना।

वस्त्र नीति में संशोधन

521. **श्री प्रतापराव जी० भौंसले:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र नीति में किये जाने वाले संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक अंतिम रूप दिये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) फिलहाल सरकार की नई वस्त्र नीति की घोषणा करने का इरादा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का विस्तार

522. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खाद्य फसलों के विकल्प के रूप में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो और अधिक पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय रेशम पालन परियोजना का विस्तार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय रेशम-उत्पादन परियोजना 5 परम्परागत और 12 प्रायोगिक राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र से असम भी शामिल है। प्रायोगिक राज्यों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा एक या दो संभाव्य जिलों को परियोजना क्षेत्रों के रूप में चुना गया है और इस रूप में परियोजना राज्यों के लिये बड़े पैमाने पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रेशम-उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से एक माडल परियोजना सिद्ध हुई है। राष्ट्रीय रेशम-उत्पादन परियोजना के अंतर्गत रेशम-उत्पादन का विकास करने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के जोरहाट और सिबसागर जिलों को रेशम उत्पादन परियोजना क्षेत्रों के रूप में चुना गया है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

524. **श्री अन्ना जोशी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के उन रुग्ण कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या जिसका अधिग्रहण राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 31 मार्च, 1992 तक किया गया था;

(ख) इन मिलों को अधिग्रहण करने के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मिल-वार इन मिलों को बन्द करते समय तथा उत्पादन फिर से आरंभ करने के पश्चात इनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या क्या थी; और

(घ) मिलों को फिर से चालू करने के बाद मिल-वार कितना उत्पादन किया गया और कितना लाभ अर्जित किया गया अथवा हानि वहन करनी पड़ी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबंध का अधिग्रहण) अधिनियम 1983 के अंतर्गत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में 13 मिलों का अधिग्रहण किया है और उनको एन टी सी के संरक्षण में रख दिया है।

(ख) इन 13 अधिगृहित मिलों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ग) बंद होने के समय 13 अधिगृहित मिलों के कामगारों की संख्या उपलब्ध नहीं है। एन टी सी के प्रबंध के अधीन उत्पादन शुरू होने के पश्चात इन मिलों में कामगारों की संख्या 23,208 थी। मिल-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(घ) एन टी सी के अधीन महाराष्ट्र में 13 प्रबंधित मिलों के उत्पादन और लाभ/हानि की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

एन टी सी प्रबन्ध के अधीन उत्पादन शुरू होने के पश्चात महाराष्ट्र राज्य में 13 प्रबंधित मिलों में कामगारों की संख्या के मिल-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	मिल का नाम	एन टी सी प्रबन्ध के अधीन उत्पादन शुरू होने के पश्चात कामगारों की संख्या
1.	एल्फिनस्टोन स्पि० एण्ड वी० मिल्स	2115
2.	फिन्ले मिल्स	2361
3.	गोल्ड मुहर मिल्स	1823
4.	जाम मैन्यु० मिल्स	2649
5.	6.7 कोहिनूर मिल्स, नं० 1,2 एण्ड 3	2399
8.	मधुसूदन मिल्स	1997
9.	न्यू सिटी मिल्स	2839
10.	पोद्दार मिल्स	1796
11.	सीताराम मिल्स	1497
12.	टाटा मिलस	2705
13.	पोददार प्रोसेसर्स	1027
	योग:	23208

विवरण-II

क्रम सं०	मिल का नाम	31-3-92 तक हुआ निबल लाभ/हानि (करोड़ रु०)	31-3-92 तक उत्पादन	
			यार्न (लाख किग्रा)	कपड़ा (लाख मीटर)
1.	एल्फिनस्टोन स्पि० एण्ड वी० मिल्स	-22.81	39.18	795.96
2.	फिन्ले मिल्स	-18.11	14.12	787.14
3.	गोल्ड मुहर मिल्स	-18.42	22.23	762.81
4.	जाम मैन्यु० मिल्स	-32.54	24.30	966.55
5.	6.7 कोहिनूर मिल्स, नं० 1,2,3.	-47.32	22.38	855.93
8.	श्री मधुसूदन मिल्स	-35.15	33.04	686.81
9.	न्यू सिटी मिल्स	-14.85	134.91	981.90
10.	पोद्दार मिल्स	-4.46	142.13	595.11
11.	पोद्दार प्रोसेसर्स	+3.03	—	—
12.	श्री सीता राम मिल्स	-29.06	33.53	478.38
13.	टाटा मिल्स	-30.98	30.84	956.97
		-250.67	496.66	7867.56

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बैंक डकैतियां

525. **श्री राजवीर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में, वर्ष-वार और जिला-वार बैंक डकैती की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्गस्थ नकदी लूटने की घटनाओं सहित बैंक लूटपाटों/डकैतियों के 23 मामले घटित हुए। वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान इन लूटपाटों/डकैतियों की जिला-वार स्थिति संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) बैंक लूटपाट/डकैतियां काफी हद तक स्थान विशेष के सामान्य सुरक्षा वातावरण पर निर्भर करती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी और सुधार आवश्यक समझे जाते हैं तो बैंकों को अपेक्षित मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए जाते हैं। अंतर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने अपनी शाखाओं का वर्गीकरण किया है और आवश्यकतानुसार सशस्त्र गार्ड तैनात किए हैं तथा सेंधमारी/लूटपाट विरोधी उपाय आदि किए हैं।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड

526. **श्री पी० सी० चाको:**
प्रो० के० वी० थामस:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन शिपयार्ड का 1990-91 और 1991-92 के दौरान समग्र कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस शिपयार्ड में जहाजों की मरम्मत के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) शिपयार्ड के गोदी के जहाज निर्माण की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान लक्ष्यों की तुलना में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत का समग्र निष्पादन नीचे दिया गया है:—

	1990-91		1991-92	
	संशोधित लक्ष्य	वास्तविक	संशोधित लक्ष्य	वास्तविक
जहाज निर्माण डी०डब्ल्यू०टी०	37500	38133	32400	32931
मुख्य घटनाएं				
(क) जहाज 0007 की डिलीवरी	अक्टू०,90	अक्टू०,90		
(ख) 008 की लांचिंग		मार्च, 92	फरवरी, 92	
जहाज मरम्मत **कारोबार** (करोड़ रु०)	18.00	22.44	30.00	45.00
हानि	22.83	20.97	22.28	18.50

विवरण

वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश में घटित लूटपाटों/डकैतियों की घटनाओं की जिला-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में)

वर्ष	जिले का नाम इलाहाबाद	बस्ती	बलिया	बुलन्दशहर	पौड़ी गढवाल	गाजियाबाद	पीलीभीत	नैनीताल	मेरठ	जालौन	शाहजहांपुर	उन्नाव	योग
1989	1	—	1	2	2	3	—	1	—	—	—	—	10
1990	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	05
1991	—	—	—	—	—	1	3	—	2	1	1	—	08
कुल योग	1	1	1	3	2	5	3	1	2	1	2	1	23

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:—

जहाज निर्माण	32500 डी डब्ल्यू टी
जहाज 008 की डिलीवरी	दिसम्बर, 1992
जहाज मरम्मत संबंधी कारोबार	50.00 करोड़ रु०
हानि	15.98 करोड़ रु०

(ख) फरवरी, 1992 में जहाज 008 की लांचिंग के बाद कोचीन शिपयार्ड ने एक दूसरा जहाज मरम्मत प्रभाग शुरू किया और बिल्डिंग डाक को उन जहाजों की मरम्मत में लगा दिया जिन पर बड़ी मात्रा में स्टील नवीकरण की आवश्यकता थी।

[हिन्दी]

दल-परिवर्तन अधिनियम में संशोधन

527. **श्री मृत्युंजय नायक:**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दल-परिवर्तन अधिनियम के संबंध में पीठासीन अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) यह विषय विचारधीन है और अभी तक कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

पटसन मिलें

528. **श्री तेज नारायण सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई प्रौद्योगिकी के न अपनाए जाने तथा इसकी पूंजी को अन्य उद्योगों में लगाए जाने के कारण मिलें रुग्ण होती जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) पटसन उद्योग में मौजूदा रुग्णता के कारण कम उत्पादकता, आधुनिकीकरण की कमी तथा कम मूल्य के सिन्थेटिक प्रतिस्थापनों से स्पर्धा का होना माने जा सकते हैं। सरकार ने रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, विशेष पटसन निधि की स्थापना, खाद्यान्नों, चीनी, सीमेन्ट तथा उर्वरक की पैकिंग के लिए पटसन का अनिवार्य प्रयोग, लागत जमा आधार पर बी० ट्विल बोरों की खरीद, वित्तीय, रोजकोपीय तथा बाजार संबंधी सहायता प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

529. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए कितनी राशि के ऋण और अन्य छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके अंतर्गत लिये जाने वाले प्रस्तावित मिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनमें कितने श्रमिकों को निर्वासित किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना पांच वर्ष (1986—91) की अवधि से अधिक समय से आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने के लिए आरम्भ में 750 करोड़ रु० की राशि से आई०डी०बी०आई० द्वारा अगस्त, 1986 में आरंभ की गई थी। इस योजना को आठवीं योजना में भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है और मंत्रालय ने 1500 करोड़ रु० परिव्यय का सुझाव दिया है। किसी भी यूनिट को मंजूर की गई आधुनिकीकरण सहायता की मात्रा उसकी अर्थक्षमता पर निर्भर करती है और मामला-दर-मामला आधार पर निश्चित किया जाता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा अनिवासी (विशेष जमा) योजना

530. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्यपूर्व में रहने वाले अनिवासी भारतीयों से उन्हें अल्पावधि (चालू) खाता खोलने की अनुमति देने के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (विशेष जमा) योजना के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(घ) गत वर्ष के दौरान कितने अनिवासी भारतीयों ने इस योजना के अन्तर्गत अपना पैसा जमा कराया; और

(ङ) उन राज्यों के नामों (सहित) जिनके ये अनिवासी भारतीय हैं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस योजना के अधीन 1.79 मिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटाई गयी है।

(ङ) इस संबंध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भुगतान-सन्तुलन की स्थिति

531. **श्री साईमन मरांडी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भुगतान-सन्तुलन के संकट पर काबू पा लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में पिछले 6 महीनों के दौरान क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) विश्व बैंक तथा भारत सहायता कोप के जरिए ऋण अथवा सहायता के रूप में 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां। भुगतान-सन्तुलन की संकट की स्थिति पर काबू पा लिया गया है, फिर भी स्थिति अभी कठिन बनी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भुगतान-सन्तुलन के संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो कदम उठाए गए हैं उनमें व्यापार नीति में सुधार, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता के माध्यम से विनिमय दर प्रबंध की नई प्रणाली की शुरूआत करना, विदेशी निवेश के संवर्धन और आयात शुल्कों में कमी करने के लिए नए उपाय करना शामिल है। ये सभी कदम सुधार संबंधी विस्तृत उपायों का एक हिस्सा हैं।

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए हुई भारत सहायता संघ की बैठक में 7.2 अरब अमरीकी डालर राशि की सहायता की वचनबद्धता की गई जिसमें से विश्व बैंक का हिस्सा 3.0 अरब अमरीकी डालर है।

विदेशों में संयुक्त उद्यम हेतु सुविधायें

532. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए क्या सुविधायें दी जा रही हैं और दिये जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ऐसे संयुक्त उद्यमों के प्रतिष्ठान को अन्तरित करने की अनुमति भी देती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) सरकार ने एक ऐसी अन्तः मंत्रालयी समिति का गठन किया है जो विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रस्तावों पर एक ही स्थान पर क्लीयरेन्स देने के उद्देश्य से विचार करेगी। भारतीय संवर्धक कंपनियों द्वारा मशीनरी के निर्यात के जरिए, इक्विटी सहभागिता शुल्कों, रायल्टी और अन्य हकदारियों तथा माल के निर्यात से प्राप्त आय के पूंजीकरण के मामलों पर, विदेशी मुद्रा ऋण लेने और ऋण देने के मामलों पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है और अनुमति दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रोपर्टी डीलरों के परिसरों पर छापे

533. श्री कमल चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में पृथक्-पृथक् रूप से प्रोपर्टी डीलरों के कार्यालयों/आवासीय परिसरों पर आय कर विभाग द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे छापों के दौरान पकड़े गए बेहिसाब धनराशि, अन्य बहुमूल्य और आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में से प्रत्येक मामले की नवीनतम स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) तलाशियों के दौरान एकत्र की गई सूचना तथा साक्ष्य को संबंधित कर-निर्धारण अधिकारियों के पास

भेज दिया गया है और आयकर अधिनियम के अध्यधीन यथापेक्षित आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं। कुछ मामलों में, तलाशियों के दौरान पाई गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् कर-निर्धारणों को भी मुकम्मल कर दिया है।

विवरण

वित्त वर्ष	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ली गई तलाशियों की संख्या	अभिग्रहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)			
			नकदी	जेवर-जवाहिरात	अन्य	कुल
1989-90	दिल्ली	73	78.84	27.21	49.55	155.60
	हरियाणा			—शून्य—		
	पंजाब					
	चंडीगढ़					
1990-91	दिल्ली	81	46.64	31.15	182.57	259.36
	हरियाणा	4	3.90	—	—	3.90
	पंजाब					
	चंडीगढ़			—शून्य—		
1991-92	दिल्ली					
	हरियाणा					
	पंजाब			—शून्य—		
	चंडीगढ़					

इन मामलों में अपराध-आरोपणीय बहीखाते तथा दस्तावेज भी अभिग्रहीत किए गए थे।

कॉफी उत्पादन

534. **श्री पांडुरंग पुंडिलक फुंडकर:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस वर्ष काफी का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के मौसम की तुलना में 1992-93 के दौरान देश में कॉफी का कम उत्पादन होने की संभावना है। चूंकि कॉफी में द्विवार्षिक उपज देने की प्रवृत्ति है और पिछले मौसम के दौरान काटी गई फसल काफी अच्छी थी, इसलिए 1992-93 के मौसम में कम फसल होने की संभावना है।

(ग) कॉफी बोर्ड ने सतत उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) सघन रोपण कार्यक्रम

(ii) काफी के उच्च पैदावार वाली और रोग-प्रतिरोधी नई किस्मों का पुनर्रोपण

(iii) छोटे उत्पादकों तक ऋण और इमदाद सुविधा का प्रसार

(iv) भूतल और जमीन के नीचे उपलब्ध जल के उपयोग हेतु जल संवर्धन कार्यक्रम

(v) विशेष ध्यान देकर कापी के मुख्य नाशी जीवों तथा बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण।

बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

535. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री अमर राय प्रधान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यवार कुल कितना ऋण वितरित किया;

(ख) इस ऋण में छोटे किसानों का हिस्सा कितना है तथा इससे लाभान्वित हुए किसानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटे किसानों को मिलने वाले ऋण के अनुपात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, जून 1988, जून 1989 और जून 1990 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा छोटे तथा सीमांत किसानों को संवितरित किये गये अग्रिमों की राज्यवार रकम तथा हिताधिकारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) किसानों, खासकर छोटे तथा सीमांत किसानों को दिये जा रहे ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कृषि (सम्बद्ध कार्यों सहित) के लिये दिये जा रहे प्रत्यक्ष वित्त का स्तर 18 प्रतिशत तक होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऋण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल तथा उदार बनाने के वास्ते विस्तृत मार्गनिर्देश भी जारी किये हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश इस प्रकार हैं:—

(1) 7500/- रुपये तक के फसल ऋणों पर ब्याज 11.5 प्रतिशत तक रखा जाना चाहिए।

(2) छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा लिये गये 7500/- रुपये तक के किसी भी निवेश प्रकार के निवेश ऋणों पर ब्याज दर केवल 11.5 प्रतिशत होने चाहिए।

(3) छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा लिये गये फसल ऋणों के मामले में नामे डाले गये ब्याज की रकम मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) 10,000/- रुपये तक के ऋणों के मामले में तीसरी पार्टी गारंटी अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

(5) कृषि क्षेत्र में वर्तमान देय रकमों पर कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना चाहिए।

(6) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को ऋण मंजूर करने के उचित अधिकार दिये जाने चाहिएं ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर हो जायें।

विवरण

अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खातों की संख्या (हजार में)						संवितरण की रकम (करोड़ रुपए में)					
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र			छोटे तथा सीमांत किसान			प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र			छोटे तथा सीमांत किसान		
	1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
	जून	जून	जून	जून	जून	जून	जून	जून	जून	जून	जून	जून
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	129	135	116	50	51	39	226	249	247	28	29	24
हिमाचल प्रदेश	36	41	40	19	18	17	32	50	47	7	7	8
जम्मू व कश्मीर	14	18	13	4	3	2	37	35	29	2	2	1
पंजाब	261	256	203	92	83	75	441	548	435	79	74	66
राजस्थान	236	217	199	73	71	62	227	248	249	29	27	23
चण्डीगढ़	5	5	3	1	—	—	35	35	30	2	2	—
दिल्ली	64	48	45	2	1	1	298	336	298	1	1	1
असम	159	74	68	35	14	20	173	66	68	7	10	9
मणिपुर	3	5	5	1	—	1	4	7	6	—	—	1
मेघालय	3	5	9	2	1	1	3	8	8	1	—	1
नागालैण्ड	4	4	5	6	1	1	6	11	6	6	1	1
त्रिपुरा	21	20	11	8	8	4	12	11	10	2	2	1
अरुणाचल प्रदेश	1	1	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—
मिजोरम	—	1	1	—	—	—	1	3	3	—	—	—
सिक्किम	3	3	3	1	1	1	2	2	2	—	—	—
बिहार	345	382	374	131	134	180	260	292	312	45	55	80
उड़ीसा	355	390	473	101	139	138	178	216	228	27	54	54
पश्चिम बंगाल	422	435	434	162	182	162	362	321	395	45	53	57
अंडमान और निकोबार	3	2	2	—	—	—	2	2	2	—	—	—
मध्य प्रदेश	374	398	394	86	99	87	387	402	444	41	34	30
उत्तर प्रदेश	670	717	702	273	316	268	609	678	860	104	126	119
गुजरात	324	355	357	83	79	64	446	519	695	45	30	29
महाराष्ट्र	573	1067	434	139	279	124	954	2124	1259	74	179	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा	24	61	23	7	16	6	39	86	34	2	5	3
दादरा और नागर हवेली	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	1551	1402	944	782	751	536	864	957	912	266	272	196
कर्नाटक	881	836	743	245	248	216	606	654	647	99	115	110
केरल	1032	926	923	494	433	389	537	590	604	175	165	162
तमिलनाडु	1501	1548	1553	692	849	793	960	1050	1180	267	322	343
पाण्डिचेरी	31	32	29	14	17	13	17	17	18	6	5	5
लक्ष द्वीप	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

बासमती चावल का निर्यात

536. **डा० आर० मल्लू:**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "फारमर्स यूज फाल्स बासमती स्ट्रेन टू रेक इन प्राफिट" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि मिलावटी बासमती चावल का निर्यात न किया जाए, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जी, हां।

इस लेख में यह आरोप लगाया गया है कि बासमती में मिलाने के लिए साथी चावल उगाया जा रहा है।

सरकार ने बासमती चावल को उन मदों में से एक मद के रूप में अधिसूचित किया है जिनका या तो निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा या विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा लदानपूर्व निरीक्षण करना अनिवार्य है। इनमें अपवादस्वरूप केवल वही मामले हैं जिनमें विदेशी क्रेता ऐसा निरीक्षण नहीं चाहता। साथी को गैर-बासमती चावल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः निर्धारित सीमा से अधिक गैर-बासमती चावल वाले बासमती चावल की खेपें निरीक्षण अभिकरणों द्वारा निर्यात के लिए क्लीयर नहीं की जाएंगी।

पोलैण्ड की सहायता से शिपयार्डों का आधुनिकीकरण

537. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पोलैण्ड के शिपयार्डों अथवा पोलैण्ड की सरकार ने उनकी सहायता से देश में स्थित शिपयार्डों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन किन शिपयार्डों के लिए यह सहायता प्राप्त किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यातोन्मुख कृषि फार्म

538. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से निर्यातोन्मुख कृषि फार्मों का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) सरकार का सरकारी क्षेत्र में निर्यातोन्मुख फार्मों की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं हेतु मुक्त व्यापार क्षेत्र

539. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे क्या लाभ मिलने की सम्भावनायें हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मछली और झींगा का निर्यात

540. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की मछलियों और झींगा मछलियों का निर्यात किया गया; और

(ख) इनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) स्थिति नियमानुसार है:

	मात्रा एम टी में	मूल्य करोड़ रु० में
1989-90	110843	634.99
1990-91	139419	893.37
1991-92 (अनन्तिम)	171820	1375.89

स्रोत: एम्पीडा, कोचीन

(ख) भारत से समुद्री खाद्य का निर्यात मुख्यत: जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात को किया जाता है।

सशस्त्र बलों द्वारा खरीदी गई भूमि का भुगतान

541. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा खरीदी गई सभी भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने भू-क्षेत्र के मूल्य की अदायगी अभी शेष है; और

(ग) भुगतान में विलम्ब के क्या कारण है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं के लिए अर्जित भूमि के लिए देय मुआवजा नीचे दिए गए 4 मामलों को छोड़कर शेष सभी के लिए संबंधित जिलाधीशों के पास जमा कर दिया गया है:-

क्रम सं०	क्षेत्र	मुआवजा अदा न करने का कारण
1.	सूरतगढ़ छावनी के विस्तार के लिए अर्जित 3153 एकड़ भूमि (भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत ली गई)	मुआवजे का एक भाग अर्थात् लगभग 11.2 करोड़ रुपये की रकम जिलाधीश के पास जमा कर दी गई थी। मुआवजा की शेष रकम अर्थात् 9.56 करोड़ रुपये के लिए स्वांकृति जारी करने पर विचार किया जा रहा है।
2.	जम्मू में डोमना तहसील में अर्जित 2.50 एकड़ भूमि (भूमि, जम्मू और कश्मीर अचल सम्पति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अंतर्गत ली गई)।	प्रारंभिक मूल्यांकन के संदर्भ में बढ़े हुए मुआवजे के लिए संशोधित स्वीकृति जारी की जा रही है।
3.	उड़ीसा में गोपालपुर तट पर ए०डी०जी०एम० स्कूल के लिए अर्जित 13.82 एकड़ भूमि (भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत ली गई)।	कुल मुआवजे का 80 प्रतिशत भाग जिलाधीश के पास जमा कर दिया गया था। बढ़े हुए मुआवजे के कारण शेष 20 प्रतिशत राशि की अदायगी का प्रस्ताव अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	जोधपुर में अर्जित 40 एकड़ भूमि (भूमि अचल सम्पति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अंतर्गत ली गई)।	जिलाधीश द्वारा अभी मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

जापान को निर्यात

542. **कुमारी पुष्पम देवी सिंह:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जापान के लिए निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जापान को इस समय निर्यात की जा रही तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वस्तुओं के निर्यात में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) उठाए गए कदमों में व्यापार तथा सरकारी मंचों के जरिए समय-समय पर द्विपक्षीय व्यापार की पुनरीक्षा, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, जापान में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) भारत से जापान को किए जाने वाले निर्यात में मुख्य रूप से लोह अयस्क, हीरे, शिम्प, रसायन, भेषज, इंजीनियरी मदें, कपास तथा वस्त्र मदें शामिल है।

सिले-सिलाए वस्त्र, चर्म-उत्पाद, हल्के इंजीनियरी सामान, स्वर्ण-आभूषण, कंप्यूटर साफ्टवेयर इत्यादि उन मुख्य सम्भावित मदों में से हैं जिनका भारत से जापान को निर्यात बढ़ने की संभावना है।

"ओपन करेंसी यूनिट" के रूप में प्रतिभूति का प्रयोग

543. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी प्रतिभूतियों की दरों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और लचीला बनाने का है, ताकि सरकारी प्रतिभूतियों का "ओपन करेंसी यूनिटों" की तरह उपयोग कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके फलस्वरूप सरकार को क्या-क्या लाभ होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे): (क) से (ग) सरकार ने निवेशकों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को आकर्षक बनाने के कई कदम उठाए हैं। सरकार ने दीर्घावधि दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि जो वर्ष 1971 में 30 वर्ष थी, उत्तरोत्तर घटाकर अब 15 वर्ष कर दी है। विद्यमान बाजार दरों और सरकारी उधार दरों के बीच पहले के मौजूदा अन्तर को कम करके ब्याज दरों को भी समय-समय पर बढ़ा दिया गया है—उदाहरणार्थ 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए सरकारी उधार दर वर्ष 1971 में 5 3/4 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि की विद्यमान उधार दर 13 प्रतिशत है। 182-दिवसीय और 364-दिवसीय परिपक्वता वाली राजकोषीय हुंडियों की भी अब समय-समय पर नीलामी द्वारा बिक्री की जा रही है। इनसे सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक गौण बाजार निर्मित करने में सहायता मिली है।

(घ) उपरोक्त उपायों से सरकार की ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। परन्तु इसका लाभ यह है कि अगर ये उपाय न किए गए होते तो सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण बहुत अधिक होता जिसका मुद्रा पूर्ति और मुद्रास्फीती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

इकिजम स्क्रिप का जारी किया जाना

544. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक के समक्ष ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें जाली नकदीकरण प्रमाण पत्रों पर करोड़ों रुपये मूल्य के इकिजम स्क्रिप जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन सी पार्टियां शामिल हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) कुछ ऐसे मामलों का पता

लगाया गया है जिनमें एक्जिम स्क्रिप को ऐसे दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे जिन्हें बाद में जाली पाया गया। इन एक्जिम स्क्रिप्स को स्थगित/रद्द कर दिया गया। मामले को उचित कार्रवाई हेतु पुलिस को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक्जिम स्क्रिप्स योजना को अब समाप्त कर दिया गया है।

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट

545. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:
श्री राम सागर:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास का "ग्रीन साल्ट लेक" की भांति "मुदियाली वेटलैंड" का वाणिज्यीकरण करने का विचार है जैसाकि इस संबंध में 13 जून, 1992 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कलकत्ता पत्तन न्यास अतिक्रमण को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है।

मध्य प्रदेश को भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता

546. कुमारी उमा भारती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भातीय जीवन बीमा निगम ने मध्य प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क)

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया निवेश
1990-91	119.77
1991-92	82.82

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चालू वित्त वर्ष (1992-93) के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को सामाजिक आवास योजनाओं, विद्युत उत्पादन तथा जल-आपूर्ति योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों को ऋण

547. श्री राजेश कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार हेतु ऋण स्वीकृत करने की नीति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक को ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और प्रत्येक राज्य में कुल कितने मामलों में वास्तव में भुगतान किया गया;

(घ) क्या ऋण स्वीकृत करने के कुछ मामले अभी भी लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों में विलम्ब के क्या कारण है;

(च) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में बैंक-वार कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ङ) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के वास्ते योजना समेत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण के प्रवाह में हुई प्रगति की समय-समय पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रशासनिक नियंत्रण, उद्योग मंत्रालय में विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार यह प्रगति उनकी समीक्षा तथा मूल्यांकनधीश रहती है। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन जिला उद्योग केन्द्र कार्य-दल द्वारा बैंकों को प्रायोजित किए जाते हैं। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सिफारिश किए गए आवदेनों की संख्या स्वीकृत आवेदनों की संख्या तथा प्रत्येक बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

(च) और (छ) सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि ऋणों के मंजूर न किए जाने, मंजूर करने में विलम्ब होने तथा बैंकों द्वारा ऋणों के संवितरण से संबंधित सभी शिकायतों पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा संबंधित बैंकों को उपचारी कार्यवाही के लिए लिखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सिफारिश किए गए आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत	स्वीकृत राशि (लाख रु०)	सिफारिश किए गए आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत	स्वीकृत राशि (लाख रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्र प्रदेश	11566	8047	1866.63	11739	6849	1575.83
2.	असम	3465	3067	822.25	4246	3480	915.16
3.	बिहार	18729	11545	3005.63	15202	8379	2241.16
4.	गुजरात	6943	2419	344.92	3597	1145	164.26
5.	हरियाणा	4636	2545	543.72	4679	2502	569.37
6.	हिमाचल प्रदेश	1601	870	174.88	1668	937	193.09
7.	जम्मू व कश्मीर	531	236	71.88	PNR	PNR	PNR
8.	कर्नाटक	9821	5415	1069.64	9021	4771	1047.00
9.	केरल	14222	6249	1152.22	14449	1800	261.25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	मध्य प्रदेश	16019	6751	1489.36	PNR	PNR	PNR
11.	महाराष्ट्र	15375	9027	1687.59	17193	10131	1848.40
12.	मनिपुर	750	750	242.65	758	750	245.68
13.	मेघालय	137	24	5.73	PNR	PNR	PNR
14.	नागालैण्ड	57	57	12.69	95	PNR	PNR
15.	उड़ीसा	6229	4578	1170.91	5979	4291	1136.15
16.	पंजाब	12658	7453	1714.40	14102	4766	946.83
17.	राजस्थान	8775	5330	1159.04	9457	5744	802.79
18.	सिक्किम	46	28	5.30	81	55	9.85
19.	तमिलनाडु	16058	8015	1414.00	16513	8245	1449.31
20.	त्रिपुरा	449	502	132.40	477	420	117.70
21.	उत्तर प्रदेश	22234	13201	3068.70	22621	10961	2560.19
22.	पश्चिम बंगाल	7385	4203	961.96	11273	441	72.94
23.	अंडमान व निकोबार	48	23	4.57	50	16	3.08
24.	अरूणाचल प्रदेश	49	22	4.71	47	12	2.99
25.	चंडीगढ़	271	127	30.58	361	121	27.93
26.	दादरा व नागर हवेली	37	20	5.00	40	36	9.20
27.	गोवा	199	199	0.00	PNR	PNR	PNR
28.	मिजोरम	165	136	36.86	126	PNR	PNR
29.	पांडिचेरी	442	305	43.25	450	299	44.04
30.	लक्षद्वीप	21	12	2.80	22	14	3.40
31.	दमन और दीव	12	12	2.51	6	PNR	PNR
	जोड़	178930	101168	22246.78	164252	76165	16247.60

स्रोतः विकास आयुक्त (लघु उद्योग) उद्योग मंत्रालय
प्रगति की सूचना नहीं मिली
आंकड़े अनन्तिम

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान

548. श्री संतोष कुमार गंगवार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानताओं के बारे में कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन और समीकरण समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के सेवा-विनियमनों, भर्ती और पदोन्नति नीति में कतिपय संशोधन किए जाने थे। तदनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सितम्बर, 1991 में निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित एक कार्यकारी दल का गठन किया था:

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए सेवा-विनियमन तैयार करना;

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती और पदोन्नति नीतियां तैयार करना; और

(iii) समीकरण समिति रिपोर्ट के साथ पठित न्यायाधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कोई अन्य मामला।

नाबार्ड, जिसे कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने स्टाफ सेवा विनियमनों, भर्ती और पदोन्नति नीति आदि से सम्बद्ध सिफारिशों पर सरकार को सलाह दी है। कार्यकारी दल को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानताओं की जांच करना अपेक्षित नहीं था।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

549. श्री पी० सी० थामस: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके निर्यात में केरल का हिस्सा कितना है;

(ग) समुद्री खाद्य पदार्थों और समुद्री उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार समुद्री निर्यात में वृद्धि करने के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान निर्यात इस प्रकार थे:

	मात्रा (एम टी में)	मूल्य (करोड़ रु०)
1990-91	139419	893.37
1991-92 (अनन्तिम)	171820	1375.89

(स्रोत: एम्पीडा, कोचीन)

राज्यवार निर्यात आंकड़े संकलित नहीं लिए जाते हैं अतः उपर्युक्त निर्यातों में केरल का योगदान बताना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) समुद्री खाद्य उद्योग के विकास के लिए तथा इस क्षेत्र से होने वाली निर्यात आय में वृद्धि करने के लिए सरकार एम्पीडा के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

I. मत्स्य पालन फार्मों के उत्पादन तथा उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए योजनाएं।

II. मछली पकड़ने में विविधता ला कर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनाएं।

III. मल्यूवर्धित मदों के उत्पादन के लिए समुद्री खाद्य उद्योग का आधुनिकीकरण।

एम्पीडा समुद्र के निकटवर्ती राज्यों में स्थित अपने क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विस्तार सेवा भी प्रदान कर रहा है।

सोने की तस्करी

550. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 मार्च, 1992 से स्वर्ण आयात नीति के लागू होने के बावजूद अब भी सोने की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मई, 1992 से तथा वर्ष 1991 की प्रत्येक तिमाही के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कितनी बार तस्करी का सोना पकड़ा गया तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सोने की तस्करी को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है, इसलिए यह कहना कठिन है कि देश में सोने की तस्करी अभी-भी बढ़ रही है या नहीं तथापि, पहली अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1992 की अवधि के दौरान पकड़े गये सोने की मात्रा और उसके मूल्य की कैलेण्डर वर्ष 1991 की इसी अवधि के दौरान पकड़े गये सोने की मात्रा और उसके मूल्य से तुलना करने पर गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है:

अवधि	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1.4.1991 से 30.6.1991 तक	1744	6140
1.4.1992 से 30.6.1992 तक	551	2240

वर्ष 1991 की चार तिमाहियों में से प्रत्येक के दौरान और वर्ष 1992 की पहली दो तिमाहियों तथा मई और जून, 1992 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये मामलों की संख्या और सोने की मात्रा तथा उसका मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है:—

अवधि	मामलों की संख्या	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1991			
जनवरी-मार्च	622	1384	4815
अप्रैल-जून	1307	1744	6140
जुलाई-सितम्बर	745	958	3933
अक्तूबर-दिसम्बर	361	860	3986
1992			
जनवरी-मार्च	608	986	4626
*अप्रैल-जून	147	551	2240
*मई-जून	41	336	1343

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। तस्करी करने वाले प्रमुख गिरोहों के प्रति आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर दिया गया है और सोने सहित सभी प्रकार की तस्करी की पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के कार्य से जुड़ी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

रबड़ का निर्यात

551. **श्री एन० डेनिस:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में उपयुक्त श्रेणी की रबड़ की कमी के बावजूद राज्य व्यापार निगम घाटा उठाकर भी रबड़ का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इसके कारण स्थानीय बाजारों में रबड़ के मूल्यों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) आपूर्ति और घरेलू मांग को ध्यान में रखने के बाद जो अतिरिक्त रबड़ उपलब्ध था केवल उसे ही निर्यात किए जाने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार प्राकृतिक रबड़ के निर्यात से घरेलू बाजार में रबड़ के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई। हाल में हुई मूल्य वृद्धि एक मौसमी घटना है जो मानसून के शुरू होने तथा उसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में गिरावट के कारण हो सकती है। एस०टी०सी० को उनके पास रखे रबड़ के भण्डार को निर्गत करने वह उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तब से एस टी सी ने रबड़ के और निर्यात को रोक दिया है।

सोने का आयात

552. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 मार्च, 1992 से स्वर्ण नीति लागू के बाद से अब तक कितना सोना भारत में लाया गया है; और

(ख) इस आयात से कर / शुल्क के रूप में सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) पहली मार्च, 1992 से लागू की गयी स्वर्ण आयात नीति के अंतर्गत 6 जुलाई, 1992 तक 22.25 मीटरी टन सोना आयात किया गया है।

(ख) आयातित सोने से 56.62 करोड़ रुपये (विदेशी मुद्रा में) की राशि शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है।

"अग्नि" प्रक्षेपास्त्र छोड़ना

553. **श्री शरद् दिघे**
डा० कार्तिकेश्वर पात्र:
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर:
श्री डी० वेंकटेश्वर राव:
श्री ई० अहमद:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चांदीपुर में "अग्नि प्रक्षेपास्त्र का दूसरा परीक्षण प्रक्षेपण असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी सफलता में बाधक रुकावटों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसे तीसरी बार कब छोड़े जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) "अग्नि" का दूसरा प्रक्षेपण 29 मई, 1992 को आंतरिक परीक्षण क्षेत्र (आई० टी० आर०), बालासोर से किया गया। लेकिन उड़ान के दौरान नियंत्रण, संरचना में कुछ खराबी आ जाने से वह परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं हुआ।

(ग) आगे किए जाने वाले प्रक्षेपणों में ऐसी समस्याएं न आएं, इसके लिए दूसरे प्रक्षेपण के दौरान पाई गई कमियों का विश्लेषण किया जा रहा है।

(घ) "अग्नि" के दूसरे प्रक्षेपण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के बाद उसके तीसरे प्रक्षेपण के शीघ्र ही किये जाने की आशा है।

डंकल प्रस्ताव

554. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री रूपचन्द पाल:
श्री चित बसु:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई 1992 में "डंकल प्रस्तावों" पर सामान्य टैरिफ और व्यापार करार (गैट) के महानिदेशक के साथ बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई;

(ग) इन प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय प्रतिनिधियों ने क्या विचार व्यक्त किए और इस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(घ) डंकल प्रस्तावों पर सरकारी दृष्टिकोण को कब तक अन्तिमरूप दिये जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) वाणिज्य राज्य मंत्री ने श्री आर्थर डंकल, महानिदेशक गाट से उरूग्वे दौर वार्ताओं के सम्बंध में 12 मई, 1992 को जेनेवा में बातचीत की थी। उरूग्वे दौर के समापन को सम्भावनाओं और भारत की चिन्ता के वर्तमान मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

सरकार ने उरूग्वे दौर की वार्ताओं के सम्बंध में गाट के महानिदेशक के समझौता प्रस्तावों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। इस लिए, प्रस्तावों पर भारतीय प्रतिनिधियों के औपचारिक रूप से दृष्टिकोण व्यक्त करने

का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी, पाठ में संशोधन और परिवर्तन के मांग करने के अपने इरादे के बारे में गाट के महानिदेशक और प्रमुख व्यापारी देशों को अनौपचारिक तौर पर संकेत दे दिया गया है। सरकार का इस विषय पर संसद में एक पूरी बहस कराने का प्रस्ताव है और उसके बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिए गए ऋण

555. **श्री काशीराम राणा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) कितने मामलों में ऋण की राशि 5 करोड़ रुपयों से अधिक थी;

(ग) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उपर्युक्त ऋण देते समय ऋणों की मंजूरी देने में नियमों के उल्लंघन के कोई मामले पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) राष्ट्रीय आवास बैंक अपने मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं और राज्य-स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों द्वारा संवितरित पात्र ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन संस्थाओं को प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि नीचे दी गई है:—

वर्ष (जुलाई-जून)	राशि (करोड़ रुपए)
1990-91	392.24
1991-92	674.14

(ख) जून 1992 तक 5 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी पुनर्वित्त संवितरण 22 संस्थाओं को किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

मुद्रास्फीति दर

556. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले:**
श्री प्रकाश वी. पाटिल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार महीनों के दौरान क्या प्रत्येक अंक दर अंक के आधार पर साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही:

(ख) वर्ष 1983 में इन्हीं महीनों के दौरान की तुलना में यह वृद्धि कितने प्रतिशत रही और;

(ग) मुद्रास्फीति दर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) चालू वर्ष (1992) के पिछले चार महीनों, मार्च से 20 जून (नवीनतम उपलब्ध) और 1983 की तदनुरूपी अवधि के दौरान साप्ताहिक मुद्रास्फीति दरें (बिन्दु प्रति बिन्दु) नीचे दी गई है:—

वार्षिक मुद्रास्फीति दरें

(आधार: 1981-82=100)

(प्रतिशत)

महीना	सप्ताह	1983	1992
मार्च	1	6.5×	13.6
	2	6.6×	13.6
	3	6.5×	13.5
	4	6.6×	13.6
अप्रैल	1	6.3	13.8
	2	6.5	14.0
	3	7.2	13.9
	4	7.8	13.6
	5	8.3	—
मई	1	9.0	12.7 (अ)
	2	8.7	12.5 (अ)
	3	8.5	12.6 (अ)
	4	8.1	12.7 (अ)
	5	—	12.2 (अ)
जून	1	7.5	11.9 (अ)
	2	7.0	11.5 (अ)
	3	7.2	11.4 (अ)

अ = अनन्तिम

× = आधार 1970-71 पर आधारित

(ग) सरकार ने मुद्रास्फीति की दर कम करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में कठोर राजकोषीय अनुशासन, मुद्रा आपूर्ति के विस्तार पर नियंत्रण मूल्य संवेदी/आवश्यक वस्तुओं के विरुद्ध बैंक अग्रिमों पर चयनित ऋण नियंत्रण, आवश्यक/संवेदी वस्तुओं की पूर्ति और मांग को अधिक कारण प्रबन्ध, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नवीकरण और सुदूर तथा सुविधा वंचित क्षेत्रों में इसकी पहुंच का विस्तार और आयातों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 को चौड़ा करना

557. श्री ललित उरांव
श्री रामदेव राम:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में उन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है जहां पर दो लेन है तथा आने जाने वाले यातायात के लिए पृथक पृथक लेन है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 को दो लेन में बदलकर इसे विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 की (मिसिंग लिंक्स सहित) कुल 459 कि.मी. की लंबाई में से 101 कि.मी. लम्बा हिस्सा पहले से ही दो लेन का है। इसके अतिरिक्त 80.38 कि.मी. लम्बे अन्य मार्ग को दो लेन किया जा रहा है। शेष हिस्से को दो लेन किए जाने का कार्य, ट्रैफिक की तीव्रता, अखिल भारतीय आधार पर निर्माण-कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता तथा राशियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

विवरण

(लंबाई कि.मी. में)

क्रम सं॰	राज्य	दो लेन	4 लेन (आने और जाने के यातायात हेतु अलग लेन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2384	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	20	—
3.	आसाम	1891	—
4.	बिहार	1850	—
5.	चंडीगढ़	16	8
6.	दिल्ली	—	72
7.	गोवा	51	—
8.	गुजरात	1568	63
9.	हरियाणा	621	77
10.	हिमाचल प्रदेश	283	—
11.	जम्मू और कश्मीर	541	—
12.	कर्नाटक	1611	23
13.	केरल	427	—
14.	मध्य प्रदेश	2191	—
15.	महाराष्ट्र	2804	13
16.	मणीपुर	99	—
17.	मेघालय	116	—
18.	मिजोरम	—	—
19.	नागालैंड	113	—
20.	उड़ीसा	1195	3
21.	पांडिचेरी	23	—
22.	पंजाब	824	52

क्रम सं०	राज्य	दो लेन	4 लेन (आने और जाने के यातायात हेतु अलग लेन)
23.	राजस्थान	1936	—
24.	सिक्किम	62	—
25.	तमिलनाडु	1829	—
26.	त्रिपुरा	29	—
27.	उत्तर प्रदेश	2583	30
28.	पश्चिम बंगाल	1363	7
	जोड़:	26430	358

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों की समस्याएं

558. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में तम्बाकू उत्पादकों की समस्याओं से अवगत कराया है जैसा कि दिनांक 21 अप्रैल, 1992 के "डेक्कन क्रॉनिकल" सिकन्दराबाद में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जी हां। आंध्र प्रदेश में तम्बाकू नीलामी मंचो पर आफर की गई कीमतों में आई कमी के सम्बन्ध में तम्बाकू उपजकर्ताओं के रोष को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने तम्बाकू बोर्ड को सलाह दी थी कि वह स्थिति का जायज़ा लेने के लिए तथा उपचारात्मक उपाय करने के लिए तत्काल बोर्ड की आपत्कालीन बैठक बुलाए। तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष ने सिगरेट के निर्यातकों तथा विनिर्माताओं सहित व्यापारियों पर दबाव डाला कि इस उद्योग के समग्र हित में किसानों को लाभकारी कीमतें दिए जाने की आवश्यकता है। रूस सहित प्रमुख खरीदारों से कहा गया था कि वे अपनी खरीदारियां बढ़ाएं। इन उपायों से तम्बाकू की कीमतें स्थिर किए जाने पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा तम्बाकू की अधिकांश विक्रियां अब पूरी हो गई है।

जर्मनी के साथ व्यापार सहयोग

559. **श्री गोपी नाथ गजपति:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जर्मनी के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत-जर्मन व्यापार का किस कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) हाल के महीनों में किए गए

आर्थिक सुधारों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ जर्मनी के साथ व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक बढ़ाना है। औद्योगिक और आर्थिक सहयोग से संबंधित भारत-जर्मन संयुक्त आयोग के जरिए उपर्युक्त सहयोग की सतत समीक्षा की जाती है। इस संयुक्त समिति का पिछला अधिवेशन नवम्बर, 1991 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ग) भारत-जर्मन व्यापार विस्तार का सुकर बनाने के लिए मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, बाजार सर्वेक्षण और व्यापार/औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डलों के आदान प्रदान जैसे विभिन्न निर्यात संबंर्धन उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जर्मनी को भारतीय निर्यात बढ़ाने के जनादेश के साथ, "इण्डो जर्मन एक्सपोर्ट प्रोमोशन प्रोग्राम" (आई जी ई पी) नाम एक निश्चित प्रोजेक्ट चालू किया गया है।

[हिन्दी]

पदों का समाप्त किया जाना

560. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न स्तरों पर उन पदों का पता लगाने को कहा है जिन्हें समाप्त किया जा सके,

(ख) यदि हां, तो क्या सभी मंत्रालयों/विभागों ने ऐसे पदों का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कुछ मंत्रालयों/विभागों से अभी भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी मंत्रालयों/विभागों से अभी तक मिली सूचना से पता चलता है कि विभिन्न स्तरों पर लगभग 1900 पदों को समाप्त कर दिया गया है तथा 450 और पदों का अभ्यार्पण करने हेतु पता लगाया गया है।

चाय उद्योग

561. **श्री तेज नारायण सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में चाय उद्योग रुग्ण हो रहा है, क्योंकि उनके मालिकों ने नई प्रौद्योगिकी नहीं अपनायी है और पूंजी को अन्यत्र लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि चाय उद्योग रुग्ण होता जा रहा है। वास्तव में, इसके क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता में वर्षों से जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वह नीचे दी गई है और वह उच्च वृद्धि दर दर्शाती है:—

	वर्ष 1951-91 के बीच
क्षेत्र	32.90%
उत्पादन	159.88%
उत्पादकता	95.44%

यह उल्लेखनीय है कि हालांकि चाय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों में मात्रा 32.9% की वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादन 280.3 मि० किग्रा० से सर्वाधिक बढ़कर 741.7 मि किग्रा हो गया। उत्पादकता में वृद्धि का एक मात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कृषि की विकसित वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग है। पूंजी अन्यत्र लगाये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

राजस्थानी हस्तशिल्प

562. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में निर्मित उन विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का कोई अध्ययन किया है जिन्हें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रियता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न देशों में इन हस्तशिल्पों को लोकप्रिय बनाने और इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय हस्तशिल्प को विभिन्न श्रेणियों, राजस्थान हस्तशिल्प सहित, के निर्यात निष्पादन और संभाव्यता की लगातार समीक्षा करती है। विगत में किए गए राजस्थान, शिल्पों के कुछ अध्ययन में बंधनी कार्य, ऊनी कालीन, हाथी दांत पर नक्काशी, हाथ से बुने वस्त्र, संगमरमर का काम और लाख की चूड़िया शामिल हैं और अभी हाल ही में राजस्थान सहित भारतीय पत्थर शिल्प के प्रलेखन के लिए एक परियोजना भारतीय शिल्प परिषद को स्वीकृत की गई है और राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से हस्तशिल्प कारीगरों के आर्थिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार की गई है। अब निकट भविष्य में राजस्थान को एक उच्च स्तरीय सरकारी दल भेजने का प्रस्ताव है।

(ग) विभिन्न देशों में राजस्थान हस्तशिल्प सहित, हस्तशिल्प का संवर्धन करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए उपायों में निम्नोक्त शामिल हैं:—

(1) संगमरमर के हस्तशिल्प, हाथ से छपे वस्त्र और सिले सिलाये परिधान, भारत मदें आदि के स्थानीय निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार।

(2) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद एवं कालीन निर्यात संवर्धन परिषद आदि के माध्यम से निर्यात प्रचार अभियान, मेलों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमंडल, क्रेता-विक्रेता बैठकें और प्रदर्शनियां।

(3) भारतीय राजस्थान लघु उद्योग निगम लि० द्वारा प्रकाशित कैटलाग और केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम और वाणिज्यिक प्रचार संबंधी हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित हस्तशिल्प संबंधी ब्रोशर और हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम की प्रदर्शनी और ब्रोशर के माध्यम से राजस्थान के हस्तशिल्प का प्रदर्शन।

(4) निर्यातकों को निर्यात प्रक्रियाओं और प्रलेखन की जानकारी देने के लिए जयपुर और अलवर में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

563. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या सरकार ने घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस घाटे को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) 31.3.92 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को 452.43 करोड़ रु० का अनन्तिम संचित घाटा हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। यार्ड के कामकाज की जांच करने तथा इसकी वित्तीय समस्याओं के दीर्घावधि समाधान हेतु सिफारिश करने के प्रयोजन से दिसम्बर, 1986 में सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश भी की:—

I. विश्व में अन्यत्र दी जारी सब्सिडि की तरह स्वदेशी (घरेलू) शिपयार्डों की उसी तरह सबसिडि देने पर सरकार विचार करे।

II. खरीदी गई मदों तथा कार्यशील पूंजी को उपयोगी बनाने की लागत की जो वास्तव में शिपयार्ड के नियंत्रण से बाहर है, उपयुक्त रूप से प्रतिपूर्ति की जाए।

III. सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परिवर्तन लागत के रूप में एक उचित भाग पर विचार किया जाए।

(ङ) सरकार ने भारतीय नौवहन निगम द्वारा आर्डर किए हुए तीन बल्क कैरियर्ज को खुली निविदा से बेचने के संबंध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि॰ को अनुमति दे दी है। जनशक्ति कम करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू कर दी गई है। 847 कर्मचारियों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है और 30.6.92 तक सेवा निवृत्ति चाही है। एच एस एल के पूंजीगत पुनगर्ठन पर भी विचार किया जा रहा है जिससे ब्याज का बोझ कम हो जाएगा।

संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात

564. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार लीज होल्डरों/लैंड (क्टर) मिल मालिकों डीलरों को भविष्य में इसका निर्यात बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए संगमरमर और ग्रेनाइट की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:—

वर्ष	मात्रा 000 एमटी में	मूल्य करोड़ रुपये में
ग्रेनाइट		
1989-90	544.0	147.0
1990-91	732.6	227.0
1991-92	798.5	380.0
संगमरमर		
1989-90	लागू नहीं	0.62
1990-91	4.4	2.45
1991-92	5.0	4.74

(ग) और (घ) सरकार ने संगमरमर और ग्रेनाइट के निर्यात संवर्धन के लिए जो प्रयास किए उनमें शामिल है—एक्स्ट्रीम फोकस प्लान में तराशे और पालिश किए हुए ग्रेनाइट को शामिल करना, तराशे और पालिश किए हुए खनिजों और शैलो सहित, प्रसंस्कृत खनिजों और अयस्कों के सभी निर्यातकों को आयकर की धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत लाभ तथा भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध योजना के लाभ प्रदान

करना। इसके अतिरिक्त, तराशे और पालिश किए हुए ग्रेनाइट आदि के निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयों का अनुमोदन किया जा रहा है।

निर्यात संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय योजना

565. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन की एक नयी राष्ट्रीय योजना बनायी है जिसके अंतर्गत 34 चुनी हुयी वस्तुओं के निर्यात में मूल्य तथा मात्रा की दृष्टि से 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) सरकार ने "एक्स्ट्रीमफोकस सेक्टर्स," के रूप में 34 वस्तुओं/वस्तुसमूहों को विशेष ध्यान देने के लिए अभिज्ञात किया है जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष मात्रा या मूल्य के रूप में 30 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि हासिल करना है। इस उद्देश्य के लिए 26 कार्य दल गठित किए गए थे। इनमें से 25 कार्य दलों ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। इन रिपोर्टों के आधार पर इन 34 वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही है।

कॉफी का खरीद मूल्य

566. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फंडकर:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में कॉफी के खरीद मूल्य में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो रोबेस्ता कॉफी और अरेबिक काफी का वर्तमान खरीद मूल्य और बाजार मूल्य कितना-कितना है;

(ग) चाय बोर्ड के प्रति किलोग्राम विपणन मूल्य की तुलना में कॉफी बोर्ड का प्रति किलोग्राम विपणन मूल्य कितना है; और

(घ) कॉफी बोर्ड का विपणन मूल्य कम करने और काफी उत्पादकों को अधिक लाभकारी भूमि देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ग) काफी का कोई खरीद मूल्य निर्धारित नहीं है। इस समय काफी की मुख्य किस्मों की बाजार कीमत निम्नवत है:

काफी की मुख्य किस्में	काफी की फलियों की बाजार कीमत (विभिन्न केन्द्रों के लिए औसत कीमत) रुपया प्रति 50 किग्रा
बागान ए	2105.00
बागान एबी	2265.00
अैरबिका चेरी एबी	1830.00
अैरबिका चेरी पीबी	1917.00
रोबस्टा चेरी एबी	1587.00
रोबस्टा चेरी एबी	1670.00

(ग) जहां तक काफी बोर्ड का सम्बंध है, वर्ष 1990-91 मौसम के लिए कुल जमा व्यय लगभग 1.54/-रु० प्रति किग्रा होता है। चाय बोर्ड विपणन क्रियाकलाप नहीं कर रहा है। इसी तरह चाय बोर्ड की विपणन कीमत का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) काफी बोर्ड का विपणन मूल्य कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासो में शामिल है बोर्ड के विपणन विभाग में बेशी पदों को अभिज्ञात करना और अलाभकर काफी डिपुओं को बन्द करना। इसके परिणामस्वरूप काफी के उपजकर्ताओं को अधिक लाभकारी कीमतों का भुगतान हो सकेगा।

समुद्र-उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की विकास संबंधी गतिविधियां

567. **प्रो० उम्मा रेड्डिड वेंकटेस्वरलु:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र-उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम०पी०ई०डी०ए०) द्वारा आरम्भ की गई विकास संबंधी अधिकांश गतिविधियां केरल से बाहर की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार एम०पी०ई०डी०ए० का मुख्यालय अन्यत्र ले जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) अपने संवर्धनात्मक क्रियाकलापों का क्रियान्वयन समुद्र से लगे सभी राज्यों में समान रूप से और बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव से करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका द्वारा भारत के बाजार में प्रवेश

568. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या श्रीलंका का विचार भारत के बाजार में अधिक से अधिक क्षेत्रों में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) श्रीलंका के प्राधिकारी अपने हित के उत्पादों के निर्यात पर लगे टैरिफ और गैर-टैरिफ प्रतिबंधों के संबंध में और अधिक उदारीकरण की मांग करते रहे हैं। जब कभी इस तरह के अनुरोध प्राप्त होते हैं, भारत सरकार अपनी व्यापार नीति के ढांचे के अन्तर्गत उन पर विचार करती है।

गोवा से लौह-मैंगनीज़ तथा मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात की सम्भावनाएं

569. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा से विभिन्न श्रेणियों के लौह-मैंगनीज़ तथा मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यातकों को क्या-क्या प्रोत्साहन अथवा सुविधाएं दी जा रही हैं/दिये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) हालांकि गोवा से लौह-मैंगनीज़ की निर्यात के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है; किन्तु विगत दो वर्षों में गोवा से हुए मैंगनीज अयस्क के निर्यात की मात्रा और मूल्य दोनों के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं:—

मात्रा: लाख मी॰ टन में

मूल्य: करोड़ रु॰ में

वर्ष	मात्रा	कीमत
1990-91	1.18	12.76
1991-92 (अनन्तिम)	1.36	20.95

लौह-मैंगनीज़ और परिष्कृत मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उनमें आयकर अधिनियम की धारा 80-एच एच सी के अधीन मिलने वाली कर-रियायतें और भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध योजना के अधीन उपलब्ध लाभ शामिल हैं।

[हिन्दी]

भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक

570. **श्रीमती बसुन्धरा राजे**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 जून, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक में न्यूजीलैंड के उपप्रधान मंत्री ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या व्यापार संबंधी का विस्तार करने के लिए न्यूजीलैंड से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक केवल सरकारी स्तर पर होती है। भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की पिछली बैठक 9 जून, 1992 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में दोनों में से किसी भी पक्ष के किसी मंत्री ने भाग नहीं लिया।

दोनों पक्षों ने भारत तथा न्यूजीलैंड में सामान्य आर्थिक स्थिति, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की ओर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार को बढ़ाने, विविधीकृत करने तथा प्रसार करने के लिए निश्चित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।

दोनों पक्षों के बीच जिन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ, उनमें कृषि मृदा विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग ऊन, इमारती लकड़ी खाद्य संसाधन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने आदि जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने, सहयोग करने और प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में क्रेता मिशनों का आदान-प्रदान करने जैसे प्रस्ताव शामिल थे।

दोनों पक्षों के बीच सम्मत रिकार्ड पर हस्ताक्षर करने के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बिलों पर छूट दिया जाना

571. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों को जाली बिलों का, जिन पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छूट दी गई है, भुगतान नहीं हो पाया है क्योंकि इन कम्पनियों ने इस प्रकार एकत्र किए गए धन को शेयर बाजार में लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो हुंडियों की जालसाजी में संलग्न कम्पनियों के नाम, तथा इसके प्रयुक्त अनुमानित धनराशि तथा बैंकिंग प्रणाली पर इसके सकल प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में कया कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निधि-प्रबन्ध में की गई संभावित अनियमितताओं को जांच के लिए गठित भारतीय रिजर्व बैंक की जांच समिति ने यह पाया है कि यूको बैंक की बम्बई (नरीमन प्राइंट और हमाम स्ट्रीट) की शाखाओं ने एक महीने के लिए 24.3.1992 को मैसर्स जे०एच मेहता (जे एच एम) द्वारा आहरित दो बिलों को बट्टे खाते डाला था। उनमें से एक बिल 14.44 करोड़ रुपए के लिए प्रोमोर रिसर्च एंड मैनेजमेंट लि० का था और दूसरा 35.95 करोड़ रुपए के लिए माज्दा इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लि० का था। ये दोनों ही जे एच एम को अनुषंगी कंपनियां हैं। 49.42 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को जे एच एम के चालू खाते में जमा कर दिया गया था और इसके पश्चात उसी दिन उसे उपर्युक्त दो कंपनियों के चालू खातों में अंतरित कर दिया गया था। समिति के अनुसार यूकों बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए बिल विशुद्ध रूप से निभाव बिल थे।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया है। यूको बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के० मार्गबंधु की सेवाओं को 8.7.1992 से समाप्त कर दिया गया है।

अमरीकी रसायन कम्पनियां

572. **श्री राजेश कुमार:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अमरीकी रसायन कंपनियों को भारत के साथ व्यापार बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) सरकार को ऐसी किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सड़क पर रबड़ बिछाना

573. **श्री पी० सी० थामस:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में प्रयोगात्मक आधार पर एरुमली और सबरीमाला के बीच रबड़ वाली सड़क बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तारकोल वाली सड़कों पर रबड़ बिछाने के क्या लाभ हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) भारत सरकार मुख्यतया केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। चूंकि, केरल में एरुमली और सबरीमाला के बीच की सड़क का खंड राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का भाग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।

(ग) कुछ देशों में किए गए अध्ययन के अनुसार तारकोल में थोड़ी रबड़ मिला कर उसका प्रयोग करने से सड़क के टिकाऊपन, क्रैक सीलिंग, और जलसह संबंधी गुणों में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त तारकोल की थकान प्रतिरोधक क्षमता (फट्टीग रैसिंसटेंट करैक्टरीस्टिकपस) में भी वृद्धि होगी।

शेयर जारी करने के लिए दिशानिर्देश

574. **श्री श्रवण कुमार पटेल:**
श्री यशवन्तराव पाटिल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ने कम्पनियों द्वारा नये शेयर जारी करने के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करवाने का कार्य किस प्राधिकारी को सौंपा गया है; और

(घ) स्टाक एक्सचेंजों और बैंकों को हिला देने वाले हाल के प्रतिभूति घोटाले की पुनरावर्ती न हो इसके लिए नई योजना में क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) समुचित प्रकटन तथा निवेशक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एस०ई०बी०आई०) ने पूंजी का निर्गम करने वाली कम्पनियों द्वारा उचित अनुपालन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में मोटे तौर पर कम्पनियों और विद्यमान निजी/अल्प जन धारित कम्पनियों द्वारा प्रथम निर्गम संबंधी आवश्यकताएं तथा शेयरों, डिबेंचरों, बाण्डों आदि के रूप में अन्य कम्पनियों द्वारा पूंजी के और निर्गम भी शामिल हैं।

(ग) इन मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों का अनुपालन देखने का उत्तरदायित्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का है।

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को स्टाक मार्केट के उपयुक्त विकास को सुनिश्चित करने तथा निवेशक सुरक्षा के लिए प्रभावशाली उपाय करने के लिए सांविधिक अधिकार प्राप्त है।

भारतीय रूई निगम द्वारा कपास की खरीद

575. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने भारतीय रूई निगम से वाणिज्यिक प्रयोजन से बाजार में प्रवेश करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रूई निगम ने कपास के मूल्यों में भारी कमी आने के परिणामस्वरूप राज्य में कपास उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में आन्ध्र प्रदेश सरकार के आग्रह को स्वीकार किया है;

(घ) भारतीय रूई निगम किस हद तक बाजार से राज्य में वाणिज्यिक स्तर पर खरीददारी करता है;

(ङ) इससे आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों को कितनी सहायता मिली; और

(च) केन्द्रीय सरकार ने राज्य में कपास उत्पादकों को सहायता पहुंचाने के लिए क्या अन्य उपाय किये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार और भारतीय कपास निगम के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 19 मई, 1992 को हुई एक बैठक में राज्य में स्थिति की समीक्षा की गई थी। विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात यह महसूस किया गया था कि सितम्बर, 1992 तक ब्याज की रियायती दरों पर वित्त प्रदान करके सहकारी कताई मिलों को अपने कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह भी महसूस किया गया था

कि कपास उपजकर्ताओं और सहकारी कताई मिलों को अपनी कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देने के लिए राज्य सरकार का विपणन विभाग रेहन (प्लैज) वित्त की नीति निर्धारित करने के लिए प्रयास कर सकता है।

(ग) से (च) भारतीय कपास निगम ने 1991-92 मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1.92 लाख गाठों की खरीद की जिसके फलस्वरूप कपास के मूल्य समर्थन स्तर से 52% से 77% ऊपर बने रहे। इसके अलावा, भारतीय कपास निगम से कहा गया कि वह कुछ पड़ौसी देशों की कपास की 30,000 गाठों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बाजार में प्रवेश करे। कपास उपजकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सी सी आई ने उचित औसत क्वालिटी मानको वाली एस सी यू-5 को 1300 रु० प्रतिक्विंटल और उचित औसत क्वालिटी वाली जे के एच वाई, एफ ए क्यू को 1200 रु० प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की पेशकश की है।

निर्यात और आयात मूल्य

576. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान, रुपये में तथा विशेष आहरण अधिकारों के अन्तर्गत, अलग-अलग, कुल कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात किया गया;

(2) वर्ष 1990-91 की तुलना में रुपये में तथा विशेष आहरण अधिकारों के अन्तर्गत विनिमय दर कितनी थी;

(ग) उन आयातक देशों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1991-92 के दौरान भारत से आयात में वृद्धि औसत दर से कम रही है;

(घ) निर्यात की उन मदों के नाम क्या हैं जिनका वर्ष के दौरान कुल निर्यात में वृद्धि औसत दर से कम रही है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इन देशों को इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं, तो वे क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान रुपयों तथा एस डी आर में हुए निर्यात तथा आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

रुपये में (करोड़ रुपये)

	1990-91	1991-92	%परिवर्तन
निर्यात			
जीसीए	27057.61	39619.35	+46.42
आरपीए	5495.53	4358.91	-20.68
योग	32553.34	43978.26	+35.10
आयात			
योग	43192.86	47812.75	+10.70

एसडीआर में (मिलियन एसडीआर)

	1990-91	1991-92	%परिवर्तन
निर्यात			
जीसीए	10888.89	11849.31	+8.82
आरपीए	2211.57	1303.66	-41.05
योग	13100.46	13152.97	+0.40
आयात			
योग	17382.13	14299.78	-17.73

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान जिन प्रमुख देशों को भारत से निर्यात की दर औसत वृद्धि दर से कम रही है उनमें शामिल हैं बेल्जियम, डेनमार्क जर्मन संघीय गणराज्य, युनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्विटजरलैंड, जापान, थाइलैंड, मिस्र, रोमानिया भूतपूर्व सोवियत संघ, हंगरी, यूगोस्लाविया, पोलैंड आदि।

(घ) प्रमुख वस्तुएं जिनके निर्यात में औसत वृद्धि दर दे कम वृद्धि हुई उनमें शामिल हैं; चाय, काफी, तिल तथा नाइजर बीज अभ्रक, लौह अयस्क को छोड़कर अयस्क तथा खनिज चमड़ा तथा चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, रत्न तथा आभूषण खेल का सामान, सिलेसिलाए परिधान पटसन विनिर्माण, कपास, पेट्रोलियम उत्पाद आदि।

(ङ) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए थे जिनका उद्देश्य निर्यात, प्रोत्साहनों को मजबूत करना, आयात लाइसेंन्सिग की काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात प्रशुल्क ढांचे को सुव्यवस्थित करना था, वर्ष 1990-93 के बजट में विदेशी मुद्रा सृजन और मूल्यवर्धित मदों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, रुपये को आंशिक तौर पर परिवर्तनीय बना दिया गया है। इसे दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित नई निर्यात-आयात नीति में और भी समेकित किया गया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है और इस प्रकार इसकी निर्यात क्षमता में वृद्धि करना है। सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात को बढ़ाने के लिए एक पांच सूत्री कार्य योजना की भी घोषणा की है। इनमें "एक्सट्रीम फोकस सैक्टर्स" के रूप में अभिज्ञात 34 वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना तैयार करना, राष्ट्रीय गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाना, निर्यात घरानों और अग्रणी औद्योगिक घरानों के साथ एक-एक करके बैठक कराना, अपने विदेशी वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए विश्वव्यापी प्रयास करना, विदेशी प्रचार में सुधार लाना और 40-50 चुनिन्दा देशों में अपने उत्पादों का निर्यात संवर्धन करना, और मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात के कार्यालय को विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान स्वरूप को बदल कर उसे संवधर्नात्मक निकाय के रूप में पुनर्गठित करना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने अन्य कदम उठाए है जिनमें लाइसेन्सिग के जरिए नियंत्रण को कम करना निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठन के साथ बातचीत करना शामिल है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

577. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में शामिल किए जाने वाले संशोधनों के ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन करने से संबंधित कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस समय उनका ब्यौरा अभी देना समीचीन नहीं होगा।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुख एककों के लिए योजना

578. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों की योजना में उनके कार्यकरण को प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) निर्यात अभिमुख एककों के लिए नीति प्रारूप को हाल ही में सरल, स्पष्ट तथा सुबोध बना दिया गया है और उसे निर्यात आयात नीति 1992-97 में समाविष्ट कर दिया गया है ताकि उनके कार्यचालन को ठीक तथा प्रभावी बनाया जा सके। नई नीति के क्रियान्वयन को देखने के बाद ही उसके संबंध में परिवर्तनों/संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कम्पनी निदेशकों और निबन्धकों की बैठक

579. **श्री एन० जे० राठवा.** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1992 में क्षेत्रीय कम्पनी निदेशकों और कम्पनियों के निबन्धकों की कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर के प्रादेशिक निदेशकों और ग्यारह कम्पनी रजिस्ट्रारों ने बैठक में भाग लिया जो समय-समय पर आयोजित की जाती है। अपराह्न के बाद के सत्र की अध्यक्षता विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा की गई।

(ग) बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों की शिकायतों का शीघ्र निपटान करने, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों को कारगर ढंग से लागू करने एवं कतिपय प्रशासनिक मामलों के संबंध में निर्णय लिए गए थे। सभी संबन्धितों को यथोचित कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा हेलीकाप्टरों का निर्माण

580. **श्री गुरुदास कामत:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने वायु सेना के लिए हलके हेलीकाप्टर का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हेलीकाप्टर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे सेवा में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावनाएं हैं; और

(घ) इस हेलीकाप्टर की अनुमानित लागत कितनी है?

(रक्षा मंत्री श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में सिविल तथा सैन्य दोनों प्रयोजनों के लिए एक 4-5 टन श्रेणी का दो इंजन वाला उन्नत और हल्का हेलीकाप्टर का विकास किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस हेलीकाप्टर का अभी विकास किया जा रहा है, इसलिए इस संबंध में निश्चित रूप से अभी कुछ बताना संभव नहीं है।

उप-दलालों का पंजीकरण

581. श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्री शरद यादव:
श्री चन्द्रजीत यादव:
श्री रामविलास पासवान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक पक्षीय कदम के रूप में कुछ उप-दलालों का पंजीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निवेशकों को उप-दलालों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की अपेक्षानुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऐसे व्यक्तियों से, जिनका प्रतिभूति बाजार से संबंध रहा है, उप-दलाल के रूप में पंजीकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन मांगे हैं। पंजीकरण की अनुमति उप-दलालों के संचालन के लिए अपेक्षित नियमों और विनियमों तथा आचार संहिता के पूरा करने पर ही दी जाएगी।

नशीली औषधियों की तस्करी

582. श्री राजेश कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार से भारत में नशीली औषधियों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर जब्त की गई नशीली औषधियों के मूल्य और उसकी मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार म्यांमार से भारत में नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी नहीं हो रही है। देश में 1985 के पश्चात म्यांमारीसी मूल की जब्त की गई हेरोइन की मात्रा आम तौर पर 5 से 12 किलोग्राम के बीच वार्षिक है, सिवाय वर्ष 1989 के, जिसमें 20 किलोग्राम की जब्ती की रिपोर्ट मिली थी।

(ख) जून, 1992 तक भारत-बर्मा सीमा पर 4 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई अर्थात् इस वर्ष के दौरान जब्त की गई हेरोइन की कुल मात्रा (704 किलोग्राम) का 1.13 प्रतिशत। नशीले पदार्थ, जो प्रायः अनिर्धारित मात्रा तथा मिश्रण के होते हैं और नष्ट किए जाने योग्य होते हैं, का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

(ग) पुलिस, सीमा शुल्क एवं सभी संबंधित नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर कड़ी सतर्कता रखें।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

583. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक हाल में हुई बैठकों के दौरान भारत को ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऋण के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या भारत में एशियाई विकास बैंक का कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और इस प्रयोजन हेतु कौन सा स्थान चुना गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 1992 के दौरान भारत को कुल 9500 लाख अमरीकी डालर राशि के ऋण देने की सूचना दी है। विद्युत वित्त निगम हेतु 2500 लाख अमरीकी डालर राशि के एक ऋण करार पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों जैसे—ऊर्जा संरक्षण, पेट्रोलियम, पत्तन तथा वित्तीय क्षेत्र आदि से संबंधित कुछ परियोजनाएं शुरू की जानी हैं। बैंक के साधारण पूंजीगत संसाधनों (आर्डिनेरी केपीटल रिसोर्सिज) की मानक शर्तों के अन्तर्गत इन ऋणों के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान एशियाई विकास बैंक का नई दिल्ली में अपना स्थानीय कार्यालय खोलने का कार्यक्रम है।

मरमुगाओ बन्दरगाह

584. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मरमुगाओ बन्दरगाह से लौह अयस्क तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए मरमुगाओ पत्तन न्यास द्वारा लगाए गए विभिन्न शुल्कों, करों अथवा प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान कितना राजस्व एकत्र किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रभारों में कितनी बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बन्दरगाह के विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) निर्यात कार्गो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के माल की हैंडलिंग के लिए मुरगांव पत्तन न्यास दो प्रकार के प्रभार वसूला करती है। ये हैं, कार्गो हैंडलिंग प्रभार और जहाज संबंधित प्रभार। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात पर राजस्व/कार्गो के आयात सहित 143.62 करोड़ रु० की कुल प्रचालन आय हुई। निर्यात और आयात के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पत्तन की सुविधाओं के विस्तार पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है:—

वर्ष	व्यय की गई राशि
1989-90	297.12 लाख रु०
1990-91	437.66 लाख रु०
1991-92	171.95 लाख रु०

स्टाक एक्सचेंज में कारपोरेट सदस्यता हेतु नियम

585. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों में कारपोरेट सदस्यता संबंधी नियमों को और कड़ा बनाकर उनका प्रारूप परिचालित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारपोरेट सर्कल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 2 जून, 1992 को भारत के राजपत्र में स्टाक एक्सचेंजों में निगमित सदस्यता से संबंधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए कुछ नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया था। प्रारूप नियमों में यह प्रस्ताव किया गया है कि कम्पनी स्टाक एक्सचेंज का सदस्य चयनित होनी की पात्र होगी, अगर वह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो:—

(i) ऐसी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 12 के उपबन्धों के अनुपालन में स्थापित किया गया है;

(ii) ऐसी कम्पनी के निदेशकों में से अधिकांश कम्पनी के शेयरधारक हों और कम्पनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 40 प्रतिशत से अनधिक उनके द्वारा धारित हो। प्रस्तावित संशोधन का आशय स्टाक एक्सचेंजों में निगमित सदस्यता की वृद्धि को बढ़ावा देना है।

(ग) प्रारूप नियम को अंतिम रूप देते समय, निर्धारित अवधि के भीतर निगमित क्षेत्र सहित किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई आपत्तियों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण वितरण

586. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:**
श्री प्रबीन डेका:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में और बिहार में सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितनी ऋण-राशि मंजूर की गई;

(ख) वर्ष के दौरान मंजूर की गई धन-राशि में से कुल कितनी वितरित की गयी; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर किए गए ऋण एवं वितरित की गई धन-राशि का संस्थावार एवं क्षेत्रवार, ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, नामतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, (आई एफ सी आई) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई सी आई सी आई), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई आर बी आई), भारतीय जोखिम पूंजी तथा प्रौद्योगिकी वित्त निगम (लि०) (आर सी टी सी), भारतीय प्रौद्योगिकी विकास तथा संसूचना कम्पनी (लि०) (टी डी आई सी आई), भारतीय नौवहन ऋण तथा पूंजी निवेश कम्पनी (लि०) (एस सी आई सी आई) तथा भारतीय पर्यटन वित्त निगम (लि०) (टी एफ सी आई) द्वारा देश में तथा बिहार में वर्ष 1991-92 के दौरान ऋणों की कुल स्वीकृत तथा संवितरित धनराशि निम्नानुसार है:—

(रुपए करोड़ में)

1991-92

	स्वीकृत	संवितरित
अखिल भारत	16891.6	11016.4
बिहार	389.8	224.2

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान संस्थावार तथा क्षेत्रवार स्वीकृत ऋणों तथा संवितरित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूरियों और संवितरणों का संस्थावार और सेक्टर वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

		सरकारी	संयुक्त	सहकारी	गैर सरकारी	योग
आईडीबीआई	S	1380.7	635.7	44.8	4949.7	7010.9
	D	1097.6	260.4	73.8	3681.3	5113.1
आईएफसीआई	S	145.6	330.4	76.7	2316.4	2869.2
	D	40.4	157.7	62.2	1345.0	1605.2
आईसीआईसीआई	S	7.4	313.3	55.4	2952.0	3328.2
	D	8.8	125.7	27.5	1705.2	1867.2
आईआरबीआई	S	23.6	23.8	9.1	195.5	251.9
	D	20.0	4.8	5.1	139.9	169.7
एसआईडीबीआई	S	156.0	1.0	4.0	2468.0	2629.0
	D	112.0	1.0	3.0	1720.0	1836.0
आरसीटीसी	S	0.5	0.4	—	12.4	13.3
	D	—	0.4	—	7.4	7.8
एससीआईसीआई	S	—	—	—	409.0	409.0
	D	—	—	—	170.9	170.9
आईएफसीआई	S	0.3	11.9	—	91.3	103.5
	D	2.2	0.9	—	45.2	48.3
टीडीआईसीआई	S	—	—	—	19.8	19.8
	D	—	—	—	17.9	17.9
योग:	S*	1714.1	1316.4	190.0	13495.2	16715.8
	D*	1280.9	550.9	171.6	8832.6	10836.0

*सिडबी के आंकड़ों में पुनर्वित्त और बिल पुर्णभुनोई के अंर्तगत सहायता ही शामिल है।

S=मंजूरियां

D=संवितरण

बैंकों और उनके सहायक संगठनों द्वारा पूंजी निवेश

587. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक और उनकी सहायक वित्तीय सेवा संस्थाएं अपनी पूंजी का भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जीवन बीमा निगम की योजनाओं में निवेश कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लाभ और हानि का अध्ययन करने के लिए इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(हिन्दी)

भारत विकास बॉण्डों पर बैंकों द्वारा ऋण

588. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने भारत विकास बॉण्ड की प्रतिभूति पर ऋण दिए हैं जैसा कि 9 जून, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शेयर दलाली और वित्तीय परामर्श के कार्य में लगी कुछ कम्पनियों ने उक्त ऋणों की राशि का उपयोग शेयरों की खरीद और सट्टाबाजारी के लिए किया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को किया गया भुगतान

589. **श्री शरद यादव:**

श्री चन्द्रजीत यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रिण्डलेज बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को 300 करोड़ रु० का ऋण चुकाने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने कुल 506.54 करोड़ रुपए के कुछ चैक जारी किए थे, जिन पर आदाता खाता चैक अंकित था। ये चैक उसने भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने खाते पर एएनजैड ग्रिण्डलेज बैंक के पक्ष में उस बैंक के साथ किए गए कतिपय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में जारी किए गए थे। ग्रिण्डलेज बैंक ने चैकों का भुगतान प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने पास रखे श्री हर्षद मेहता के चालू खाते में जमा कर दिया चूंकि इन चैकों की रकमों को, राष्ट्रीय आवास बैंक से इस प्रकार की विशिष्ट हिदायतों के अभाव में श्री हर्षद मेहता के खाते में जमा करना उचित नहीं था इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से ग्रिण्डलेज बैंक को प्रश्नगत रकम की अदायगी राष्ट्रीय आवास बैंक को करने का परामर्श दिया है। ग्रिण्डलेज बैंक ने अब इसके लिए आवश्यक प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है।

हथियार जब्त किया जाना

590. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री महेश कनोडिया:
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा:
डा० रमेश चन्द्र तोमर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से लौटने वाले भारतीयों द्वारा पिस्तौल, रिवाल्वर और अन्य हथियारों को लाने पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान देश में लाये गये तथा जब्त किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जब्त किये गये ऐसे हथियारों को सीमाशुल्क तथा पुलिस अधिकारियों को बेचे जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इन हथियारों का मूल्य निर्धारित करने का मानदंड क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन हथियारों का किस प्रकार विक्रय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) वर्ष 1992—1997 तक की अवधि के लिए निर्यात-आयात नीति के अनुसार लाइसेंस के बिना आग्नेय-अस्त्र के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, निवास स्थान स्थानान्तरण नियम, 1978 के अंतर्गत निवास-स्थान के वास्तविक रूप से स्थानान्तरण करने पर भारत में आने वाले यात्रियों को एक ऐसे आग्नेय-अस्त्र को आयात करने की अनुमति दी गयी है, जो कम से कम एक वर्ष की अवधि तक उनके पास रहा हो, किन्तु इसके लिए यह शर्त भी रखी गयी है कि याली अपने जीवनकाल के दौरान ऐसे आग्नेय-अस्त्र को किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(ख) गत तीन महीनों के दौरान देश में लाए गये तथा पकड़े गये हथियारों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) पकड़े गये हथियारों को सीमाशुल्क अथवा पुलिस अधिकारियों को बेचने का प्रस्ताव नहीं है। निषिद्ध और गैर-निषिद्ध बोर वाले हथियारों को जब्त कर लिया जाता है और उन्हें सरकारी विभागों को इस्तेमाल के लिए दे दिया जाता है। तथापि, विभागों को आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में पाये गये किसी गैर-निषिद्ध बोर वाले हथियार को आमतौर पर संसद सदस्यों को बेचने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है।

(हिन्दी)

एन०सी०सी० कैम्प में छात्र की मृत्यु

591. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मेरठ में आयोजित एक एन०सी०सी० कैम्प में जहरीला भोजन खाने के बाद एक छात्रा की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन (एन०सी०सी०) की कुमारी मुन मुन सरकार मेरठ जिले के गणेशपुर में आयोजित एन०सी०सी० कैम्प में भाग ले रही थी और मेरठ के सैना अस्पताल में भर्ती होने के बाद 5 जून 1992 को प्रातः 0.25 बजे उनकी मृत्यु हो गई।

(ग) जी, हां।

(घ) जांच अदालत ने इस बारे में अपनी असहमति व्यक्त की है कि उनकी मृत्यु विषाक्त भोजन, अधिक गर्मी, थकान तथा निर्जलन जैसे संभावित कारणों से हुई है। उनके अनुसार कुमारी सरकार की मृत्यु संभवतः तीव्र विषाणुयुक्त मस्तिष्क ज्वर से हुई है। चूंकि मृतक के पिता ने शव-परीक्षण करवाने से इन्कार कर दिया था, इसलिए मृत्यु के निश्चित कारण का पता नहीं लग सका। इस सिलसिले में किसी भी अधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए दोषी नहीं पाया गया है।

(अनुवाद)

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को भुगतान

592. **श्री के०पी० रेड्डय्या यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक को 700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने दिनांक 11 जून, 1992 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीय आवास बैंक के विरुद्ध अपने अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभ्यापतिपूर्वक (अन्डर प्रोटेस्ट) राष्ट्रीय आवास बैंक को 707.76 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया था। राष्ट्रीय आवास बैंक ने कतिपय प्रतिभूतियों के लेन-देनों को कवर करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने खाते में से कुल 707.76 करोड़ रुपए के आदाता (अकाउन्ट पेयी) अंकित कुछ चेक जारी किये हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने इन चेकों की रकम को श्री हर्षद मेहता के अपने यहां रखे गये चालू खाते में जमा किया था। चूंकि चेकों की रकमों को श्री हर्षद मेहता के खाते में राष्ट्रीय आवास बैंक से इस आशय के किसी विशेष अनुदेशों के बिना जमा करना ठीक नहीं था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए कहा गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यातकों का भुगतान रद्द किया जाना

593. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों द्वारा रूस को किए गए निर्यात के उनके बिलों का भुगतान रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की इस कार्यवाही से प्रभावित निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

प्रतिभूति घोटाला

594. **श्री साईमन मरान्डी**

श्री परसराम भारद्वाज: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी नए प्रतिभूति घोटाले का पता लगाया गया है जिसमें वित्तीय संस्थाएं, नेशनल स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन तथा कुछ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां भी शामिल हैं, जैसा कि 15 मई, 1992 के "दि आब्जर्वर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) से (ग) स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने 31.3.1991 को समाप्त होने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 489 कम्पनियों द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 के अन्तर्गत विहित दो महीने की सांविधिक अवधि के पश्चात् भी शेयरों के अन्तरण के पंजीकरण में विलंब किया गया था। इसमें शामिल व्यतिक्रमी कम्पनियों से संगत विवरण एकत्र करने के पश्चात् कम्पनी कार्य विभाग ने व्यतिक्रमी कम्पनियों के शेयर अन्तरण रिकार्डों का निरीक्षण करने तथा अधिनियम की धारा 113(2) के अधीन अभियोजन दायर करने के आदेश दिए हैं।

[अनुवाद]

सेना के भंडारों से हथियार और गोलाबारूद की चोरी

595. **श्री एन० के० बालियान:**
डॉ० रमेश चन्द तोमर:
श्री बलराज पासी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल से जून, 1992 के दौरान सेना के भंडारों से हथियारों और गोलाबारूद की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) अप्रैल से जून 1992 की अवधि के दौरान किसी भी सेना-डिपो से शस्त्रों या गोला-बारूद की चोरी के किसी और मामले की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य

596. **श्री के०पी० सिंह देव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात लक्ष्य अनुमानत: 11,000 करोड़ रु० मूल्य का निर्धारित किया गया है।

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा निम्नलिखित कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं:—

(i) कैप्चर फिसरी के विकास द्वारा निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाना।

(ii) मछली पालन के जरिए उत्पादन बढ़ाना।

(क) श्रिम्प फार्मों से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना।

(ख) श्रिम्प मछली पालन में और अधिक क्षेत्र शामिल करके, और

(ग) अन्य निर्यात योग्य मदों का उत्पादन विकसित करके।

(iii) नई प्रौद्योगिक और मूल्यवर्धन को अपनाना;

(iv) प्रसंकरण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी उन्नयन और रद्दी माल में कमी करना; और

(v) आक्रामक बाजार संवर्धन उपाय।

[हिन्दी]

बैंक आफ कराड़

597. **श्री मदन लाल खुराना:**
श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री शरद यादव:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण:
श्री जार्ज फर्नांडीज़:
श्री रूपचन्द पाल:

श्री मनोरंजन भक्त:
श्री चन्द्रजीत यादव:
श्री हरिकिशोर सिंह:
कुमारी पुष्पा देवी सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ कराड़ को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार बैंक को बन्द करने के बाद इसकी देयताओं के संबंध में क्या नीति अपना रही है; और

(घ) हाल के प्रतिभूति घोटाले में बैंक की भूमिका क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) बम्बई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक को 27.5.92 की समाप्ति से अंतिम परिसमापाधीन रखा जाता है।

(ख) कुछ दलालों की ओर से प्रतिभूति संबंधी लेन-देनों में बैंक द्वारा की गयी बहुत अधिक अनियमितताओं के कारण बहुत बड़ी वित्तीय देनदारी हो गयी थी जिसे पूरा करना इसकी क्षमता से बाहर था। यह बैंक के जिम्मे पड़ जाता और बैंक के अस्तित्व में रहने से यह जनता और उसके जमाकर्ताओं के हितों के अधिक प्रतिकूल होता। इन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 38 के अंतर्गत बैंक आफ कराड़ लि० का परिसमापन करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय के पास मामला दर्ज किया।

(ग) परिसमापन की तारीख को बैंक की परिसम्पत्तियों और देयताओं का अनंतिम परिसमापक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। देयताओं से संबंधित नीति और आगामी कार्रवाई अनंतिम परिसमापक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यथासमय करेगा।

तथापि, विशेष रूप से छोटे वर्गों के जमाकर्ताओं की कठिनाईयों को देखते हुए डी आई सी जी सी योजना के अनुसार अधिकतम 30,000/- रुपए के भुगतान की व्यवस्था अनंतिम परिसमापक ने की है।

(घ) जानकीरामन समिति ने अपनी अनंतिम रिपोर्ट में बताया है कि प्रथमदृपटया बैंक आफ कराड़ ने बिना किसी समर्थन या आस्तिवहीन प्रतिभूति के बदले दलाल के खाते में बैंकर्स रसीदें जारी की हैं।

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाले का प्रभाव

598. **श्री शरद दिघे:**
श्री साईमन मरान्डी:
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में हुए प्रतिभूति घोटाले की भयावहता और राजनैतिक और आर्थिक स्तर पर इसके व्यापक विस्तार का अध्ययन कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या देश की वित्तीय क्षेत्र की स्थिति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा कोई जांच की जा रही है;

(घ) क्या इस घोटाले से शेयर बाजार में विदेशी पेशन निधि के अपेक्षित आवक को आघात पहुंचा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शेयर बाजार का पुनरुद्धार करके इसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने के विचार हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उप-गर्वनर श्री आर० जानकीरमन की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी प्रारम्भिक जांच के आधार पर पाया कि बैंकों, अनुषंगी और वित्तीय संस्थाओं ने प्रतिभूतियों के समर्थन के बगैर 3542.79 करोड़ रुपये का एक्सपोजर्स लिया है।

(ग) सरकार से अभी तक इस प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की गयी है।

(घ) भारतीय प्रतिभूति बाजार में विदेशी पेंशन निधियों द्वारा निवेशों का परिचालन अभी होना है और इस प्रकार यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड को एस ई बी आई (सेबी) अधिनियम, 1992 के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रतिभूति बाजार के विकास को प्रोन्नत और नियमित करने के लिए स्थापित किया गया है।

जाली शेयर

599. **श्री ताराचंद खंडेलवाल:**
श्री भगवान शंकर रावत:
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में प्रमुख कंपनियों के जाली शेयर परिचालन में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का देश के स्टाक एक्सचेंजों में जाली शेयरों का परिचालन रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) कुछ कंपनियों के जाली शेयरों के संबंध में स्टाक एक्सचेंजों द्वारा सूचना प्राप्त हुई है जाली शेयर जारी करना कानून के अन्तर्गत दंडनीय है और विशिष्ट शिकायतें मिलने पर पुलिस प्राधिकारी कार्रवाई करते हैं।

रेशम उत्पादन अनुसंधान व विकास के लिए राज्यों को धनराशि

600. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देश में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों, विशेषकर राजस्थान को अनुसंधान व विकास और विस्तार सहायता के लिए वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट में (सामान्य योजना तथा बाह्य सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना दोनों के अन्तर्गत) रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए किए गए राज्य-वार/वर्ष-वार केन्द्रीय योजना के आबंटन संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए राज्य-वार/वर्ष-वार केन्द्रीय योजना के आवंटन

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1989-90		1990-91		1991-92	
		सामान्य योजना	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना	सामान्य योजना	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना	सामान्य योजना	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना
(क)	**परम्परागत राज्य**						
1.	कर्नाटक	226.44	386.00	232.90	1226.00	683.87	1713.00
2.	आंध्र प्रदेश	136.09	137.00	132.88	435.00	188.35	609.00
3.	तमिलनाडु	57.79	143.00	122.60	454.00	112.22	635.00
4.	पश्चिम बंगाल	266.54	248.00	359.42	787.00	265.70	1100.00
5.	जम्मू एंड कश्मीर	25.85	94.00	63.86	301.00	97.48	420.00
(ख)	**प्रयोगिक राज्य**						
6.	केरल	17.21	42.00	4.72	135.00	16.66	188.00
7.	महाराष्ट्र	44.42	50.00	112.51	160.00	145.69	224.00
8.	बिहार	18.50	42.00	62.40	135.00	329.26	188.00
9.	गुजरात	10.50	42.00	12.29	135.00	13.75	188.00
10.	राजस्थान	20.71	42.00	20.40	135.00	14.45	188.00
11.	उड़ीसा	91.81	50.00	239.18	160.00	157.39	224.00
12.	मध्य प्रदेश	59.88	42.00	44.72	135.00	97.54	188.00
13.	उत्तर प्रदेश	39.23	68.00	70.37	215.00	196.43	300.00
14.	असम	146.72	68.00	71.43	215.00	294.32	300.00
15.	पंजाब	11.57		10.43		11.42	
16.	हरियाणा	10.97	16.00	2.33	44.00	8.04	62.00
17.	हिमाचल प्रदेश	12.03		6.71		10.25	
(ग)	**गैर राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना राज्य**						
18.	अरुणाचल प्रदेश	26.35		31.90		63.63	
19.	मणिपुर	8.38		7.24		26.34	
20.	मेघालय	33.54		41.93		119.44	
21	मिजोरम	0.00		9.10		3.50	
22.	नागालैंड	29.95		28.57		47.19	
23.	सिक्किम	0.72		4.78		2.74	
24.	त्रिपुरा	4.79		7.01		5.36	
(घ)	**राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत सामान्य निवेश (अनुसंधान व विकास से भिन्न)**		230.00		828.00		1332.00
		1300.00	1700.00	1700.00	5500.00	2841.02	7859.00

*केन्द्रीय निवेश में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना कम्पोनेन्ट शामिल है जैसे विश्वविद्यालयों को सहायता, एनजीओ को सहायता, लाभभोगियों का मूल्यांकन तथा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, यह निवेश सभी 17 राज्यों में लागू है।

[हिन्दी]

प्रतिभूति घोटाले में राष्ट्रीय आवास बैंक को घाटा

601. **श्री एन०जे० राठवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में पता चले प्रतिभूति घोटाले में राष्ट्रीय आवास बैंक को कितना घाटा हुआ;

(ख) उपरोक्त घोटाले में राष्ट्रीय आवास बैंक को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) घाटे की क्षतिपूर्ति कब तक हो जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रतिभूति अन्तरण में होने वाले इस प्रकार के घाटे की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की प्रतिभूतियों के लेन देनों में सम्भावित अनियमितताओं की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, श्री आर० जानकीरमन की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बैंकों/संस्थानों को आदाता चैकों के माध्यम से अदा किए गए 1271.20 करोड़ रुपए के भुगतान का पता लगाया है, जिसके लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के पास प्रतिभूतियां, एस०जी०एल० फार्म या बैंक रसीद नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकों को दावे प्रस्तुत कर दिए हैं तथा एक बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के विरुद्ध अपने अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभ्यापतिपूर्वक चैकों की रकम की अदायगी कर दी है। घाटे का प्रश्न केवल तभी उठेगा, जब राष्ट्रीय आवास बैंक अपने बकाया की पूर्ण धनराशि वसूल करने में असमर्थ हो जाए।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

(घ) जानकीरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 20.6.1992 को प्रतिभूतियों के संव्यवहार पर नियंत्रण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

11.50 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म०प०

लोक सभा 2.00 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आप गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी को बुलाइये **(व्यवधान)** सरकार ने जो कदम उठाये गये हैं, उनके बारे में रूदन को अवश्य जानकारी दी जानी चाहिए **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ): महोदय, हम एक वक्तव्य चाहते हैं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब, पत्रों को सभा पटल पर रखा जायेगा । श्री दलबीर सिंह।

(व्यवधान)

2.01 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वस्त्र मंत्रालय और भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं श्री अशोक गहलोत की ओर से वस्त्र मंत्रालय और भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2130/92]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा वित्त विधेयक 1989 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का०आ० 177(अ) जो 3 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का०आ० 246(अ) जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का०आ० 247(अ) जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का०आ० 299(अ) जो 27 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का०आ० 300(अ) जो 27 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 561(अ) जो 27 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखिति रीति से कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2132/92)

(2) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 557(अ) जो 25 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और पवन हंस के कर्मचारियों को, चाहे वे सेवा में हों या सेवा निवृत्त हो चुके हों, जब वे मुफ्त या रियायती टिकट पर यात्रा करते हैं, तो उन्हें उस पर उद्ग्रहणीय अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर के संदाय से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2133/92)

वर्ष 1992-93 के लिए आर्थिक नीतियों संबंधी ज्ञापन समेत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सम्बोधित वित्त मंत्री का 2 जून, 1992 का पत्र तथा बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप धारा (3) के अंतर्गत बीमा (संशोधन) नियम 1992 जो 4 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 961 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-2134/92)

(2) प्रबंध निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सम्बोधित वित्त मंत्री के 2 जून, 1992 के पत्र तथा वर्ष 1992-93 के लिए आर्थिक नीतियों संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2135/92)

(3) विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों के संव्यवहार से संबंधित अपराधों का विचारण) अध्यादेश, 1992 की धारा 14 की उप धारा (2) के अंतर्गत विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों के संव्यवहार से संबंधित अपराधों का विचारण) नियम 1992 जो 6 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 585(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2136/92)

(व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर): नहीं, नहीं।

2.02 म०प०

इस समय श्री सुदर्शन राय चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा 3.30 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.03 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा 3.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.30 म०प०

लोक सभा 3.30 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य पर पुनः चर्चा आरम्भ करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं, **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: कृपया प्रधान मंत्री को बुलाइये। **(व्यवधान)**

3.31 म०प०

इस समय श्री रोशन लाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

सभापति महोदय: अब, सभा शेष दिन के लिये स्थगित होती है और सोमवार, 13 जुलाई, 1992 को 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होगी।

3.31 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 13 जुलाई, 1992/22 आषाढ़, 1914 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस० — 48/13/3/92 (एन०)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्
प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।